संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ
कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करना
परिभाषाएँ
विधि मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 20 दिसंबर, 1961, 29 अग्रहायण, 1883 (शक)
संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 19 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -
प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 संख्या 59, 1961
(1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी)
कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने तथा ऐसे संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से संबंधित कुछ मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाए:-
अध्याय 1 प्रारंभिक
1. (1) इस अधिनियम को प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा।
(2) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकेंगी।
2. चूंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के रूप में ज्ञात संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं कि वे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, इसलिए यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -
(क) किसी संस्थान के संबंध में 'बोर्ड' का अर्थ उसके गवर्नर्स बोर्ड से है:
(ख) 'अध्यक्ष' का अर्थ बोर्ड का अध्यक्ष है।

5 का 1956

21 का 1860

(ग) 'तत्संबंधी संस्थान' का अर्थ है -

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के नाम से ज्ञात सोसायटी के संबंध में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर) सोसायटी के नाम से ज्ञात सोसायटी के संबंध में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, और

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के नाम से ज्ञात सोसायटी के संबंध में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास;

(घ) 'परिषद' का अर्थ है धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद;

(ङ) किसी संस्थान के संबंध में 'उप निदेशक' का अर्थ है उसका उप निदेशक;

(च) किसी संस्थान के संबंध में 'निदेशक' का अर्थ है उसका निदेशक;

(छ) 'संस्थान' का तात्पर्य धारा 2 में उल्लिखित किसी भी संस्थान से है और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित संस्थान शामिल है; (ज) 'रजिस्ट्रार' का तात्पर्य किसी संस्थान के संबंध में उसके रजिस्ट्रार से है; (झ) 'सीनेट' का तात्पर्य किसी संस्थान के संबंध में उसकी सीनेट से है; (ञ) 'सोसायटी' का तात्पर्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत निम्नलिखित में से किसी भी सोसायटी से है, अर्थात्:-

(झ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई; (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (कानपुर) सोसायटी; (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास; (ट) 'परिनियम' और 'अध्यादेश' का तात्पर्य किसी संस्थान के संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के परिनियम और अध्यादेश से है। संस्थानों का निगमन

संस्थानों के निगमन का प्रभाव

अध्याय II

संस्थाएँ

4. (1) धारा 2 में उल्लिखित प्रत्येक संस्थान एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) उक्त संस्थानों में से प्रत्येक का गठन करने वाले निगमित निकाय में एक अध्यक्ष, एक निदेशक और संस्थान के तत्कालीन बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल होंगे।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, -

(क) किसी कानून (इस अधिनियम के अलावा) या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज में किसी सोसायटी के संदर्भ को संबंधित संस्थान के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

(ख) किसी सोसायटी की या उससे संबंधित सभी चल और अचल संपत्ति संबंधित संस्थान में निहित होगी;

(ग) किसी सोसायटी के सभी अधिकार और दायित्व संबंधित संस्थान को हस्तांतरित किए जाएँगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे; और

(घ) ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों और नियमों पर तथा पेंशन, छुट्टी, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ संबंधित संस्थान में अपना पद या सेवा धारण करेगा, जैसा कि वह इस अधिनियम के पारित न होने पर धारण करता, और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसका रोजगार

समाप्त नहीं हो जाता या जब तक कि ऐसे कार्यकाल, पारिश्रमिक और शर्तों और नियमों को क़ानून द्वारा विधिवत रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता:
बशर्ते कि यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य न हो, तो संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसका रोजगार समाप्त किया जा सकता है

संस्थानों की शक्तियाँ
या, यदि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन महीने के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारियों के मामले में एक महीने के पारिश्रमिक के बराबर मुआवजे का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा।
6. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्: -
(क) ऐसी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और कला की शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान के लिए प्रावधान करना, जैसा कि संस्थान ठीक समझे,
और
(जे)
(के)
(3)
(1) ऐसी शाखाओं में सीखने और ज्ञान के प्रसार के लिए;
(बी) परीक्षा आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान या उपाधि प्रदान करना;
(सी) मानद डिग्री या अन्य सम्मान प्रदान करना;
(डी) फीस और अन्य शुल्क तय करना, मांगना और प्राप्त करना; (ई) छात्रों के निवास के लिए हॉल और छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन करना;

(एफ) संस्थान के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक और कॉर्पोरेट जीवन को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(जी) संस्थान के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों के रखरखाव की व्यवस्था करना;

(एच) शैक्षणिक और अन्य पदों की स्थापना करना और उनमें नियुक्तियाँ करना (निदेशक के मामले को छोड़कर);

(आई) क़ानून और अध्यादेश बनाना और उन्हें बदलना, संशोधित करना या रद्द करना;

संस्थान सभी जातियों, पंथों और वर्गों के लिए खुले होंगे

संस्थान से संबंधित या उसमें निहित किसी भी संपत्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करना जैसा कि संस्थान संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझे;
सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना तथा वसीयतकर्ताओं, दानकर्ताओं या हस्तान्तरणकर्ताओं से, जैसा भी मामला हो, चल या अचल सम्पत्तियों की वसीयत, दान और हस्तान्तरण प्राप्त करना;

विश्व के किसी भी भाग में स्थित शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना, जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से पूर्णतः या अंशतः मिलते-जुलते हों, शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतः ऐसे तरीकों से जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकूल हों; (एम) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियाँ, पुरस्कार और पदक स्थापित करना और प्रदान करना;

और
(एन) ऐसे सभी कार्य करना जो संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या अनुकूल हों।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई संस्थान विजिटर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी तरीके से किसी अचल सम्पत्ति का निपटान नहीं करेगा।

7. (1) प्रत्येक संस्थान किसी भी लिंग, किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होगा, तथा सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कार्यकर्ताओं को प्रवेश देने या नियुक्त करने या किसी भी अन्य संबंध में धार्मिक विश्वास या पेशे के संबंध में कोई भी परीक्षण या शर्त नहीं लगाई जाएगी।

(2) किसी भी संस्थान द्वारा किसी भी संपत्ति की कोई वसीयत, दान या हस्तांतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें परिषद की राय में इस धारा की भावना और उद्देश्य के विपरीत शर्तें या दायित्व शामिल हों।

संस्थानों में अध्यापन
विजिटर
संस्थानों के प्राधिकरण
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
8. प्रत्येक संस्थान में सभी अध्यापन संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस संबंध में बनाए गए नियमों और अध्यादेशों के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
9. (1) भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान के विजिटर होंगे।
(2) विजिटर किसी संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जांच करने और विजिटर के निर्देशानुसार उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।
(3) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर विजिटर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, जैसा वह रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझते हैं और संस्थान ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
10. किसी संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:
(क) एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;
(ख) एक सीनेट; और (ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें संविधि द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है। 11. संस्थान के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: - (क) अध्यक्ष, जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा; (ख) निदेशक, पदेन; (ग) एक व्यक्ति जिसे उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा नामित किया जाएगा जिसमें संस्थान स्थित है, ऐसे व्यक्तियों में से जो उस सरकार की राय में प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति हैं; (घ) शिक्षा, इंजीनियरिंग या विज्ञान के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति, जिन्हें परिषद द्वारा नामित किया जाएगा; और (ङ) संस्थान के दो प्रोफेसर, जिन्हें सीनेट द्वारा नामित किया जाएगा। बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनमें रिक्तियां, तथा उन्हें देय भत्ते
बोर्ड के कार्य
स्पष्टीकरण इस धारा में, 'क्षेत्र' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर सीमांकित क्षेत्र से है।
12. इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,
(1) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की पदावधि उसके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष होगी।
(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।
(3) धारा 11 के खंड (ई) के तहत नामित सदस्य की पदावधि उस वर्ष की पहली जनवरी से दो वर्ष होगी जिसमें उसे नामित किया गया है।
(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक जारी रहेगी जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।
(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई पदच्युत सदस्य, जब तक कि परिषद् अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में मनोनीत न कर दिया जाए। (6) बोर्ड के सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, पाने के हकदार होंगे जैसा कि परिनियमों में उपबंधित किया जा सकता है, किन्तु धारा 11 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य सदस्य इस उपधारा के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।
13. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी संस्थान का बोर्ड संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान की ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हैं और सीनेट के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति रखेगा।

6
7

सीनेट

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी संस्थान का बोर्ड -

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीतिगत प्रश्नों पर निर्णय लेगा;

(ख) संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करेगा: (ग) नियम बनाएगा;

(घ) संस्थान में शैक्षणिक और अन्य पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा;

(ङ) अध्यादेशों पर विचार करेगा और उन्हें संशोधित या रद्द करेगा; (च) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों पर विचार करेगा और प्रस्ताव पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण के साथ परिषद को प्रस्तुत करेगा;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या नियम द्वारा उसे प्रदान किए जाएं या उस पर आरोपित किए जाएं।

(3) बोर्ड को ऐसी समितियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

14. प्रत्येक संस्थान की सीनेट में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: - (क) निदेशक, पदेन, जो सीनेट का अध्यक्ष होगा; (ख) उप निदेशक, पदेन; (ग) संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त प्रोफेसर; (घ) तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, जिन्हें निदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानविकी के क्षेत्रों से एक-एक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से नामित किया जाएगा; और (ङ) स्टाफ के ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें संविधि में निर्धारित किया जा सकता है। 8 सीनेट के कार्य बोर्ड के अध्यक्ष निदेशक उप निदेशक रजिस्ट्रार 15. इस अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, किसी संस्थान की सीनेट संस्थान में निर्देश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के नियंत्रण और सामान्य विनियमन के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो संविधि द्वारा उसे प्रदान किए जा सकते हैं या उस पर लगाए जा सकते हैं। 16. (1) अध्यक्ष आमतौर पर बोर्ड की बैठकों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा। (2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए। (3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या संविधि द्वारा सौंपे जा सकते हैं। 17. (1) प्रत्येक संस्थान के निदेशक की नियुक्ति परिषद द्वारा विजिटर के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। (2) निदेशक संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा संस्थान के समुचित प्रशासन और उसमें शिक्षा प्रदान करने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या संविधि या अध्यादेश द्वारा उसे सौंपे जाएं।

18. प्रत्येक संस्थान के उप निदेशक की नियुक्ति ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, जो संविधि द्वारा निर्धारित की जाएं तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या संविधि या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

19. (1) प्रत्येक संस्थान के रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, जो संविधि द्वारा निर्धारित की जाएं तथा वह निम्नलिखित का संरक्षक होगा:

अन्य प्राधिकरण एवं अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा अनुदान संस्थान के अभिलेख, सामान्य मुहर, संस्थान के कोष तथा संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति जो बोर्ड उसके प्रभार में सौंपेगा। (2) रजिस्ट्रार बोर्ड, सीनेट तथा ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो संविधि द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। (3) रजिस्ट्रार अपने कार्य के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा। (4) रजिस्ट्रार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या संविधि अथवा निदेशक द्वारा सौंपे जाएं। 20. इसमें पूर्व में उल्लिखित प्राधिकारियों तथा अधिकारियों के अलावा अन्य की शक्तियां तथा कर्तव्य संविधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 21. संस्थानों को इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा किए गए समुचित विनियोजन के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थान को ऐसी धनराशि तथा ऐसी रीति से भुगतान कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।
22. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे -
(2)
(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी धन;
(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी शुल्क तथा अन्य प्रभार;
(ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या अंतरण के माध्यम से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन; तथा
(घ) किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन।
किसी भी संस्थान के कोष में जमा सभी धनराशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या निवेश की जाएगी

खाते और लेखा परीक्षा

पेंशन और भविष्य निधि

(3)
23. (1)
(2)
(3)
(4)
24. (1)
ऐसी रीति से जैसा संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से तय करे।

किसी भी संस्थान के कोष का उपयोग संस्थान के व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्यय शामिल हैं।

प्रत्येक संस्थान उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा और बैलेंस-शीट सहित खातों का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकती है।

प्रत्येक संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में उनके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय होगा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा किसी संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं, तथा विशेष रूप से उन्हें पुस्तकों, खातों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्रत्येक संस्थान के खातों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा तथा वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।

प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों, जिनमें निदेशक भी शामिल है, के लाभ के लिए ऐसी

1925 का 19
नियुक्तियाँ
परिनियम
(2)
संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो बीमा और भविष्य निधि के लिए उपयुक्त समझी जाएँगी। जहाँ ऐसी कोई भविष्य निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहाँ केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के प्रावधान ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।
25. निदेशक के पद को छोड़कर किसी भी संस्थान के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ, परिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएँगी, -
(क) बोर्ड द्वारा, यदि नियुक्ति व्याख्याता या उससे ऊपर के पद पर शैक्षणिक कर्मचारियों पर की जाती है या यदि नियुक्ति किसी भी संवर्ग में गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर की जाती है, जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रुपये प्रति माह से अधिक है।
(ख)
किसी अन्य मामले में निदेशक द्वारा।
26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधि निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:-
(क)
मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;
(ख)
शिक्षण विभागों का गठन;
(ग)
संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए तथा संस्थान की उपाधियों और डिप्लोमाओं की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;
(घ)
(ङ)
(छ)
फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कार की संस्था;
संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और नियुक्ति की विधि;
संस्थान के शिक्षकों की योग्यताएं; संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति की विधि और सेवा की शर्तों का निर्धारण;
संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन;
12
(ज)
(झ) संस्थान के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य; (जे)

हॉल और ओबरा छात्रावासों की स्थापना और रखरखाव;

(के)
(1)

ब्रस

(एम)

(एन)

(0)

(पी)

संविधि कैसे बनाई जाती है

27. (1)

(2)

(3)

(4)

संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और हॉल और छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभार लगाना; बोर्ड के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका;

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते;

बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;

बोर्ड, सीनेट या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में गणपूर्ति और उनके व्यवसाय के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

प्रत्येक संस्थान के प्रथम क़ानून परिषद द्वारा विजिटर की पूर्व स्वीकृति से बनाए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। बोर्ड समय-समय पर नए या अतिरिक्त क़ानून बना सकता है अथवा इस धारा में आगे बताए गए तरीके से क़ानूनों में संशोधन या निरसन कर सकता है। प्रत्येक नए क़ानून या क़ानून में किसी अतिरिक्त संशोधन या क़ानून के निरसन के लिए विजिटर की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो उस पर सहमति दे सकता है अथवा सहमति रोक सकता है अथवा उसे विचारार्थ बोर्ड के पास भेज सकता है। कोई नया क़ानून या मौजूदा क़ानून को संशोधित या निरसित करने वाला क़ानून तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि विजिटर द्वारा उस पर सहमति न दे दी गई हो। 13

अध्यादेश
अध्यादेश कैसे बनाए जाते हैं
मध्यस्थता न्यायाधिकरण
28. इस अधिनियम और संविधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित सभी या
किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:-
(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश; (ख) संस्थान की सभी डिग्री और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा, और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे;
(घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और मॉडरेटर की नियुक्ति की शर्तें और तरीका तथा कर्तव्य;
(च) परीक्षाओं का संचालन;
(छ) संस्थान के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और
(ज) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या संविधि द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जा सकता है।
29. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सीनेट द्वारा बनाए जाएंगे।
(2) सीनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तिथि से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाए गए प्रत्येक अध्यादेश को यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा।
(3) बोर्ड को किसी ऐसे अध्यादेश को प्रस्ताव द्वारा संशोधित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे प्रस्ताव की तिथि से, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित या रद्द माना जाएगा। 30. (1) किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी अनुबंध से उत्पन्न कोई विवाद संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के कहने पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य और विजिटर द्वारा नियुक्त एक निर्णायक शामिल होगा। (2) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। (3) किसी भी न्यायालय में किसी भी मामले के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी, जिसे उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाना आवश्यक है। (4) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। (5) मध्यस्थता से संबंधित किसी भी कानून में कुछ भी लागू नहीं होगा जो इस धारा के तहत मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा। अध्याय III परिषद्
31. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट तिथि से एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी जिसे परिषद् कहा जाएगा। (2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:
(क) केन्द्रीय सरकार में तकनीकी शिक्षा का प्रभारी मंत्री, पदेन, अध्यक्ष;
(ख) प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष, पदेन;
(ग) प्रत्येक संस्थान का निदेशक, पदेन;
(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, पदेन;
(ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक, पदेन;

परिषद के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और देय भत्ते। (च) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के अध्यक्ष, पदेन; (छ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के निदेशक, पदेन; (ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित तीन व्यक्ति, जिनमें से एक तकनीकी शिक्षा से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेगा और तीसरा किसी अन्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेगा; (झ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति; (झ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित कम से कम तीन, किन्तु अधिक से अधिक पांच व्यक्ति, जो शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे; (ट) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाएंगे और एक राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाएंगे। (3) तकनीकी शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के एक अधिकारी को परिषद के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उस सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

32. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद के सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन या निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष का होगा, जैसा भी मामला हो।

(2) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।

(3) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (एच) में निर्दिष्ट परिषद का सदस्य केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा। (4) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (के) के अधीन निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जाएगा जब वह उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता जिसने उसे निर्वाचित किया था। 16

सिड मिर्ट

परिषद के कार्य

(5) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित या निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के शेष कार्यकाल तक जारी रहेगा जिसके स्थान पर उसे नामित या निर्वाचित किया गया है।

(6) इस धारा में निहित किसी भी बात के बावजूद कोई भी निवर्तमान सदस्य, जब तक कि केंद्रीय सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता।

(7) परिषद के सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे, जैसा कि उस सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन कोई भी सदस्य इस उप-धारा के कारण किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

33. (1) सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करना परिषद का सामान्य कर्तव्य होगा। (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्: (क) संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की अवधि, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं, प्रवेश मानकों और अन्य शैक्षणिक मामलों से संबंधित मामलों पर सलाह देना; (ख) कर्मचारियों के संवर्ग, भर्ती के तरीके और सेवा की शर्तों, छात्रवृत्ति और निःशुल्क छात्रवृत्ति की स्थापना, फीस लगाने और सामान्य हित के अन्य मामलों के संबंध में नीति निर्धारित करना; (ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं की जांच करना और उनमें से ऐसी योजनाओं को अनुमोदित करना जिन्हें आवश्यक समझा जाए और ऐसी अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय निहितार्थों को व्यापक रूप से इंगित करना; (घ) प्रत्येक संस्थान के वार्षिक बजट अनुमानों की जांच करना और उस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

परिषद का अध्यक्ष
(ई) यदि अपेक्षित हो तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में कुलाध्यक्ष को सलाह देना; तथा
(एफ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे सौंपे जाएं।
34. (1) परिषद का अध्यक्ष सामान्यतः परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
(2) परिषद के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन हो।
(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाएं।
इस अध्याय के विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति
35. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-
(क) परिषद के सदस्यों में रिक्तियों को भरने का तरीका;
(ख) परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा होने के लिए अयोग्यताएं;
(ग) वे परिस्थितियां, जिनमें तथा वह प्राधिकार, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है; (घ) परिषद की बैठकें तथा उनके कार्य संचालन की प्रक्रियाएं;
(ङ) परिषद के सदस्यों को देय यात्रा तथा अन्य भत्ते; तथा
(च) परिषद के कार्य तथा वह तरीका, जिससे ऐसे कार्य किए जा सकेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ. 11-2/79-1.6 दिनांक 4 नवंबर, 1986 द्वारा संशोधित।

रिक्तियों आदि के कारण अवैध न होने वाले कार्य तथा कार्यवाहियां।
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
(3)। इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के सत्र के ठीक बाद के सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। तथापि, ऐसा कोई भी परिवर्तन या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अध्याय IV विविध
36. परिषद, या किसी संस्थान या बोर्ड या सीनेट या इस अधिनियम या संविधि के तहत गठित किसी अन्य निकाय का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अवैध नहीं होगा -
(क) उसके गठन में कोई रिक्ति या दोष,
या
(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष, या
(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करती हो।
37. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकती है या ऐसा निर्देश दे सकती है जो इस

अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ. 11-2/79-टी.6 दिनांक 4 नवंबर, 1986 द्वारा सम्मिलित।

19

संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार या यदि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा उसे तीन महीने तक के समतुल्य पारिश्रमिक का भुगतान करने पर रोजगार समाप्त किया जा सकता है।' (3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के अलावा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही ऐसे नियमों और शर्तों पर संस्थान का कर्मचारी बन जाएगा, जैसा कि परिनियमों में प्रदान किया जा सकता है, और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उस पर लागू नियमों और शर्तों पर।

(6 नवंबर, 1962 से प्रभावी और 16 जुलाई, 1999 तक संशोधित।)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
संविधि
(6 नवंबर, 1962 से प्रभावी)
23TUTAT2
1. संक्षिप्त शीर्षक
इन संविधि को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर संविधि कहा जा सकता है।
+ 1ए. परिभाषाएं
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 से है;
(ख) संस्थान के आवास कक्ष के संबंध में 'सहायक वार्डन' का तात्पर्य उसके सहायक वार्डन से है;
(ग) 'प्राधिकारी', 'अधिकारी' और 'प्रोफेसर' का तात्पर्य क्रमशः संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और प्रोफेसर से है;
(घ) 'बोर्ड' का तात्पर्य संस्थान के गवर्नर बोर्ड से है;
(ङ) 'भवन और निर्माण समिति' का तात्पर्य संस्थान की भवन और निर्माण समिति से है;
(च) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है; (छ) 'परिषद' का अर्थ है संस्थान की परिषद; (ज) 'उप निदेशक' का अर्थ है संस्थान का उप निदेशक; (झ) 'निदेशक' का अर्थ है संस्थान का निदेशक; (ज) 'वित्त समिति' का अर्थ है संस्थान की वित्त समिति; (ट) 'संस्थान' का अर्थ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के नाम से जाना जाने वाला संस्थान, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) अधिनियम, 1956 (1956 का 51) के अधीन निगमित है; (झ) 'अध्यादेश' का अर्थ है संस्थान का अध्यादेश; (ड) 'रजिस्ट्रार' का अर्थ है संस्थान का रजिस्ट्रार; (ढ) 'सीनेट' का अर्थ है संस्थान की सीनेट; (ण) 'वार्डन' का अर्थ है संस्थान के निवास कक्ष के संबंध में उसका वार्डन। "
+
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 24-42/63-टी.6 (वॉल्यूम III), दिनांक 22 अगस्त, 1975 द्वारा सम्मिलित। 12 अगस्त, 1975 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24-42/63-टी.6 (वॉल्यूम III), दिनांक 22 अगस्त, 1975 द्वारा पुनः क्रमांकित। 12 अगस्त, 1975 से प्रभावी।
25

2. बोर्ड

(1) बोर्ड में प्रतिनिधियों को मनोनीत या निर्वाचित करने के लिए हकदार निकायों को रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा करने के लिए उचित समय के भीतर आमंत्रित किया जाएगा, जो सामान्यतः उसके द्वारा ऐसे आमंत्रण जारी किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा। बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(2) बोर्ड की बैठक सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चार बार होगी। (3) बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष द्वारा या तो स्वयं की पहल पर या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किसी मांग पर बुलाई जाएंगी।

(4) बोर्ड की बैठक के लिए छह सदस्यों की उपस्थिति कोरम का गठन करेगी। बशर्ते कि यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, तो वह अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और स्थान पर, या किसी अन्य दिन और ऐसे अन्य समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करें, और यदि ऐसी बैठक में बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं होती है, तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति माने जाएंगे।

(5) बोर्ड की बैठकों में विचार किए जाने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यदि मत बराबर-बराबर विभाजित हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(6) अध्यक्ष, यदि उपस्थित हो, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे।

(7) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी। सूचना में बैठक का स्थान, तिथि और समय बताया जाएगा। बशर्ते कि अध्यक्ष तत्काल विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-24-9/64-टी.6 दिनांक 7 सितंबर, 1967 द्वारा जोड़ा गया तथा शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.24.9/64-टी.6 दिनांक 4 मार्च, 1968 द्वारा संशोधित किया गया।

*शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-7/7664-टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा जोड़ा गया। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।

26

(8)

(9)

नोटिस बोर्ड के कार्यालय में दर्ज प्रत्येक सदस्य के पते पर हाथ से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे उस समय विधिवत वितरित माना जाएगा जिस समय नोटिस सामान्य डाक द्वारा वितरित किया जाता है।

बैठक से कम से कम दस दिन पहले रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों को एजेंडा प्रसारित किया जाएगा। (10) एजेंडे में किसी भी मद को शामिल करने के लिए प्रस्तावों की सूचना रजिस्ट्रार के पास बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले पहुंचनी चाहिए। हालांकि, अध्यक्ष किसी भी ऐसे मद को शामिल करने की अनुमति दे सकते हैं जिसके लिए उचित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। (11) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। (12) बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में मौजूद बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रसारित किए जाएंगे। सुझाए गए किसी भी संशोधन के साथ कार्यवृत्त को बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर किए जाने के बाद, उन्हें एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसे कार्यालय समय के दौरान हर समय बोर्ड और परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। (13) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड से अनुपस्थिति की

अनुमति लिए बिना लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा।

3. बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण बोर्ड के सभी आदेश और निर्णय रजिस्ट्रार या बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। 4. सीनेट

(1) अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सीनेट के सदस्य होंगे, अर्थात्: - * (क) प्रोफेसरों के अलावा विभागों, केंद्रों, स्कूलों या प्रभागों के प्रमुख;

(ख) संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष; शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-9 / 64 - टी.6 दिनांक 7 सितंबर, 1967 द्वारा जोड़ा गया। * शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।

27 .

(ग) एक वार्डन, एक वर्ष की अवधि के लिए वार्डन के रूप में वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा; (घ) संस्थान का कार्यशाला अधीक्षक; (ङ) निदेशक के विशेष कार्य के लिए स्टाफ के छह से अधिक अन्य सदस्य, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। (2) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सीनेट को निम्नलिखित की शक्ति होगी: - (क) विभिन्न विभागों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करना और संशोधित करना; (ख) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना, परीक्षकों, मॉडरेटर, सारणीकारों और इसी तरह के अन्य लोगों की नियुक्ति करना; (ग) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान या उपाधियों के प्रदान या अनुदान के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना; (घ) संस्थान के विभागों के लिए सलाहकार समितियां या विशेषज्ञ समितियां या दोनों नियुक्त करना, ताकि विभाग के कामकाज से जुड़े शैक्षणिक मामलों पर सिफारिश की जा सके; संबंधित विभागाध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(ङ) सीनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य शिक्षकों और बाहर के विशेषज्ञों में से समितियां नियुक्त करना, जो सीनेट द्वारा किसी ऐसी समिति को भेजे जाने वाले विशिष्ट शैक्षणिक मामलों पर सलाह देंगी;

(च) विभिन्न विभागों से जुड़ी सलाहकार समितियों और विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिश करना भी शामिल है) जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो;

(छ) विभागों की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना और बोर्ड को उचित कार्रवाई की सिफारिशें करना; (ज) पुस्तकालय के कामकाज की देखरेख करना; (3) (i) संस्थान के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा उसमें लगे व्यक्तियों से ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्ट मांगना; (ज) कक्षाओं तथा निवास कक्षों के निरीक्षण के लिए वहां दिए जाने वाले शिक्षण तथा अनुशासन की व्यवस्था करना, संस्थान के विद्यार्थियों की सह-पाठयक्रम गतिविधियों की देखरेख करना तथा बोर्ड को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; (ट) अध्यादेशों तथा पुरस्कारों के साथ संलग्न अन्य शर्तों के अनुसार वजीफा, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करना तथा अन्य पुरस्कार प्रदान करना; (1) बोर्ड को (i) शैक्षणिक स्टाफ में पदों के सृजन तथा उनके उन्मूलन, तथा (ii) ऐसे पदों से जुड़े पारिश्रमिक तथा कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें करना। सीनेट एक कैलेंडर वर्ष में जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक करेगी, लेकिन कम से कम चार बार। (4) सीनेट की बैठकें सीनेट के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी। या तो स्वयं की पहल पर या सीनेट के कम से कम 20% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचना पर। अधियाचना बैठक केवल उन्हीं कार्यसूची मदों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक होगी जिसके लिए अधियाचना की गई है। अधियाचना बैठक सीनेट के अध्यक्ष द्वारा ऐसी अधियाचना के लिए दिए गए नोटिस के 15 दिनों के भीतर अपने लिए सुविधाजनक तिथि और समय पर बुलाई जाएगी।
* (5) सीनेट की बैठक के लिए सीनेट के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या कोरम का गठन करेगी।
(6)
निदेशक, यदि उपस्थित हों, तो सीनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में, उप निदेशक अध्यक्षता करेंगे और निदेशक और उप निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित प्रोफेसरों में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 78 - टी.6 दिनांक 21 जुलाई, 1979 द्वारा संशोधित। 7 जुलाई, 1979 से प्रभावी।

(7) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना, एजेंडा सहित, रजिस्ट्रार द्वारा बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले सीनेट के सदस्यों को प्रसारित की जाएगी। सीनेट के अध्यक्ष किसी ऐसे विषय को शामिल करने की अनुमति दे सकते हैं, जिसके लिए उचित सूचना नहीं दी जा सकती। (8) उप-संविधि (7) के प्रावधानों के बावजूद निदेशक तत्काल विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सीनेट की आपातकालीन बैठक बुला सकते हैं। (9) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। (10) सीनेट की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित सीनेट के सभी सदस्यों को प्रसारित किए जाएंगे, बशर्ते कि ऐसा कोई कार्यवृत्त प्रसारित नहीं किया जाएगा, यदि सीनेट ऐसे परिचालन को संस्थान के हितों के लिए हानिकारक मानता है। सुझाए गए संशोधनों के साथ कार्यवृत्त, यदि कोई हो, सीनेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे। सीनेट के अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, उन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिसे कार्यालय समय के दौरान सीनेट, बोर्ड और परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए हर समय खुला रखा जाएगा।

5. वित्त समिति

(1) यह घोषित किया जाता है कि वित्त समिति, जिसे उप-संविधि में इसके पश्चात 'समिति' कहा गया है, अधिनियम की धारा 10 के अर्थ में एक प्राधिकरण भी होगी और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) अध्यक्ष, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति;

(ग) बोर्ड द्वारा नामित दो व्यक्ति; और (घ) निदेशक।

(2) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी: -

(क) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की जांच और संवीक्षा करना तथा बोर्ड को सिफारिशें करना; (ख) बोर्ड या निदेशक की पहल पर या संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर अपनी पहल पर बोर्ड को अपने विचार देना तथा अपनी सिफारिशें करना। (3) समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। (4) समिति की बैठक के लिए समिति के तीन सदस्य गणपूर्ति होंगे। (5) अध्यक्ष, यदि उपस्थित हो, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे। (6) बैठक की सूचना, कार्यसूची में मदों को शामिल करने तथा बोर्ड की बैठकों पर लागू कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन विधियों में दिए गए प्रावधानों का, जहां तक संभव हो, समिति की बैठक के संबंध में पालन किया जाएगा। (7) समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी। 6. भवन एवं निर्माण समिति

(1) यह घोषित किया जाता है कि भवन एवं निर्माण समिति, जिसे इस उप-विधि में आगे 'समिति' कहा गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो अधिनियम की धारा 10 के अर्थ में एक प्राधिकरण भी होंगे।

(2) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी और निम्नलिखित शक्तियां रखेगी:-

(ख) यह बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात बोर्ड के निर्देशन में सभी प्रमुख पूंजीगत कार्यों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। (ग) इसके पास संस्थान के लिए इस प्रयोजन के लिए रखे गए अनुदान के अंतर्गत छोटे कार्यों और रखरखाव तथा मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(घ) यह भवनों और अन्य पूंजीगत कार्यों, छोटे कार्यों, मरम्मत, रखरखाव और इसी तरह के अन्य कार्यों की लागत का अनुमान तैयार कराएगी।

(ङ) यह तकनीकी जांच करने के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा कि इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

7. (च) यह उपयुक्त ठेकेदारों की भर्ती और निविदाओं की स्वीकृति के लिए जिम्मेदार होगी और जहां आवश्यक हो विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने की शक्ति होगी। (छ) इसमें निविदा द्वारा कवर नहीं की गई दरों को तय करने और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों को निपटाने की शक्ति होगी। (3) समिति संस्थान के लिए भवनों के निर्माण और भूमि के विकास के मामले में ऐसे अन्य कार्य करेगी जो बोर्ड समय-समय पर इसे सौंपे। (4) आपातकालीन मामलों में समिति का अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट उसके द्वारा समिति और बोर्ड को समिति और बोर्ड की अगली बैठक में दी जाएगी। (5) समिति आवश्यकतानुसार अक्सर बैठक करेगी लेकिन वर्ष में कम से कम दो बार। (6) समिति की बैठक के लिए तीन सदस्य गणपूर्ति होंगे। (7) बोर्ड की बैठकों के लिए लागू बैठक की सूचना, कार्यसूची में मदों को शामिल करने तथा कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन विधियों में दिए गए प्रावधानों का, जहां तक संभव हो, समिति की बैठक के संबंध में पालन किया जाएगा। (8) समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी। अध्यक्ष (1) अध्यक्ष को चयन समिति की सिफारिशों पर, अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले पदों के संबंध में वेतनमान के न्यूनतम स्तर से उच्च स्तर पर किसी पदधारी का प्रारंभिक वेतन निर्धारित करने की शक्ति होगी। (2) अध्यक्ष को संस्थान के कर्मचारियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए या भारत के बाहर शिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए भेजने की शक्ति होगी, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकने वाली शर्तों और नियमों का पालन किया जाए। (3) संस्थान और निदेशक के बीच सेवा का अनुबंध अनुसूची ए में निर्धारित अनुसार लिखित रूप में होगा (जहां तक प्रत्येक मामले में लागू हो सके) और संस्थान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा, तथा प्रत्येक ऐसा अनुबंध अध्यक्ष द्वारा निष्पादित किया जाएगा, किन्तु अध्यक्ष ऐसे अनुबंध के अधीन किसी भी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। (4) आपातकालीन मामलों में अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अनुमोदन के लिए अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना बोर्ड को दे सकता है। यात्रा भत्ते

(1) बोर्ड के सदस्य तथा संस्थान के अन्य प्राधिकारी तथा अधिनियम या उन विधियों के अधीन गठित समितियों के सदस्य या बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त, सरकारी कर्मचारियों तथा संस्थान के कर्मचारियों के अलावा, प्राधिकारियों तथा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(2) बोर्ड के सदस्य तथा संस्थान के अन्य प्राधिकारियों तथा समितियों के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें उनके वेतन स्रोत से ही यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मिलेगा, जो उन्हें स्वीकार्य दरों पर मिलेगा। यदि ऐसा अपेक्षित हो तो संस्थान संबंधित विभाग या सरकार को प्रतिपूर्ति करेगा।

हालांकि, यदि सदस्यों द्वारा अपेक्षित हो तो संस्थान संबंधित सदस्यों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता प्रतिपूर्ति करेगा, यदि वे घोषणा करते हैं कि वे अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं लेंगे; बशर्ते कि संस्थान उपर्युक्त सरकारी कर्मचारियों को उनके लिए स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दे सकता है, यदि उन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निदेशक

(1)

विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए बजट प्रावधानों के अधीन, निदेशक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करने की शक्ति होगी। निदेशक को आवर्ती बजट का गठन करने वाली विभिन्न मदों के संबंध में निधियों को पुनर्विनियोजित करने की शक्ति होगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा संशोधित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी

'

मैं भविष्य के वर्षों में किसी भी दायित्व में शामिल नहीं होऊंगा। प्रत्येक मद के लिए 10,000 रुपये की ऐसी पुनर्सीमा बशर्ते कि ऐसे पुनर्विनियोजन की सूचना यथाशीघ्र बोर्ड को दी जाए। (3) निदेशक को उस स्टाफ सदस्य को दो सौ पचास रुपये तक के अधिक भुगतान की वसूली माफ करने का अधिकार होगा जिसका भुगतान चौबीस महीने से अधिक है। प्रत्येक ऐसी छूट, जैसे ही मूल वेतन 500.00 रुपये प्रति माह या उससे कम हो, जिसका पता संभव समय के भीतर नहीं चलता है, बोर्ड को सूचित की जाएगी।

(4) निदेशक को किसी भी व्यक्तिगत मामले में 5,000 रुपये तक की उचित टूट-फूट के कारण अपूरणीय हानि को बट्टे खाते में डालने का अधिकार होगा जो 1000 रुपये तक हो और खोए या दान किए गए सामान का अपूरणीय मूल्य हो, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए जा सकने वाले प्रावधानों के अधीन हो। (5) निदेशक को चयन समिति की संस्तुतियों पर किसी पदधारी का आरंभिक वेतनमान के न्यूनतम से उच्चतर स्तर पर निर्धारित करने की शक्ति होगी, किन्तु इसमें उन पदों के संबंध में पांच वेतन वृद्धियों से अधिक शामिल नहीं होगी, जिन पर वह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नियुक्ति कर सकता है। (6) निदेशक को तकनीशियनों और कामगारों को नियोजित करने की शक्ति होगी, जिनका पारिश्रमिक प्रति व्यक्ति प्रति दिन 7.00 रुपये से अधिक नहीं होगा।

(7) निदेशक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन भारत के अंदर प्रशिक्षण या शिक्षण के लिए स्टाफ के सदस्यों को भेजने की शक्ति होगी।

(8) निदेशक को पूर्णतः या आंशिक रूप से अनुपयुक्त हो चुके भवनों के लिए किराए में छूट या कमी को मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(9) निदेशक को किसी भवन को उसके निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से आवंटित करने की शक्ति होगी। (10) अपवादात्मक मामलों में, निधियों की उपलब्धता के अधीन, निदेशक या अध्यक्ष को, अनुमोदित होने पर दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अस्थायी पदों के सृजन की शक्ति होगी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-7/76-टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 के अनुसार संशोधित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी, बोर्ड को रिपोर्ट के अधीन वेतनमान, बशर्ते कि ऐसा कोई पद, जिसके लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, इस प्रकार सृजित नहीं किया जाएगा। (11) निदेशक को लेखा संहिता, मौलिक और अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी, जहां तक वे संस्थान के व्यवसाय के संचालन के लिए लागू होते हैं या लागू किए जा सकते हैं। (12) यदि किसी कारण से रजिस्ट्रार एक महीने से अधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है, तो निदेशक रजिस्ट्रार के किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है, या संस्थान के स्टाफ के किसी भी सदस्य को सौंप सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। परन्तु यदि किसी भी समय रजिस्ट्रार की अस्थायी अनुपस्थिति एक महीने से अधिक हो जाती है, तो बोर्ड, यदि वह उचित समझे, निदेशक को एक महीने से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रार के पूर्वोक्त कार्य को अपने हाथ में लेने या सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(13) संस्थान और निदेशक के बीच के अनुबंध को छोड़कर, संस्थान के लिए और संस्थान की ओर से सभी अनुबंध, जब बोर्ड द्वारा उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, लिखित रूप में होंगे और संस्थान के नाम से किए गए अभिव्यक्त किए जाएंगे और प्रत्येक ऐसा अनुबंध निदेशक द्वारा संस्थान की ओर से निष्पादित किया जाएगा, किन्तु निदेशक ऐसे अनुबंध के अधीन किसी भी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
(14) निदेशक, मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, उप निदेशक या उपस्थित डीन में से किसी एक या वरिष्ठतम प्रोफेसर को कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्यय और चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम राशि

स्वीकृत करने तथा उनकी ओर से बिलों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और उसे निदेशक की ऐसी शक्तियां ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो उप निदेशक या उपस्थित डीन में से किसी एक या वरिष्ठतम प्रोफेसर को लिखित रूप में विशेष रूप से सौंपी गई हों।

(15) निदेशक अपने विवेकानुसार ऐसी समितियों का गठन कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।
(16) अध्यक्ष के कार्यालय में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से कोई रिक्ति होने की स्थिति में या अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-7/76-टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा संशोधित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-5/82-टी.6 दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा पुनः संशोधित।

अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से निदेशक, संविधि 7 के अंतर्गत अध्यक्ष को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकता है। (17) निदेशक, बोर्ड के अनुमोदन से, अधिनियम और संविधि द्वारा उसे दी गई अपनी शक्तियों, जिम्मेदारियों और प्राधिकारों में से किसी को भी संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारियों के एक या अधिक सदस्यों को सौंप सकता है। 10. उप निदेशक उप निदेशक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायता करेगा और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अन्य संस्थानों और औद्योगिक उपक्रमों और अन्य नियोक्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने में भी मदद करेगा। 11. संस्थान के कर्मचारियों के सदस्यों का वर्गीकरण आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, संस्थान के कर्मचारियों के सदस्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा - (क) शैक्षणिक जिसमें निदेशक, उप निदेशक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, व्याख्याता, कार्यशाला अधीक्षक, एसोसिएट लेक्चरर, सहायक व्याख्याता, प्रशिक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, अनुसंधान सहायक, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद शामिल होंगे, जो बोर्ड द्वारा तय किए जा सकते हैं। (ख) तकनीकी, जिसके अंतर्गत फार्म अधीक्षक, फोरमैन, पर्यवेक्षक (कार्यशाला), मैकेनिक, फार्म ओवरसियर, बागवानी सहायक, तकनीकी सहायक, ड्राफ्ट्समैन, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक और ऐसे अन्य तकनीकी पद शामिल होंगे, जो बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे।

(ग) प्रशासनिक और अन्य, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी, भंडार अधिकारी, संपदा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, गृह शल्य चिकित्सक और अन्य चिकित्सा कर्मचारी, मुख्य भंडारपाल, प्रबंधक, कार्यालय अधीक्षक और ऐसे अन्य प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, जो बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे।

12. नियुक्तियां

(1) संस्थान में सभी पद सामान्यतः विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे, लेकिन निदेशक की सिफारिशों पर बोर्ड को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि किसी विशेष पद को संस्थान के कर्मचारियों में से आमंत्रण या पदोन्नति द्वारा भरा जाए।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-7/76-वाई.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा संशोधित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी। (2) (3) नियुक्तियाँ करते समय, संस्थान बोर्ड के निर्णयों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए आवश्यक प्रावधान करेगा। संस्थान के अंतर्गत पदों को भरने के लिए चयन समितियाँ (अनुबंध के आधार पर पदों को छोड़कर) विज्ञापन द्वारा या संस्थान के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा नीचे दिए गए तरीके से गठित की जाएँगी, अर्थात्: (क) उप निदेशक और प्रोफेसर के पदों के मामले में, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: निदेशक कुलाध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति अध्यक्ष सदस्य बोर्ड के दो नामित व्यक्ति, जिनमें से एक विशेषज्ञ होगा, लेकिन बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। सदस्य
(iv)
सीनेट सदस्य द्वारा नामित एक विशेषज्ञ जो सीनेट के सदस्य के अलावा अन्य हो
(b) सहायक प्रोफेसर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और व्याख्याता के पदों के मामले में, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
33
(i)
निदेशक
अध्यक्ष
(ii)
बोर्ड के दो नामित व्यक्ति, जिनमें से एक
सदस्य
बोर्ड के सदस्य के अलावा अन्य विशेषज्ञ हो।

(iii) (iv) सीनेट और संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, यदि जिस पद के लिए चयन किया जा रहा है, वह विभागाध्यक्ष के पद से निम्नतर है।

सदस्य

सदस्य

तुड़े

(बीबी) सहायक व्याख्याता या एसोसिएट व्याख्याता से व्याख्याता के पद पर या व्याख्याता से सहायक प्रोफेसर के पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति के मामले में, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-3/74-टी.6 दिनांक 3 अक्टूबर, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित। 5 सितंबर, 1974 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-10-80/74-टी.6 दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 द्वारा सम्मिलित। 26 नवंबर, 1975 से प्रभावी।

36

37

निदेशक
(ii) बोर्ड के दो नामित व्यक्ति, जिनमें से एक सदस्य
होगा जो
बोर्ड का सदस्य न हो
(ii) सीनेट द्वारा नामित एक विशेषज्ञ
अध्यक्ष
(i)
निदेशक या उसका नामित व्यक्ति
अध्यक्ष
(ii)
बोर्ड का नामित व्यक्ति
सदस्य
(iii)
संबंधित विभागाध्यक्ष या सदस्य रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो
(iv)
निदेशक द्वारा नामित संस्थान सदस्य के स्टाफ से एक विशेषज्ञ
सदस्य
(iv)
संस्थान के अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति
(v)
प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद और
संबंधित विभागाध्यक्ष, यदि सदस्य
जिस पद के लिए चयन किया जाता है, वह
विभागाध्यक्ष द्वारा धारित पद से निम्नतर है
(c)
पुस्तकालयाध्यक्ष और कार्यशाला अधीक्षक के पदों के मामले में,
चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
(!!!)
(f) अन्य सभी पदों के मामले में, निदेशक अपनी इच्छानुसार,
संस्थान के कर्मचारियों में से एक विशेषज्ञ चुन सकता है। विवेकानुसार, ऐसी चयन समितियों का गठन करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।
(4) निदेशक की अनुपस्थिति में, संस्थान के स्टाफ का कोई भी सदस्य, जिसे निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, निदेशक के स्थान पर चयन समितियों का अध्यक्ष होगा।
(5) उप निदेशक की अनुपस्थिति में, निदेशक संस्थान के स्टाफ के किसी भी सदस्य को उसके स्थान पर चयन समितियों में कार्य करने के लिए नामित कर सकता है।
(i)
निदेशक
(ii)
बोर्ड के दो नामित व्यक्ति, जिनमें से एक विशेषज्ञ होगा, लेकिन बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।
अध्यक्ष सदस्य
सीनेट द्वारा नामित एक विशेषज्ञ
सदस्य
(घ) रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी, भंडार अधिकारी, संपदा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के पदों के मामले में, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
(7)

(i)
निदेशक
अध्यक्ष
(8)
(ii)
उप निदेशक
सदस्य
सदस्य
(9)
(iii) बोर्ड के दो नामित व्यक्ति
(iv) रजिस्ट्रार, सदस्य रजिस्ट्रार के पद को छोड़कर
(ई) अन्य पदों के मामले में जो श्रेणियों (ए), (बी), (बीबी), (सी) या (डी) द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं और जिनका वेतनमान अधिकतम 900.00 रुपये प्रति माह से अधिक है, चयन
समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 10-80/ 74-टी.6 दिनांक 1 अक्टूबर, 1975। एफ-11-7/76-टी.6 दिनांक 26 सितम्बर, 1977। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी। 26 सितम्बर, 1975 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 38 के अनुसार पुनः क्रमांकित। (6) जहां कोई पद संविदा के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, वहां अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसी तदर्थ चयन समितियों का गठन कर सकते हैं, जैसी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो। जहां कोई पद संस्थान के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा या अस्थायी रूप से बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए भरा जाना है, वहां बोर्ड अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा। इन विधियों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड को 'अनुमोदित' कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसी रीति से करने का अधिकार होगा, जैसी वह उचित समझे। बोर्ड ऐसे 'अनुमोदित' कार्यक्रमों की अनुसूची बनाए रखेगा। यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, तो पद की शर्तें रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में निर्दिष्ट तिथि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
बशर्ते कि चयन समिति पर्याप्त कारणों से निर्दिष्ट तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार कर सकती है।
(10) चयन समिति उन सभी व्यक्तियों की साख की जांच करेगी जिन्होंने आवेदन किया है और चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए या अन्यथा समिति के ध्यान में लाए गए अन्य उपयुक्त नामों पर भी विचार कर सकती है। चयन

नियुक्त व्यक्ति, यदि पुष्टि हो जाती है, तो अधिनियम और संविधि के प्रावधानों के अधीन, निम्नानुसार अपने पद पर बना रहेगा: (क) शिक्षण स्टाफ (संकाय) और समूह 'घ' स्टाफ (ख) समूह 'क', 'ख' और 'ग' स्टाफ (गैर-संकाय) उस महीने के अंत तक जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उस महीने के अंत तक जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। बशर्ते कि जहां बोर्ड का विचार है कि छात्रों के हित में और शोधार्थियों को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक स्टाफ के किसी सदस्य को फिर से नियोजित किया जाना चाहिए, वह ऐसे सदस्य को सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र के अंत तक फिर से नियोजित कर सकता है, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है। आगे यह भी प्रावधान है कि जहां किसी ऐसे सदस्य को सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बाद पुनः नियोजित करना आवश्यक हो जाता है, वहां बोर्ड विजिटर के पूर्व अनुमोदन से ऐसे किसी सदस्य को प्रथमतः तीन वर्ष तक की अवधि के लिए तथा उसके पश्चात दो वर्ष तक के लिए पुनः नियोजित कर सकता है, तथा किसी भी स्थिति में यह अवधि शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से अधिक नहीं होगी, जिसमें वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

यह भी प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे सदस्य को शिक्षण तथा शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

(क) 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति

किसी कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित शर्तों पर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-10/68-टी.6 दिनांक 15 जुलाई, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित। 8 जुलाई, 1970 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एल 11011/11/77-टी.6 दिनांक 2 जून, 1977 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित। 27 मई, 1977 से प्रभावी।
† शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-6/78-टी.6 दिनांक 23 सितंबर, 1981 द्वारा सम्मिलित। 17 सितंबर, 1981 से प्रभावी।

(3)
(4)
(5)
(6)
नियुक्ति प्राधिकारी को संस्थान के किसी भी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति होगी, जो आवश्यक समझी जाए, बशर्ते कि यदि परिवीक्षा अवधि के बाद, अधिकारी की पुष्टि नहीं की जाती है और उसकी परिवीक्षा भी समाप्त हो जाती है औपचारिक रूप से विस्तारित नहीं किया गया है, तो उसे अस्थायी आधार पर जारी माना जाएगा और उसकी सेवाएं तब एक महीने के नोटिस पर या उसके बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त हो सकती हैं। (ए) 1 जुलाई, 1969 को या उसके बाद संस्थान में नियुक्त प्रत्येक स्नातक इंजीनियर, यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो प्रशिक्षण पर बिताए गए समय सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए भारत या विदेश में किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित पद पर सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा। बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति: - (i) ऐसी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी; और (ii) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। संस्थान का कोई भी कर्मचारी अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में लगाएगा तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या कारोबार या किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं होगा जो उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता हो, किन्तु इसमें निहित निषेध निदेशक की पूर्व अनुमति से किए गए शैक्षणिक कार्य और परामर्शदात्री अभ्यास पर लागू नहीं होगा, जो

कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक की स्वीकृति के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन दिया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान बिना किसी नोटिस के तथा बिना कोई कारण बताए स्टाफ के किसी भी सदस्य की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा। नियुक्ति प्राधिकारी को स्टाफ के किसी भी सदस्य की सेवाएं 3 महीने के नोटिस पर या उसके बदले में 3 महीने के वेतन के भुगतान पर समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि चिकित्सा आधार पर, बोर्ड द्वारा नामित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में उसका बने रहना अवांछनीय माना जाता है। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या टी - 24-30 / 64 - टी.6 दिनांक 13 मई, 1970 द्वारा सम्मिलित। 9 मई 1969 से प्रभावी।

(7)
(9)
बोर्ड को छंटनी या मितव्ययिता के आधार पर स्टाफ के किसी भी सदस्य की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को लिखित में छह महीने का नोटिस देना होगा या इसके बदले में छह महीने का वेतन देना होगा।
संस्थान का कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर अपनी नियुक्ति समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से इस अवधि को कम कर सकता है या संबंधित कर्मचारी को उस शैक्षणिक सत्र के अंत तक बने रहने के लिए कह सकता है, जिसमें नोटिस प्राप्त हुआ है।
निदेशक संस्थान में नियुक्त स्टाफ के किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है:
(क) जहां उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है या लंबित है या
(ख) जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ मामला जांच या परीक्षण के अधीन है। * बशर्ते कि जहां स्टाफ का कोई सदस्य अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है, चाहे वह किसी आपराधिक अपराध के संबंध में हो या निवारक निरोध के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत हो, तो स्टाफ के ऐसे सदस्य को निदेशक द्वारा उस तारीख से निलंबित माना जाएगा, जिस तारीख को उसे इस प्रकार निरुद्ध किया गया था। निलंबन की अवधि के दौरान, स्टाफ सदस्य निम्नलिखित भुगतानों का हकदार होगा, अर्थात्-
(क) निर्वाह भत्ता, छुट्टी वेतन के बराबर राशि जो स्टाफ सदस्य ले सकता था यदि वह आधे औसत वेतन या आधे वेतन पर छुट्टी पर रहा होता और इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता, यदि ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर स्वीकार्य हो:
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा संशोधित।
(ख)
बशर्ते कि जहां निलंबन की अवधि छह महीने से अधिक हो, निदेशक को पहले छह महीने की अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि में निम्नानुसार परिवर्तन करने का अधिकार होगा:
(i) निर्वाह भत्ते की राशि पहले छह महीने की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं उपयुक्त राशि से बढ़ाई जा सकती है, यदि निदेशक की राय में, निलंबन की अवधि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण से बढ़ाई गई है, सीधे नहीं स्टाफ सदस्य के कारण; (ii) निर्वाह भत्ते की राशि को पहले छह महीने की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं, एक उपयुक्त राशि से कम किया जा सकता है, यदि निदेशक की राय में निलंबन की अवधि स्टाफ सदस्य के कारण सीधे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से लंबी हो गई है; (iii) महंगाई भत्ते की दर, उप-खंड (i) और (ii) के तहत स्वीकार्य निर्वाह भत्ते की वृद्धि, या, जैसा भी मामला हो, घटी हुई राशि पर आधारित होगी। निलंबन की तारीख को स्टाफ सदस्य जिस वेतन को प्राप्त कर रहा था, उसके आधार पर समय-समय पर स्वीकार्य कोई अन्य प्रतिपूरक भत्ता, ऐसे भत्तों के आहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन। हालांकि, तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टाफ सदस्य यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय में संलग्न नहीं है। निम्नलिखित दंड अच्छे और पर्याप्त कारणों से तथा इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अनुसार, स्टाफ के किसी भी सदस्य पर लगाए जा सकते हैं: - (i) निंदा; 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित। (ii) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना; (iii) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण संस्थान को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक वसूली; 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी * शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी 44 45

(iv) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर या निम्नतर समय-मान में अवनति, या समय-मान में निम्नतर स्तर पर अवनति; अनिवार्य सेवानिवृत्ति; (vi) सेवा से हटाया जाना जो संस्थान के अधीन भावी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी; (vii) सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः संस्थान के अधीन भावी नियोजन के लिए अयोग्यता होगी। अयोग्यता किसी कर्मचारी पर उपर्युक्त (iv) से (vii) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जो उसकी नियुक्ति के अधीन है और जब तक कि जांच न हो जाए और कर्मचारी को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई का कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया जाए। किसी कर्मचारी पर उपर्युक्त (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जो उसकी नियुक्ति के अधीन है और जब तक कि संबंधित कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया जाए। उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, निम्नलिखित मामलों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं होगा; (क) जहां किसी कर्मचारी को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त या हटाया जाता है या पद में कमी की जाती है, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; (ख) जहां व्यक्ति को बर्खास्त या हटाने या पद में कमी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो कि उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी कारण से, उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या (ग) जहां कुलाध्यक्ष को यह संतुष्टि हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना समीचीन नहीं है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन कारण बताने का अवसर देना उचित रूप से व्यावहारिक है, तो उस व्यक्ति को बर्खास्त या हटाने या पद में कमी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा। (10) निदेशक द्वारा उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी उस आदेश के विरुद्ध बोर्ड में अपील करने का हकदार होगा तथा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जा सकेगी तथा बोर्ड द्वारा उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी उस आदेश के विरुद्ध कुलाध्यक्ष के समक्ष अपील करने का हकदार होगा।

इस उप-विधि के अंतर्गत कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत न की जाए, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है।
वह प्राधिकारी जिसके समक्ष उप-संविधि (10) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने वाले आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, अनुशासनात्मक कार्यवाही में मामले के अभिलेख मंगा सकता है, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है तथा ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, मानो सम्बन्धित कर्मचारी-वर्ग के सदस्य ने ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की हो। परन्तु इस उप-संविधि के अन्तर्गत कोई कार्यवाही, समीक्षा किये जाने वाले आदेश की तिथि के छः माह से अधिक समय पश्चात प्रारम्भ नहीं की जाएगी। इस संविधि में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष स्वप्रेरणा से या अन्यथा मामले के अभिलेख मंगाने के पश्चात, इस संविधि के अन्तर्गत पारित किसी आदेश या उसके अन्तर्गत अपील योग्य आदेश की समीक्षा कर सकता है, तथा -
(क) आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है;
(ख) कोई जुर्माना लगा सकता है या आदेश द्वारा लगाये गये जुर्माने को निरस्त, कम, पुष्टि या बढ़ा सकता है;
(ग) मामले को उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी को भेजकर ऐसी आगे की कार्रवाई या जांच का निर्देश दे सकता है जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है, या (घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझता है; परन्तु यह कि - (i) कोई दंड लगाने या बढ़ाने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसे बढ़े हुए दंड के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो; (ii) यदि कुलाध्यक्ष किसी मामले में, जहां उचित जांच नहीं

की गई है, उप-संविधि (9) के खंड (iv) से (vii) में निर्दिष्ट कोई दंड लगाने का प्रस्ताव करता है और उसके पश्चात ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करने के पश्चात तथा संबंधित स्टाफ सदस्य को ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझता है।

(13) उप-संविधि (10) या (11) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय, उप-संविधि (12) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। (14) (i) जब संस्थान के किसी कर्मचारी को, जिसे बर्खास्त, हटाया या निलंबित किया गया हो, पुनः बहाल किया जाता है, तो पुनः बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा और विशिष्ट आदेश देगा - (क) संस्थान के कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्तों के संबंध में; और (ख) उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि माना जाएगा या नहीं। (ii) जहां ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह मानता है कि संस्थान के कर्मचारी को पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया है, या निलंबन के मामले में, यह पूर्ण रूप से अनुचित था, तो संस्थान के कर्मचारी को वह पूर्ण वेतन दिया जाएगा जिसका वह हकदार होता यदि उसे, यथास्थिति, बर्खास्त, हटाया या निलंबित न किया गया होता, साथ ही वह भत्ता भी दिया जाएगा जो उसे उसकी बर्खास्तगी, हटाए जाने या निलंबन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।

(iii) अन्य मामलों में, संस्थान के कर्मचारी को ऐसे वेतन और भत्तों का ऐसा अनुपात दिया जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे।

बशर्ते कि खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते स्वीकार्य हैं।

(iv) खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर बिताई गई अवधि माना जाएगा।
(v) खंड (iii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि नहीं माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से निर्देश न दे कि इसे किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसा माना जाएगा। (15) संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। (16) संस्थान के कर्मचारी अनुसूची 'एए' में निर्धारित अनुसार स्वयं और अपने परिवार पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। (17) संस्थान के कर्मचारी अनुसूची 'बी' में निर्धारित आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे। (18) यह परिषद पर निर्भर होगा कि वह संस्थान के कर्मचारियों के किस वर्ग के लिए अवकाश का हकदार होगा। अस्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन
(i) अस्थायी कर्मचारी की सेवा किसी भी समय कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। ऐसे नोटिस की अवधि एक माह होगी, जब तक कि संस्थान और कर्मचारी द्वारा अन्यथा सहमति न हो।
(ii) ऐसे कर्मचारी की सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन वे होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट किए जाएं।
अनुबंध पर नियुक्ति
(1) इन विधियों में निहित किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विशेष परिस्थितियों में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनुबंध पर नियुक्त कर सकता है, जिसमें आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण का प्रावधान होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति और उसकी शर्तें कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगी।
(2) अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड किसी व्यक्ति को निर्धारित वेतनमान में और संबंधित पद पर लागू शर्तों और निबंधनों पर 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनुबंध पर नियुक्त कर सकता है, जिसमें आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण का प्रावधान होगा। ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिए, अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसी तदर्थ चयन समितियों का गठन कर सकता है, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो।
(3) इन विधियों में निहित किसी भी बात के बावजूद, परिषद किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुबंध पर निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिसमें आगे की अवधि के लिए

नवीनीकरण का प्रावधान है, बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति और उसकी शर्तें विजिटर के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-10 / 68 - टी.6 दिनांक 24 मई 1969 द्वारा जोड़ा गया। 22 मई, 1969 से प्रभावी

48

49

18.
अंशदायी भविष्य निधि
(1)
अनुसूची 'सी' में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि का गठन, रखरखाव और प्रशासन किया जाएगा। इन परिनियमों के लागू होने से ठीक पहले संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाए गए अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं द्वारा की गई सभी संचित राशि, परिनियम के तहत गठित अनिवार्य भविष्य निधि में स्थानांतरित हो जाएगी और इस प्रकार गठित निधि में हकदार कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी जाएगी। कोई अभिदाता इस प्रकार गठित निधि में अपनी परिलब्धियों के 8-1/3 प्रतिशत से कम राशि का अंशदान नहीं करेगा, लेकिन उक्त निधि में संस्थान का अंशदान अभिदाता की परिलब्धियों के 8-1/3 प्रतिशत तक सीमित होगा। (2) अनुसूची सी में निहित प्रावधानों के अधीन, संस्थान के सभी स्थायी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1971 से पहले नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने अन्यथा, संविधि 18ए में निर्दिष्ट अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना या संविधि 18बी में निर्दिष्ट सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, वे अंशदायी भविष्य निधि में शामिल होंगे।
(3)
33333
संस्थान का कोई भी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के लाभों का हकदार नहीं होगा, जिसकी संस्थान में सेवाएं उसे पेंशन और ग्रेच्युटी का हकदार बनाती हैं या जिसके खाते में संस्थान पेंशन के लिए अंशदान करता है या जिसे संस्थान द्वारा समेकित वेतन पर या विशेष शर्तों पर नियुक्त किया गया है, जिसमें भविष्य निधि के लाभों को शामिल नहीं किया जाता है।
(4) किसी कर्मचारी द्वारा संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य संस्थान या अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल होने की स्थिति में, संविधि 18ए या 18बी में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, अंशदायी भविष्य निधि में उसका संचय संस्थान को या, जैसा भी मामला हो, जिस विश्वविद्यालय में वह शामिल होता है, उसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-2/71-टी.6 दिनांक 24 नवम्बर, 1971 द्वारा संशोधित। 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी।
*शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-10-20/76-टी.6 दिनांक 20 फरवरी, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 फरवरी, 1979 से प्रभावी।
50
18ए. अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी, -
. †
#
**
(1)
जो संविधि 18 के खंड (2) में निर्दिष्ट है, या,
(ii) जो अस्थायी आधार पर नियुक्ति रखता है, लेकिन अनुसूची सी के उप-पैरा (2ए) के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर रहा है या अंशदान करने की अपेक्षा है
(iii)
या,
जो पहली बार नियुक्त किया गया हो या 1 जनवरी 1971 को या उसके बाद पुनः नियुक्त किया गया हो, वह अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए संस्थान द्वारा प्रायोजित अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है।
योजना

बशर्ते कि ऐसा कोई विकल्प किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं चुना जाएगा जिसे संस्थान द्वारा समेकित वेतन पर या विशेष शर्तों पर नियुक्त किया गया हो जिसमें अंशदायी भविष्य निधि के लाभ शामिल नहीं हैं या जिसने संविधि 18बी में निर्दिष्ट सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना के लिए विकल्प चुना हो।

(2) ऐसा कोई विकल्प अनुसूची ई के परिशिष्ट I में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र I में चुना जाएगा, -

* (i) उप-खंड (i) (1 अप्रैल 1962 से पूर्व नियुक्त या पुनर्नियुक्त स्थायी कर्मचारी को छोड़कर) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में 1 जनवरी 1971 से तीन महीने की अवधि के भीतर।

"(ia) 1 अप्रैल 1962 से पूर्व नियुक्त या पुनर्नियुक्त कर्मचारी के मामले में, 1.12.1971 की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर और

मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया शिक्षा पत्र संख्या एफ - 24-23 / 65 - टी.6 दिनांक 6 जनवरी, 1971। 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-61 / 76 - टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा संशोधित। 11 जुलाई 1978 से प्रभावी

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-21 / 71 - टी.6 दिनांक 24 नवंबर 1971 द्वारा संशोधित। 1 जनवरी 1971 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-2 / 71 - टी.6 दिनांक 24 नवंबर, 1971 द्वारा सम्मिलित। 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी।

एल

(ii) उप-खण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के मामले में, एक या लगातार सेवा वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो; पुष्टि उप-खण्ड (i) या (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी से ऐसा विकल्प प्राप्त होने पर, ऐसे विकल्प का प्रयोग किए जाने से ठीक पहले संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाए गए अंशदायी भविष्य निधि में ऐसे किसी भी कर्मचारी के सभी संचय, संस्थान के अंशदान का एक-तिहाई प्रतिशत घटाकर, उस पर ब्याज सहित, नए अंशदायी भविष्य निधि में स्थानांतरित हो जाएंगे, जो संस्थान को वापस कर दिया जाएगा और उसके कोष में जमा कर दिया जाएगा। (3ए) (क) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी -

(i) जो संविधि 18 द्वारा शासित है या जिसने संविधि 18बी के उप-संविधि (1) और (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है या
(ii) जो 1-7-77 को या उसके पश्चात् प्रथम बार नियुक्त किया गया हो या पुनर्नियुक्त किया गया हो, वह कर्मचारियों के लाभ के लिए संस्थान द्वारा प्रायोजित अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है:
बशर्ते कि ऐसा कोई विकल्प किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं चुना जाएगा जिसे संस्थान द्वारा समेकित वेतन पर या विशेष शर्तों पर नियुक्त किया गया हो, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लाभ शामिल नहीं हैं।
(ख) ऐसा कोई भी विकल्प इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अनुसूची ई के परिशिष्ट I में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र I में चुना जाएगा और एक बार चुना गया ऐसा कोई भी विकल्प अंतिम होगा। (ग) खंड (क) के उपखंड (i) या (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी से ऐसा विकल्प प्राप्त होने पर, ऐसे किसी भी कर्मचारी की सीपीएफ या जीपीएफ-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजनाओं में सभी संचय, जो ऐसे विकल्प का प्रयोग किए जाने से तुरंत पहले संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाए गए थे, शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा सम्मिलित। 11 जुलाई 1978 से प्रभावी।
(4) संस्थान के अंशदान का एक तिहाई प्रतिशत घटाकर अंशदायी भविष्य निधि में स्थानांतरित हो जाएगा, साथ ही उन अंशदायी भविष्य निधि से ब्याज भी जो संविधि 18 द्वारा शासित हैं, जो संस्थान को वापस कर दिया जाएगा और इसके कोष में जमा किया जाएगा। ऐसा कोई भी कर्मचारी इस प्रकार गठित निधि में अपनी परिलब्धियों के आठ और एक तिहाई प्रतिशत से कम राशि का अंशदान नहीं करेगा, किन्तु उक्त निधि में संस्थान का अंशदान उसकी परिलब्धियों के आठ प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
(5) ऐसा कोई भी कर्मचारी, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्ण की गई छह-मासिक सेवा अवधि के लिए अपनी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर उपदान का भी हकदार होगा, जो परिलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुना या तीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के अधीन होगा।
(6) ऐसा कोई भी कर्मचारी जो संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य संस्थान या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए जा रहा है, वह नए संस्थान या, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय की संगत योजना में शामिल होगा और निधि में उसका सारा संचय नए संस्थान या विश्वविद्यालय की संगत निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
(7)
182
(8) ऐसे किसी भी कर्मचारी को अंततः देय कुल उपदान की देयता प्रत्येक संस्थान में अर्हक सेवा की अवधि के अनुपात में संस्थानों के बीच वितरित की जाएगी। इस संविधि में अन्यथा प्रावधान के अलावा, अन्य सभी मामलों में इस संविधि की अनुसूची ई में निहित प्रावधान इस योजना के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-6 / 76 - टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 जनवरी 1973 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 10-20 / 76- टी.6 दिनांक 20 फरवरी, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 फरवरी 1979 से प्रभावी। एल 52 53 ┐

टी

18बी . सामान्य भविष्य निधि - पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना

(1) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी, -

* (2)

(i) जो संविधि 18 के खंड (2) में निर्दिष्ट है, या

(ii) जो अस्थायी आधार पर नियुक्ति रखता है, किन्तु अनुसूची सी के उप-पैरा (2ए) के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर रहा है या अंशदान करने की अपेक्षा है,

या

(iii) जो 1 जनवरी, 1971 को या उसके पश्चात् प्रथम बार नियुक्त किया गया हो या पुनः नियुक्त किया गया हो, या,

(iv) जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) अधिनियम, 1956 (1956 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा शासित है, जैसा कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की अनुसूची में निर्धारित है, सामान्य भविष्य निधि में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है - संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रायोजित सामान्य भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना:

बशर्ते कि ऐसा कोई विकल्प किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं चुना जाएगा, जिसे संस्थान द्वारा समेकित वेतन पर या विशेष शर्तों पर नियुक्त किया गया हो, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि योजना के लाभ शामिल नहीं हैं या जिसने संविधि 18ए में निर्दिष्ट अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना के लिए विकल्प चुना है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी इस संविधि में निर्दिष्ट सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना के पक्ष में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प चुनने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने योजना के लिए अपना विकल्प चुना है। ऐसा कोई भी विकल्प अनुसूची एफ के परिशिष्ट I में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र I में प्रयोग किया जाएगा, - * (i) उप-खंड (i) (1 अप्रैल 1962 से पूर्व नियुक्त या पुनः नियुक्त स्थायी कर्मचारी को छोड़कर) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में, 1 जनवरी 1971 से तीन महीने की अवधि के भीतर। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-24-23/65-टी.6 दिनांक 6 जनवरी 1971 द्वारा सम्मिलित। 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-61/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा संशोधित। 11 जुलाई 1978 से प्रभावी। * शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-2/71-टी.6 दिनांक 24 नवंबर 1971 द्वारा संशोधित। 1 जनवरी 1971.

(3)

(आइए) 1 अप्रैल 1962 से पूर्व नियुक्त या पुनः नियुक्त कर्मचारी की स्थिति में, 1.12.1971 से तीन माह की अवधि के भीतर, तथा;

(ii) उप-खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कर्मचारी की स्थिति में, एक वर्ष की अस्थायी सेवा या स्थायीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

उप-खण्ड (i) या (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी से ऐसा विकल्प प्राप्त होने पर, 'अंशदायी भविष्य निधि' में कर्मचारी के खाते में जमा संस्थान के अंशदान की राशि, उस पर ब्याज सहित, संस्थान को वापस कर दी जाएगी तथा उसे उसके कोष में जमा कर दिया जाएगा तथा उक्त निधि से लिए गए अग्रिमों, यदि कोई हों, के समायोजन के पश्चात अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी के स्वयं के अंशदान की राशि, उस पर ब्याज सहित, संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए खोले जाने वाले सामान्य भविष्य निधि में उसके अंशदान के रूप में रखी जाएगी। (3ए) (क) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी - (i) (ii) जो संविधि 18 द्वारा शासित है या जिसने संविधि 18ए के उप-संविधि (1) और (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है या जो 1-7-1977 को या उसके पश्चात् प्रथम बार नियुक्त या पुनर्नियुक्त हुआ हो, वह कर्मचारियों के लाभ के लिए संस्थान द्वारा प्रायोजित सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है: परन्तु ऐसा कोई विकल्प ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं चुना जाएगा जिसे संस्थान द्वारा समेकित वेतन पर या विशेष शर्तों पर नियुक्त किया

गया हो जिसमें लाभ या सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं शामिल न हों। (ख) ऐसा कोई भी विकल्प इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अनुसूची एफ के परिशिष्ट I में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र I में चुना जाएगा और एक बार चुना गया ऐसा कोई भी विकल्प अंतिम होगा। (ɔ) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी से ऐसा विकल्प प्राप्त होने पर अंशदान की राशि शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-2/71-टी.6 दिनांक 24 नवम्बर, 1971 द्वारा सम्मिलित। 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा सम्मिलित। 11 जुलाई, 1978 से प्रभावी।

55

एल

सीपीएफ या सीपीएफ-सह-ग्रेच्युटी योजना में कर्मचारी के खाते में जमा ब्याज सहित संस्थान को वापस कर दिया जाएगा तथा संस्थान के कोष में जमा कर दिया जाएगा तथा उक्त कोष से लिए गए अग्रिमों, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात सीपीएफ-सह-ग्रेच्युटी में कर्मचारी के स्वयं के अंशदान की राशि, उस पर ब्याज सहित, संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए खोले गए जीपीएफ में उसके अंशदान के रूप में रखी जाएगी।
(4)। स्थायी कर्मचारी या खंड (I) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 1970 को या उसके बाद, किन्तु 1 जनवरी, 1971 से पहले अंशदायी भविष्य निधि लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुआ है या सेवानिवृत्त होता है, उसे सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, यदि वह 1 जनवरी, 1971 से तीन महीने के भीतर अनुसूची एफ के परिशिष्ट I में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र II में विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसके भविष्य निधि में संस्थान का अंशदान उस पर ब्याज सहित, यदि पहले ही भुगतान किया गया हो, उक्त योजना के तहत उसे स्वीकार्य मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, संस्थान को नकद में वापस कर दी जाएगी। (5) ऐसा कोई भी कर्मचारी, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्ण की गई छह-मासिक सेवा अवधि के लिए अपने परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर ग्रेच्युटी का भी हकदार होगा, जो परिलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुना या तीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के अधीन होगी।
(6) ऐसा कोई भी कर्मचारी जो अधिनियम के तहत निगमित किसी अन्य संस्थान में शामिल होने के लिए संस्थान छोड़ता है, वह नए संस्थान की संगत योजना में शामिल होगा और निधि में उसके संचय को नए संस्थान की संगत निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
* (7) ऐसे कर्मचारी को अंततः देय कुल ग्रेच्युटी और पेंशन की देयता प्रत्येक संस्थान या संस्थान और विश्वविद्यालय में अर्हक सेवा की अवधि के अनुपात में संस्थान या विश्वविद्यालय के बीच वितरित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-8/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।
↑ शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-10-20/76-टी.6 दिनांक 20 फरवरी, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 फरवरी, 1979 से प्रभावी।

18 :
(8)
संविधि में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, अन्य सभी मामलों में, इन संविधि की अनुसूची एफ में निहित प्रावधान इस योजना के प्रयोजन के लिए लागू होंगे।
बशर्ते कि सामान्य भविष्य निधि में अंशदान से जीवन बीमा पॉलिसियों के भुगतान के संबंध में, अनुसूची ई में निहित प्रावधान लागू होंगे।
19. अवकाश और छुट्टी
(1) संस्थान के कर्मचारी अनुसूची 'डी' में निर्धारित अवकाश और छुट्टी के हकदार होंगे। (2) 1 अप्रैल, 1962 से ठीक पहले संस्थान की सेवा में कार्यरत किसी कर्मचारी के खाते में जमा संचित अवकाश की राशि, अवकाश की निर्धारित सीमा के अधीन, उस तिथि के पश्चात उसे उपलब्ध हो जाएगी।

(3) जब कोई कर्मचारी किसी अन्य संस्थान या किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल होता है, तो ऐसे शामिल होने की तिथि से ठीक पहले की तिथि को उसके खाते में जमा अवकाश को आगे ले जाया जाएगा तथा उस संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय में उसके अवकाश खाते में जमा कर दिया जाएगा, जिसमें वह शामिल होता है, बशर्ते कि वह निर्धारित सीमा तक अवकाश जमा करे।

20. कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास

(1) संस्थान के कर्मचारियों को, यदि उपलब्ध हो, तो संस्थान के परिसर में स्थित बिना साज-सज्जा वाले मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिनमें उन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, निवास करना होगा।

(2) (क) संस्थान के किसी कर्मचारी को, जिसे संस्थान आवास आवंटित किया गया है, उसके पारिश्रमिक का दस प्रतिशत या उसके द्वारा अधिगृहित आवास की पूंजीगत लागत (नगरपालिका प्रभार सहित) का छह प्रतिशत प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से किराया लिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-10-20/76-टी.6 दिनांक 20 फरवरी, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 फरवरी, 1979 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-2/10-टी.6 दिनांक 24 जून, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित। 19 जून, 1971 से प्रभावी।

*शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-7/76-टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा संशोधित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।

21.
24
बशर्ते कि संशोधित वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में, और जिनकी परिलब्धियां 440 रुपये प्रतिमाह से कम हैं, किराया पूंजीगत लागत (नगरपालिका प्रभारों सहित) के छह प्रतिशत प्रति वर्ष पर परिलब्धियों के 7.5 प्रतिशत की दर से, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।
इसके अलावा, संशोधित वेतनमान में 440 रुपये प्रतिमाह और उससे अधिक परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में, किराए की कटौती के बाद शुद्ध परिलब्धियां 421.55 रुपये से कम नहीं होंगी।
(ख) इसके अतिरिक्त, पानी, बिजली और प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए ऐसे प्रभार वसूल किए जाएंगे, जैसा कि निदेशक द्वारा समय-समय पर और निदेशक के मामले में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। (3) बोर्ड किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को किराया-मुक्त सुसज्जित या असुसज्जित आवास या रियायती किराए पर आवास देने को अधिकृत कर सकता है, यदि वह संस्थान के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है। विभाग
(1) संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे:
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग
टी
(ए)
#
(बी)
कृषि खाद्य इंजीनियरिंग
0
(सी)
वास्तुकला और क्षेत्रीय योजना
रासायनिक इंजीनियरिंग
□ (डी)
(ई)
(एफ)
(जी)
(एच)
(आई)
(जे)
रसायन विज्ञान
सिविल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरिंग भूविज्ञान और भूभौतिकी
मानविकी और सामाजिक विज्ञान
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-7/76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा संशोधित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।
* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ - 2-38/87 - टी.6 दिनांक 21 जुलाई, 1989 द्वारा संशोधित। 6 जुलाई, 1989 से प्रभावी। 1989.
#
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा विभाग के पत्र डीओ एफ.सं. 11-1/94- टीडी.आई दिनांक 28 जुलाई, 1994 द्वारा संशोधित।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ - 11-2/68- टी.6 दिनांक 23 जनवरी, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

22 .
+
#
•
(k)
=
(n)
गणित
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
#
(m)
धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग
खनन इंजीनियरिंग
(0)
महासागर इंजीनियरिंग और नौसेना
#
वास्तुकला
(p)
भौतिकी और मौसम विज्ञान
(q)
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग
(r)
औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन
(s)
जैव प्रौद्योगिकी
*
बशर्ते कि इसके अतिरिक्त बोर्ड सीनेट की सिफारिश पर एक या एक से अधिक स्कूल या शोध केंद्र स्थापित या समाप्त कर सकता है।
विभागाध्यक्ष
(1) संस्थान के प्रत्येक विभाग का प्रभार एक अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, जिसका चयन निदेशक द्वारा प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों में से किया जाएगा।
बशर्ते कि जब निदेशक की राय में स्थिति ऐसी मांग करती है, तो निदेशक स्वयं किसी विभाग का अस्थायी प्रभार ले सकता है या इसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी अन्य विभाग के उप निदेशक या प्रोफेसर के प्रभार में रख सकता है।
(2) विभाग का प्रमुख निदेशक के सामान्य नियंत्रण के अधीन विभाग के संपूर्ण कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा।
(3) विभाग के प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि संस्थान के अधिकारियों और निदेशक के निर्णयों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-3 / 82 - टी.6 दिनांक 20 मार्च, 1983 द्वारा डाला गया। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ 11-3 / 82 - टी.6 दिनांक 10 नवंबर, 1983 द्वारा डाला गया। 10.10.83 से प्रभावी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार भारत सरकार, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ.11-7/98 - टी.एस.आई. दिनांक 16 जुलाई, 1999।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-7/76 - टी.6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा जोड़ा गया। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-43/64 - टी.6 दिनांक 4/6 दिसंबर, 1965 द्वारा संशोधित।

एल
58
59

23. फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कार की स्थापना संस्थान द्वारा निम्नलिखित फेलोशिप, छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे; (1) इस संबंध में अध्यादेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले 25 प्रतिशत छात्रों को 75 रुपये प्रति माह के मूल्य की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। (2) (क) विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियां, जो मास्टर डिग्री की ओर ले जाती हैं, निःशुल्क ट्यूशन का विशेषाधिकार प्रदान करेंगी। (ख) विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या के अतिरिक्त 10 प्रतिशत छात्रों को केवल साधनों के आधार पर निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये पुरस्कार अध्यादेशों में इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार दिए जाएंगे। (3) संस्थान में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को 250 रुपये प्रतिमाह के मूल्य की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियाँ अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी। (4) संस्थान द्वारा 1 अगस्त 1965 से प्रति माह 150 रुपये के मूल्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण वजीफा उन स्नातकों को प्रदान किया जाएगा, जो पहले अंतिम वर्ष की कक्षा में संस्थान की छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। वजीफा एक वर्ष की अवधि के लिए देय होगा और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-26 / 68 - टी.6 दिनांक 27 अप्रैल, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।
60
टी
(5)
+ (6)
(7)
संस्थान में प्रवेश प्राप्त सभी शोधार्थियों को नीचे उल्लिखित मूल्य की शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी: - (क) इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों में शोध कर्मी, बशर्ते कि शोधार्थियों ने इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में दो वर्ष की अवधि की मास्टर डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो या इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद संस्थान द्वारा अनुमोदित अध्ययन / अनुसंधान में दो वर्ष बिताए हों और संस्थान द्वारा पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत हों
(ख) (i) विज्ञान और अन्य विषयों में शोध कर्मी, बशर्ते कि शोधार्थियों के पास उपयुक्त क्षेत्र में मास्टर डिग्री हो (ii) इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों में शोध कर्मी, बशर्ते कि शोधार्थियों के पास इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री हो
रु. 400 प्रति माह
रु. 300 प्रति माह

300 रुपये प्रति माह

छात्रवृत्ति अनुसंधान की अवधि के लिए मान्य होगी, अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन। संस्थान में अपने कार्य की अवधि के लिए अनुसंधान अध्येताओं को 500 रुपये प्रतिमाह के मूल्य की पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान की जाएगी। यह पुरस्कार अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा और इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

बोर्ड, सीनेट की सिफारिशों पर, ऐसी प्रदर्शनी, पदक और पुरस्कार स्थापित कर सकता है, जिन्हें वह वांछनीय समझता है। पुरस्कार इस संबंध में अध्यादेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार दिए जाएंगे।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-2 / 68 - टी.6 दिनांक 14 फरवरी, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित। 9 फरवरी, 1974 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-1 / 71 - टी.6 दिनांक 15 दिसंबर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 दिसंबर, 1971 से प्रभावी।

24 .

फीस

(1) संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस निम्नलिखित होगी:

(ii) द्वितीय सेमेस्टर, चार बराबर किस्तों में देय

रु. 40

रु. 80

(क)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क केवल आवेदन शुल्क के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा....

रु. 15

बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी उम्मीदवार से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा

(iii) ग्रीष्मकालीन अवकाश, जिनके लिए संस्थान की अनुमति से अवकाश के दौरान हॉल में रहना आवश्यक है, एक किस्त में

रु. 15

रु. 15

(ख)

रु. 10

(iv) शीतकालीन अवकाश, जिनके लिए संस्थान की अनुमति से अवकाश के दौरान हॉल में रहना आवश्यक है, एक किस्त में

रु. 5

रु. 5

(ग)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क, प्रवेश के समय देय

(i) विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन शुल्क, जो मास्टर डिग्री की ओर ले जाता है, आठ बराबर किस्तों में देय है, रु. 200

प्रति वर्ष

(ii) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन शुल्क, आठ बराबर किस्तों में देय है रु. 300

प्रति वर्ष

* (iii) पीएचडी के लिए काम करने के लिए ट्यूशन शुल्क, आठ बराबर किस्तों में देय है, शोध कार्यकर्ता पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत संस्थान के कर्मचारी सदस्य को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

प्रति वर्ष

(ई) (i) चिकित्सा परीक्षा शुल्क

(ii) जिमखाना शुल्क

(iii) चिकित्सा निधि (प्रवेश के समय और संस्थान में पहले से ही छात्रों के मामले में ट्यूशन शुल्क की पहली किस्तों के साथ देय)

मास्टर के लिए परीक्षा शुल्क

रु. 2 प्रति वर्ष

रु. 20 प्रति वर्ष

रु. 5 प्रति वर्ष

रु. 300 प्रति वर्ष

(च)

डिग्री/पोस्ट कोर्स

स्नातक

डिप्लोमा

रु. 100.

उच्च डिग्री

रु. 200.

स्नातकोत्तर

स्नातकोत्तर

(छ)

सभी छात्रों, विद्वानों और साथियों के लिए अनुपस्थिति में प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा के लिए शुल्क

रु. 10

रु. 40

रु. 80

(ज)

शुल्क और ग्रेड कार्ड

रु. 5

(झ)

पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकरण शुल्क

रु. 5

टी

* (घ) (i) I सेमेस्टर, चार बराबर किस्तों में देय

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-2 / 78 - टी.6 दिनांक 7 जुलाई, 1978 द्वारा जोड़ा गया। 30 जून, 1978 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-46 / 63 - टी.6 दिनांक 2 जुलाई, 1964 द्वारा जोड़ा गया।

*शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-4 / 79 - टी.6 दिनांक 4 मई, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित। 19 अप्रैल, 1982 से प्रभावी।

62

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-1 / 67 - टी.6 दिनांक 23 मार्च, 1968 द्वारा संशोधित।

63

(i) (i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क आवेदन शुल्क के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा
(ii) शोध विद्वानों और स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए पंजीकरण शुल्क (प्रवेश के समय देय होगा)
(k) माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क
(1) क्रॉस्ड सूची जारी करने के लिए शुल्क
(m) संस्थान परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने के लिए शुल्क
(n) डुप्लीकेट ग्रेड कार्ड जारी करने के लिए शुल्क
रु. 5
रु. 5
रु. 5
रु. 5
रु. 5 प्रति पेपर
रु. 3
(o) डुप्लीकेट डिप्लोमा जारी करने के लिए शुल्क
रु. 10
(p) डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क
रु. 3
(q) डुप्लीकेट क्रॉस्ड सूची जारी करने के लिए शुल्क
रु. 2
(आर)
कॉशन मनी:
(i) स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अग्रिम भुगतान
रु. 25
शोध विद्वानों और पोस्ट डॉक्टरल फेलो के लिए अग्रिम भुगतान
रु. 100
जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।
(एस) ऊपर प्रदान नहीं किए गए पाठ्यक्रमों के लिए
शोध विद्वानों और फेलो से कॉशन मनी जमा की वसूली विशेष मामलों में निदेशक द्वारा संस्थान या सरकार के किसी जिम्मेदार स्थायी कर्मचारी से जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर माफ की जा सकती है।
छात्रों, विद्वानों और फेलो को संस्थान छोड़ने के चार साल के भीतर प्रासंगिक बकाया, यदि कोई हो, की कटौती के बाद कॉशन मनी वापस की जा सकती है। यदि इस अवधि के भीतर वापसी के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कॉशन मनी संस्थान कोष में जमा कर दी जाएगी। निदेशक, पर्याप्त कारणों से, इस अवधि की समाप्ति के बाद कॉशन मनी की वापसी के लिए दावों की जांच और मनोरंजन कर सकते हैं। (2) यदि कोई छात्र, विद्वान या अध्येता अधिसूचित तिथि तक अपनी बकाया राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे 1 रुपये का विलम्ब जुर्माना देना होगा, बशर्ते कि वह अपनी बकाया राशि उस माह के अंत से पहले चुका दे, जिसमें बकाया राशि देय थी और यदि वह आगामी माह की 15 तारीख तक बकाया राशि चुका देता है, तो उसे 5 रुपये का जुर्माना देना होगा।

इस तिथि के पश्चात् छात्र का नाम काट दिया जाएगा और उसे पुनः प्रवेश शुल्क के भुगतान पर पुनः प्रवेश दिया जा सकता है तथा कोई विलम्ब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

यदि वह इस तिथि तक अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसका नाम नामांकन सूची से काट दिया जाएगा। निदेशक, पर्याप्त कारणों से, किसी भी छात्र, विद्वान या अध्येता को, जिसका नाम नामांकन सूची

से काट दिया गया है, बकाया राशि के साथ 3 रुपये का जुर्माना और 5 रुपये का पुनः प्रवेश शुल्क अदा करने पर पुनः प्रवेश दे सकता है, बशर्ते कि ऐसा पुनः प्रवेश उस माह के अंत से पहले मांगा गया हो, जिसमें उसका नाम काटा गया है। निदेशक, योग्य मामलों में विलम्ब जुर्माना और पुनः प्रवेश शुल्क की वसूली से छूट दे सकता है। वह इस अधिकार को रजिस्ट्रार को भी सौंप सकता है और ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(3) सभी फीस और जमा राशि का भुगतान क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर, क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रॉस्ड चेक द्वारा नकद में किया जाना आवश्यक है। संस्थान की बकाया राशि का भुगतान मनी ऑर्डर द्वारा भी किया जा सकता है, प्रेषण की तिथि को भुगतान की तिथि माना जाएगा।

* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-50 / 65 - टी.6. दिनांक 28 अक्टूबर, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित। 10 अक्टूबर, 1968 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-3 / 70 - टी.6 द्वारा जोड़ा गया। दिनांक 31 मई, 1971. 27 मई, 1971 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 76-6 दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित। 22 अक्टूबर, 1977 से प्रभावी।

65

एल

64

25. हॉल और छात्रावास
26.
(1) संस्थान एक आवासीय संस्थान होगा और सभी छात्र, शोधार्थी और शोधार्थी इस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा निर्मित छात्रावासों और हॉल में निवास करेंगे।
अपवादात्मक मामलों में निदेशक किसी छात्र, शोधार्थी या फेलो को उसके माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने की अनुमति दे सकता है, लेकिन जहां ऐसी अनुमति किसी छात्र, शोधार्थी या फेलो को दी जाती है, वहां ऐसा छात्र, शोधार्थी या फेलो, जैसा भी मामला हो, ऐसे आवास किराए के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि वह छात्रावास में रहने पर किराए के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता।

(2) हॉल और छात्रावास में प्रत्येक निवासी इस उद्देश्य के लिए सीनेट द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेगा।
(3) प्रत्येक आवास हॉल के लिए एक वार्डन और सहायक वार्डन और अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या होगी, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
(4) वार्डन और सहायक वार्डन के पद संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ के सदस्यों द्वारा संभाले जाएंगे। नियुक्ति निदेशक द्वारा की जाएगी। (5) वार्डन और सहायक वार्डन, संस्थान के शिक्षकों के रूप में सामान्यतः जिस प्रकार के क्वार्टर के हकदार हैं, उसी प्रकार के क्वार्टर के अनुरूप नि:शुल्क बिना साज-सज्जा वाले क्वार्टर किराए पर लेने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते कि यदि किसी प्रोफेसर को वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह कोई भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। (6) आवास और छात्रावासों का प्रबंधन निदेशक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। मानद उपाधियों का प्रदान करना मानद उपाधियों के प्रदान करने के सभी प्रस्ताव सीनेट द्वारा बनाए जाएंगे और पुष्टि के लिए विजिटर को प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड की सहमति की आवश्यकता होगी। बशर्ते कि अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष बोर्ड की ओर से विजिटर को ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सेवा का अनुबंध [देखें क़ानून 7 (3)]
दिन ...
अनुसूची ए
एक
इस हजार नौ सौ ……. को एक पक्ष के (जिसे इसके बाद नियुक्त व्यक्ति कहा जाएगा) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 59) के तहत निगमित है, जैसा कि प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम 29) द्वारा संशोधित किया गया है (जिसे इसके बाद संस्थान कहा जाएगा) के बीच सेवा के लिए एक समझौता किया गया है। जबकि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 17 (1) और संस्थान के परिनियमों के परिनियम 15 (3) (खड़गपुर के मामले में 17 (3)) (जिसे आगे परिनियम कहा जाएगा) के अनुसार अधिनियम में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद (जिसे आगे परिषद कहा जाएगा) ने विजिटर के अनुमोदन से, नियुक्त व्यक्ति को ..... वर्षों के लिए अनुबंध पर संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है और नियुक्त व्यक्ति ने ऐसी नियुक्ति को इसमें आगे दिखाई गई शर्तों और नियमों पर स्वीकार कर लिया है। अब ये साक्षी प्रस्तुत करते हैं और इसके पक्षकार क्रमशः निम्नानुसार सहमत हैं:
(1)
(2)
(3)
सेवा का यह करार हर समय अधिनियम के प्रावधानों और संस्थान को कवर करने वाले परिनियमों के अधीन माना जाएगा, जो स्थायी पुष्ट कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू होते हैं।
नियुक्त व्यक्ति समझौते के तहत ..... अर्थात पदभार ग्रहण करने की तिथि से कई वर्षों की अवधि के लिए सेवा में रहेगा।
बशर्ते कि यदि नियुक्त व्यक्ति उपर्युक्त सेवा अवधि के समापन पर 60 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा उस शैक्षणिक वर्ष की 30 जून तक जारी रहेगी जिसमें नियुक्त व्यक्ति ने सेवा की उक्त अवधि समाप्त की है

या जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। नियुक्त व्यक्ति संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा उक्त अधिनियम और संविधि में प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान की सेवा करेगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 10-1 / 76 - टी.6 दिनांक 26 नवंबर, 1976 द्वारा निगमित। 20 नवंबर, 1976 से प्रभावी।

एल

66

67

(4)
(5)
(6)
(7)
नियुक्त व्यक्ति अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में लगाएगा तथा उक्त अधिनियम और संविधि के आचरण नियमों और अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा के दौरान या उसके संबंध में तथा जिस कार्य पर वह लगा हुआ है, प्राप्त की गई कोई भी जानकारी गुप्त और गोपनीय मानी जाएगी तथा नियुक्त व्यक्ति सभी मामलों में समय-समय पर संशोधित भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अधीन समझा जाएगा।

निलंबन की किसी अवधि और बिना वेतन के अवकाश की किसी अवधि को छोड़कर अपनी सेवा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति भारतीय आयकर के अधीन 25,000/- रुपये के वेतनमान में 35,000/- रुपये के आरंभिक वेतन का हकदार होगा, बशर्ते कि यदि नियुक्त व्यक्ति किसी समय भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि गवर्नर बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि भत्ते भी प्राप्त करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर देय होंगे। इन प्रावधानों के अंतर्गत अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति, समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अधीन, संविधि में किए गए प्रावधानों के अनुसार संस्थान के अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी में अंशदान करेगा तथा संविधि के अनुसार स्थायी स्थायी कर्मचारियों को स्वीकार्य संस्थान के अंशदान का भी हकदार होगा। यदि नियुक्त व्यक्ति किसी अन्य आईआईटी का कर्मचारी है तथा सीपीएफ-सह-ग्रेच्युटी योजना या जी.पी. निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह संविधि के अंतर्गत स्वीकार्य इस संचय के हस्तांतरण के साथ संस्थान की संगत योजना में शामिल हो जाएगा। यदि नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी है तो वह इस संविदा नियुक्ति से ठीक पहले अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना या सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी द्वारा शासित होता रहेगा तथा इस संविदा के तहत अपनी सेवा अवधि के लिए इस संस्थान के अन्य स्थायी कर्मचारियों की तरह ही इस योजना के लाभों के लिए पात्र होगा। इसमें पहले से निहित किसी बात के होते हुए भी, नियुक्त व्यक्ति, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, संस्थान द्वारा निर्धारित किसी भी लाभ का पूरा या आंशिक रूप से हकदार होगा। (8) (9) (10) (11) संस्थान द्वारा वेतनमान के संशोधन में सुधार और सेवानिवृत्ति लाभों में जो संस्थान द्वारा इन प्रस्तुतियों की तिथि के अधीन संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा की शर्तों और निबंधनों में किए जा सकते हैं, जिनकी सेवा वह वर्तमान में कर रहा है, और नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों और निबंधनों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का निर्णय इन प्रस्तुतियों के प्रावधानों को उस सीमा तक संशोधित करने के लिए संचालित होगा। नियुक्त व्यक्ति, संस्थान के स्थायी गैर-अवकाश कर्मचारियों को संविधि के तहत स्वीकार्य अवकाश का हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति, संस्थान के परिसर में सुसज्जित किराया मुक्त आवास का हकदार होगा, जैसा कि संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। नियुक्त व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जैसा कि संविधि में प्रावधान है। नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में शामिल होने के लिए यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ता नियमों के तहत केंद्र सरकार के समकक्ष रैंक के अधिकारी को स्वीकार्य है, जिसमें नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को सार्वजनिक हित में स्थानांतरण माना जाता है। यदि नियुक्त व्यक्ति को संस्थान के काम के हित में यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो वह समय-समय पर लागू संस्थान के यात्रा भत्ता नियमों में दिए गए पैमाने पर यात्रा भत्ते का हकदार होगा। इसी तरह नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर जाने के लिए यात्रा रियायत का हकदार होगा। (12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त कोई भी राशि उसे उस क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छोड़ दी जाएगी। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार परामर्श देने और उसका लाभ लेने की भी अनुमति होगी। (13) नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं

अनुबंध की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए तीन कैलेंडर महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं। बशर्ते कि संस्थान हमेशा इस नोटिस के बदले में नियुक्त व्यक्ति को तीन महीने के लिए उसके मूल वेतन के बराबर राशि दे सकता है।

68

69

नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन महीने पहले लिखित में नोटिस देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकता है।
(14) नियुक्त व्यक्ति को प्रोफेसर का दर्जा दिया जाएगा
(15) वह अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान के विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग ले सकेगा।
किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसके लिए इस समझौते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त संस्थान प्रौद्योगिकी अधिनियम 1961 या उसके किसी संशोधन द्वारा शासित होगा जो वर्तमान में लागू है और उसके तहत बनाए गए क़ानून वर्तमान में लागू हैं।
जिसके साक्ष्य में ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड के अध्यक्ष ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और नियुक्त व्यक्ति ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।
संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और भारतीय संस्थान के लिए वितरित।
पते के साथ गवाह के हस्ताक्षर की उपस्थिति में
हस्ताक्षरित और नियुक्त व्यक्ति को सौंपा गया
अनुसूची एए चिकित्सा देखभाल और उपचार जिसमें स्टाफ के सदस्यों द्वारा स्वयं और अन्य परिवारों पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है
1 .
2 .
(देखें संविधि 15 (16)] इस अनुसूची में निहित प्रावधान संस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, लेकिन वे निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे - (क) (ख) वे कर्मचारी जो विदेश में छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी, और (ग) कार्यभारित कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष की निरंतर सेवा नहीं की है और मासिक वेतन दरों पर नियोजित नहीं हैं, आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी, दैनिक मजदूर और अंशकालिक कर्मचारी। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारियों के सदस्यों को निम्नानुसार समूहीकृत किया जाएगा: अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, भारतीय संस्थान प्रौद्योगिकी (1) उक्त निदेशक वे लोग जो वेतनमान वाले पद धारण करते हैं, जिनका प्रारंभिक वेतन 400 रुपये प्रति माह या उससे अधिक है, सिवाय निदेशक के सचिव और अनुभागों के अधीक्षकों के। समूह ए आईआईटी (2))
निदेशक के सचिव, अनुभागों के अधीक्षक तथा वे सभी व्यक्ति जो वेतनमान वाले पद धारण करते हैं, जिनका आरंभिक वेतन 110 रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक है, परंतु 400 रुपये प्रतिमाह से कम है।
समूह बी
(3)
वे व्यक्ति जो वेतनमान वाले पद धारण करते हैं, जिनका आरंभिक वेतन 110 रुपये प्रतिमाह से कम है।
समूह सी
साक्षी के हस्ताक्षर तथा पते की उपस्थिति में
1 .
2 .
एल
770
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-10-1/75-टी.6 दिनांक 26 नवंबर, 1976 द्वारा पुनः पत्रांकित। 20 नवंबर, 1976 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-6/68-टी.6 दिनांक 14 जनवरी, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
71

3. इस अनुसूची में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो:-
(क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या"
से तात्पर्य है
(1) समूह 'क' से संबंधित संस्थान के सदस्य के संबंध में
(2) समूह 'ख' से संबंधित संस्थान के सदस्यों के संबंध में
(3) समूह 'ग' से संबंधित संस्थान के सदस्यों के संबंध में
(4) भारत में (मुख्यालय से बाहर) ड्यूटी पर या छुट्टी पर संस्थान के सदस्यों के संबंध में
-
प्रौद्योगिकी अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी अनुपस्थिति में प्रौद्योगिकी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी
प्रौद्योगिकी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी
प्रौद्योगिकी अस्पताल का हाउस सर्जन
- (i) पैरा 2 के समूह "क" से संबंधित लोगों के लिए:

किसी जिले या जिले में
सरकार का मुख्य चिकित्सा
या प्रधान अधिकारी
4. चिकित्सा देखभाल और स्वयं तथा अपने परिवार के उपचार के संबंध में स्टाफ के सदस्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की लागत की प्रतिपूर्ति समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार की जाएगी।
नोट: स्टाफ के सदस्य या उसके परिवार के सदस्य जो किसी अस्पताल में इनडोर रोगी है, के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम उन्हीं शर्तों और नियमों पर दिया जा सकता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
5.
चिकित्सा देखभाल में अस्पताल में या स्टाफ के सदस्य के निवास पर या उसके साथ व्यवस्था करके अधिकृत चिकित्सा परिचर के परामर्श कक्ष में उपस्थिति शामिल है। चिकित्सा उपचार का अर्थ है उस अस्पताल में उपलब्ध सभी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग जिसमें व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इसमें ऐसे पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या अन्य तरीकों का उपयोग भी शामिल है, जिन्हें अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा आवश्यक माना जाता है और ऐसी दवाओं, टीकों, सीरम या अन्य चिकित्सीय पदार्थों की आपूर्ति भी शामिल है, जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं।
प्रेसीडेंसी सर्जन नोट: (1) प्रौद्योगिकी अस्पताल में आउटडोर रोगी के रूप में उपचार
या सरकारी है। किसी शहर में समकक्ष रैंक का चिकित्सा अधिकारी। (ii) पैरा 2 के समूह 'बी' और 'सी' से संबंधित लोगों के लिए। किसी जिले में सरकार के सहायक सर्जन या किसी शहर में समकक्ष रैंक का चिकित्सा अधिकारी। (बी) "अस्पताल" का अर्थ है खड़गपुर में प्रौद्योगिकी अस्पताल। (सी) शब्द "परिवार" का अर्थ है किसी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, माता-पिता, वैध बच्चे और सौतेले बच्चे जो पूरी तरह से उस पर निर्भर हों। (डी) शब्द "छुट्टी" में अवकाश शामिल है। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 20-32 / 63 - टी.6 दिनांक 16 दिसंबर, 1963 द्वारा संशोधित। 72 6. आम तौर पर मुफ्त। यदि स्टाफ का कोई सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य प्रौद्योगिकी अस्पताल में बाह्य रोगी के रूप में आता है और यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या उन दवाओं को निर्धारित करती है, जिन्हें वह बाजार से खरीदता है, तो दवाओं की लागत परिशिष्ट ए से ई में संलग्न प्रपत्रों में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वापस की जा सकेगी।
(2) निदान के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या की सलाह पर नियोजित पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल परीक्षा की लागत की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी परीक्षाएं राज्य या राज्य-सहायता प्राप्त अस्पताल या प्रयोगशाला में आयोजित की जाती हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत दंत चिकित्सा उपचार शामिल नहीं है, लेकिन यदि स्टाफ के किसी सदस्य की शारीरिक या अन्य विकलांगता का

निदान यह दर्शाता है कि दांत ही परेशानी का वास्तविक स्रोत हैं, तो वह मुफ्त दंत चिकित्सा उपचार का हकदार है, बशर्ते यह "गंभीर" प्रकार का हो, जैसे जबड़े की हड्डी की बीमारी का उपचार, दांतों को पूरी तरह से निकालना आदि। इसमें दांतों की सफाई, पायरिया और मसूड़े की सूजन का उपचार या कृत्रिम डेन्चर की मुफ्त आपूर्ति या किसी निजी दंत चिकित्सक से या अस्पताल के बाहर, यहां तक कि अधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर भी उपचार शामिल नहीं है।

7 .
(i)
8 .
68
9 .
सामान्यतः स्टाफ का कोई सदस्य (जिसमें उसके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं) प्रौद्योगिकी अस्पताल में इनडोर रोगी के रूप में या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आईआईटी (या उसकी अनुपस्थिति में चिकित्सा अधिकारी, आईआईटी) के साथ व्यवस्था के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में, जहां विशेष मामले के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। (ii) स्टाफ के वे सदस्य जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार चिकित्सा उपस्थिति नियमों द्वारा शासित हैं, अस्पताल उपचार के प्रयोजन के लिए पैरा (i) में उल्लिखित समान लाभों के हकदार होंगे। चश्मे के प्रावधान के लिए व्यय की कोई प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है। विशेष नर्सिंग के लिए शुल्क की कोई प्रतिपूर्ति तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि यह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित न हो कि उनकी सेवाएं बिल्कुल आवश्यक थीं। नोट: विशेष नर्सिंग के ऐसे मामलों का निर्णय रोग की प्रकृति और जहां कठिनाई शामिल है, को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। ऐसे मामले में स्टाफ के सदस्य को उस अवधि के लिए अपने मासिक वेतन का 25 प्रतिशत तक वहन करना चाहिए, जिसके लिए विशेष नर्सिंग की गई थी। यदि आवश्यक हो तो शेष राशि संस्थान द्वारा वहन की जाएगी।

10.

भोजन या प्रावधान के लिए शुल्क (कर्मचारी के अनुरोध पर): वह आवास, जिसका वह हकदार है, से बेहतर आवास की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

नोट: (i) ऐसे अस्पतालों के मामले में, जिनके शुल्क में प्रतिदिन एक निश्चित शुल्क शामिल है, उसका 40 प्रतिशत भोजन और आवास के लिए शुल्क के रूप में माना जाना चाहिए। इस 4 प्रतिशत में से आधा भोजन के लिए और आधा आवास के लिए शुल्क के रूप में माना जाना चाहिए।

(ii) सामान्य मामलों में 400 रुपये प्रति माह और तपेदिक और मानसिक रोगों के लिए 640 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए अस्पतालों में भुगतान किए जाने वाले आहार शुल्क की अनुमति है। हालांकि, अस्पतालों द्वारा अपने रोगियों को आमतौर पर प्रदान नहीं किए जाने वाले आहार के किसी विशेष लेख की लागत वापस नहीं की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F11-8 / 78 - T.6 दिनांक 1 अक्टूबर 1980 द्वारा प्रतिस्थापित। 29 सितंबर 1980 से प्रभावी।
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
जब वह स्थान जहाँ कोई रोगी बीमार पड़ता है, प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या का मुख्यालय नहीं है:
(a)
(b)
रोगी ऐसे मुख्यालय तक आने-जाने के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा; या
यदि रोगी इतना बीमार है कि वह यात्रा नहीं कर सकता, तो प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या उस स्थान तक आने-जाने के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा जहाँ रोगी रहता है।

पैराग्राफ 11 के तहत यात्रा भत्ते के लिए आवेदन के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या द्वारा लिखित में एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि चिकित्सा परिचर्या आवश्यक थी और यदि आवेदन पैराग्राफ 11 के खंड (b) के तहत है तो यह कि रोगी इतना बीमार था कि वह यात्रा नहीं कर सकता। यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या की राय में रोगी का मामला इतना गंभीर या विशेष प्रकृति का है कि उसे उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चिकित्सा की आवश्यकता है, तो वह-

(क) रोगी को निकटतम विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकता है, जिसके द्वारा, उसकी राय में, रोगी के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है, या

(ख) यदि रोगी इतना बीमार है कि वह यात्रा करने में असमर्थ है, तो ऐसे विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी को रोगी की देखभाल के लिए बुला सकता है।

पैराग्राफ 13 के खंड (क) के अंतर्गत भेजा गया रोगी, इस संबंध में प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय तक आने-जाने के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

पैराग्राफ 13 के खंड (ख) के अंतर्गत बुलाया गया विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी, इस संबंध में प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, रोगी के निवास स्थान तक आने-जाने के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा। अनुच्छेद 11 और 13 के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ते की गणना दौरे पर यात्रा के रूप में की जाएगी, लेकिन रुकने के लिए कोई दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

जहां स्टाफ का कोई सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य इस अनुसूची के अंतर्गत अस्पताल में निःशुल्क उपचार पाने का हकदार है, ऐसे उपचार के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि, इस संबंध में अस्पताल के चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न प्रपत्र में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, संस्थान द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एल

18 .
19 .
20 .
20
21 .
21
22 .
22
23 .
यदि प्राधिकृत चिकित्सा सहायक की यह राय है कि 26. प्रौद्योगिकी अस्पताल या निकटतम प्राधिकृत अस्पतालों के कारण रोगी अपने निवास पर उपचार प्राप्त कर सकता है।
अनुच्छेद 18 में निर्दिष्ट मामलों में, अपने निवास पर उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, उसके द्वारा किए गए ऐसे उपचार की लागत के लिए, उस राशि को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उसे इस अनुसूची के तहत, नि:शुल्क, प्राप्त करने का हकदार होता, यदि उसका उपचार उसके निवास पर नहीं किया गया होता।
स्टाफ के सदस्य और उनके परिवार भी क्षय रोग के उपचार के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्टाफ के सदस्यों के परिवारों के मामले में, विशेष दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब उन्हें अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा रोगी के लिए निर्धारित किया जाता है, जब रोगी को अस्पताल में या अधिकृत चिकित्सा परिचर के परामर्श कक्ष में देखा जाता है या जब रोगी राज्य या राज्य-सहायता प्राप्त अस्पताल के बाह्य-रोगी विभाग में उपचार करवा रहा होता है। स्टाफ के किसी सदस्य का परिवार, जिसे संस्थान परिसर में रहने की जगह उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हो या जो भारत में (मुख्यालय के बाहर) ड्यूटी या छुट्टी/अवकाश पर हो, राज्य या राज्य-सहायता प्राप्त अस्पताल में इनडोर या आउटडोर रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकता है। स्टाफ के किसी सदस्य के परिवार के सदस्य की चिकित्सा उपस्थिति और/या उपचार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान उसके द्वारा अस्पताल प्राधिकारियों को किया जाना चाहिए। संस्थान अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा, सरकारी अस्पताल के ऐसे बिलों के मामले को छोड़कर, विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अस्पताल बिल प्रस्तुत करने पर चिकित्सा उपस्थिति और/या उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। नोट: स्टाफ के सदस्य के परिवार का अधिकृत चिकित्सा परिचर्या सदस्य के स्वयं के अधिकृत चिकित्सा परिचर्या के समान ही है। उसके द्वारा बनाए गए परामर्श कक्ष के अधिकृत चिकित्सा परिचर्या के साथ व्यवस्था द्वारा चिकित्सा उपस्थिति और उपचार को अस्पताल में चिकित्सा उपस्थिति और उपचार माना जाएगा। चिकित्सा उपचार में स्टाफ के सदस्य की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करना शामिल होगा। स्टाफ के सदस्य के निवास पर प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात उपचार की अनुमति नहीं है।
24
24 .
25 .
25
नोट: अस्पताल में या अधिकृत चिकित्सा परिचर्या के परामर्श कक्ष में प्राप्त प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात उपचार के लिए एनेस्थेटिक शुल्क और प्रभार जिसमें निर्धारित दवाओं की लागत शामिल है, प्रतिपूर्ति योग्य हैं।
76
+27 .
नोट: चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा बिल प्रस्तुत करने में निम्नलिखित निर्देशों का भी पालन किया जाएगा: - (i) (ii) (iii) (iv) (v) बिलों को अपेक्षित रसीदों, कैश मेमो, नुस्खे, अनिवार्यता प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित किया जाना चाहिए। प्रपत्र परिशिष्ट ए, बी, सी, डी और ई के रूप में पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन दवाओं की लागत प्रतिपूर्ति के लिए दावा की जाती है, वे समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सरकार के चिकित्सा देखभाल नियमों और आदेशों के संकलन में दर्शाई गई बहिष्कृत दवाओं और तैयारियों की सूची में शामिल नहीं हैं। अस्पतालों में किए गए परीक्षणों या उपचार के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावों के समर्थन में बिल के साथ आवश्यक वाउचर और रसीदें संलग्न

की जानी चाहिए, जैसे कि एक्स-रे, रक्त परीक्षण आदि। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन-पेशेंट उपचार के लिए अस्पताल के बिल में चिकित्सा उपस्थिति, बोर्डिंग, आहार, नर्सिंग, विशेष नर्सिंग और दवाओं के तहत शुल्क का आवंटन दिखाया गया हो और केवल स्वीकार्य मदों का ही दावा किया गया हो। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य है। संस्थान के कर्मचारियों के सदस्यों से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बिल संस्थान के निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे और निदेशक अपने विवेक से यह कार्य उप निदेशक और रजिस्ट्रार को सौंप सकते हैं। निदेशक अपने स्वयं के चिकित्सा उपस्थिति बिल के संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी होंगे। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-7 / 65 - टी.6 दिनांक 16 अक्टूबर, 1968 द्वारा संशोधित। * शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-4 / 78 - टी.6 दिनांक 23 फरवरी, 1979 और 15 जुलाई, 1983 द्वारा शामिल किया गया। 16 फरवरी 1979 से प्रभावी।

परिशिष्ट ए
टेक्नोलॉजी अस्पताल या अन्यथा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा उपचार के लिए प्रपत्र
श्रीमती/श्री/सुश्री
पत्नी/पुत्र/पुत्री को प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
आवश्यकता प्रमाण पत्र ए
(उन रोगियों के मामले में पूरा किया जाना है जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं हैं)
मैं, डॉ
इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ: -
(ए) कि प्रशासित इंजेक्शन रोगनिरोधी उद्देश्यों के लिए नहीं हैं;
(बी) कि रोगी का उपचार टेक्नोलॉजी अस्पताल/मेरे परामर्श कक्ष में किया गया है और इस संबंध में मेरे द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दवाएँ रोगी की स्थिति में गंभीर गिरावट की रोकथाम के लिए आवश्यक थीं। ये दवाइयां निजी मरीजों को आपूर्ति के लिए टेक्नोलोजी अस्पताल में स्टॉक नहीं की जाती हैं और इनमें मालिकाना तैयारियां शामिल नहीं हैं जिनके लिए समान चिकित्सीय मूल्य के सस्ते पदार्थ उपलब्ध हैं और न ही ऐसी तैयारियां शामिल हैं जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, शौचालय या कीटाणुनाशक हैं:
(ग) कि मरीज निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है/था

से मेरे उपचाराधीन है/था

से
(घ) कि मरीज को प्रसव पूर्व या प्रसव पश्चात उपचार नहीं दिया गया/था;

और
(ङ) कि एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण आदि, जिसके लिए रु. का व्यय हुआ, आवश्यक थे और एस.ई. रेलवे अस्पताल में मेरी सलाह पर किए गए थे;
(च) कि मैंने मरीज को विशेषज्ञ परामर्श के लिए डॉ. के पास भेजा था; और
(छ) कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी/थी।

दिनांक .

19 ...
एनबी

चिकित्सा अधिकारी-प्रभारी, टेक्नोलोजी अस्पताल

जो प्रमाण-पत्र लागू न हों उन्हें काट दिया जाना चाहिए, प्रमाण-पत्र (ग) अनिवार्य है और सभी मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए।
कीमत
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
दवा का नाम
79
78

परिशिष्ट बी
अस्पताल में उपचार के लिए प्रपत्र अनिवार्यता प्रमाण पत्र बी
(सी)
कि दिए गए इंजेक्शन प्रतिरक्षण या रोगनिरोधी उद्देश्यों के लिए नहीं थे;
(डी)
कि रोगी पीड़ित है/था
और
(उन रोगियों के मामले में पूरा किया जाना है जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं)
से मेरे उपचाराधीन है/था
(ई)
भाग ए
मेरी सलाह पर
कि एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण आदि, जिसके लिए ..... रुपये का व्यय हुआ था, आवश्यक थे और अस्पताल द्वारा किए गए थे) या
(एफ)
कि डॉ. को बुलाया गया था। (नाम (प्रयोगशाला);
विशेषज्ञ परामर्श के लिए।
मैं, डॉ.
इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ: -
दिनांक ..
.19 .....
(अस्पताल में मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)
(क) कि रोगी को मेरी सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। (चिकित्सा सलाह डॉ.

अधिकारी का नाम);
(ख) कि रोगी का उपचार .....

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
2345
कीमत
.....
अस्पताल में किया गया है और इस संबंध में मेरे द्वारा निर्धारित नीचे उल्लिखित दवाएँ रोगी की स्थिति में गंभीर गिरावट की रोकथाम / सुधार के लिए आवश्यक थीं। दवाएँ निजी रोगियों को आपूर्ति के लिए स्टॉक में नहीं हैं और इसमें मालिकाना अस्पताल की तैयारी शामिल नहीं है जिसके लिए समान चिकित्सीय मूल्य के सस्ते पदार्थ उपलब्ध हैं और न ही ऐसी तैयारी जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, शौचालय या कीटाणुनाशक हैं;
का नाम दवा
भाग बी
अस्पताल में मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि रोगी अस्पताल में उपचाराधीन रहा है और विशेष नर्सों की सेवाएँ, जिसके लिए रु. 1500/- का व्यय रोगी की स्थिति में गंभीर गिरावट की रोकथाम/सुधार के लिए आवश्यक था, संलग्न बिलों और रसीदों के अनुसार किया गया था; रोगी की स्थिति।

अस्पताल में मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल

मैं प्रमाणित करता हूँ कि रोगी अस्पताल में उपचाराधीन रहा है और प्रदान की गई सुविधाएँ न्यूनतम थीं जो रोगी के उपचार के लिए आवश्यक थीं। स्थान:

दिनांक:

एन.बी.

चिकित्सा अधीक्षक,

अस्पताल।

लागू न होने वाले प्रमाणपत्रों को काट दिया जाना चाहिए।

एल

80

प्रमाणपत्र (डी) अनिवार्य है और सभी मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए।

81

परिशिष्ट सी

चिकित्सा दावा प्रपत्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों और उनके परिवारों की चिकित्सा उपस्थिति और/या उपचार के संबंध में किए गए चिकित्सा व्यय की वापसी का दावा करने के लिए आवेदन।

नोट - प्रत्येक रोगी के लिए अलग-अलग प्रपत्र का उपयोग किया जाना चाहिए

(ग)

क्या परामर्श अस्पताल में, चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष में या रोगी के निवास पर किया गया था।

(ii) निदान के दौरान किए गए पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या अन्य समान परीक्षणों के लिए शुल्क, जिसमें यह दर्शाया गया हो:

(क) अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जहां परीक्षण किए गए थे; और

(ख) क्या परीक्षण अधिकृत चिकित्सा परिचर की सलाह पर किए गए थे। यदि हां, तो उस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

1.

दावेदार का नाम और पदनाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2.

कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर। 3. नियमों में परिभाषित वेतन और अन्य परिलब्धियाँ

जिन्हें अलग से दर्शाया जाना चाहिए

रुपये .

(iii)

.प्रति माह

4. ड्यूटी का स्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

बाजार से खरीदी गई दवाओं की लागत। (दवाइयों की सूची, कैश मेमो और अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने चाहिए।

5. वास्तविक आवासीय पता

6. रोगी का नाम और उसका स्टाफ के सदस्य से संबंध

7. वह स्थान जहाँ रोगी बीमार हुआ

8. बीमारी की प्रकृति और उसकी अवधि

दावा की गई राशि का विवरण

(i) परामर्श के लिए शुल्क जिसमें दर्शाया गया हो:

9. दावा की गई कुल राशि

10. संलग्नकों की सूची

कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा

(a)

परामर्श लेने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम और पदनाम और अस्पताल या डिस्पेंसरी जिससे संबद्ध है; तारीख

(b)

परामर्श की संख्या और तिथियाँ और प्रत्येक परामर्श के लिए भुगतान किया गया शुल्क;

82

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि

(i)

दावा वास्तविक है

इस आवेदन में दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(iii)

जिस व्यक्ति के लिए चिकित्सा व्यय किया गया वह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है और कमाने वाला नहीं है परिवार का सदस्य।

19 ....

83

आईआईटी, खड़गपुर के स्टाफ सदस्य के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि दावा
दिनांक
(i) विषय पर नियमों और आदेशों के अंतर्गत आता है (ii) बिलों, रसीदों और अन्य द्वारा समर्थित है; और (iii) पहले नहीं निकाला गया था।
19 ....
परिशिष्ट डी
चिकित्सा दावा प्रपत्र ||
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों और उनके परिवारों की चिकित्सा उपस्थिति और/या उपचार के संबंध में किए गए चिकित्सा व्यय की वापसी का दावा करने के लिए आवेदन।
(नोट- प्रत्येक रोगी के लिए अलग-अलग प्रपत्र का उपयोग किया जाना चाहिए)
1. दावेदार का नाम और पदनाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. जिस कार्यालय में कार्यरत हैं
दिनांक
प्रतिहस्ताक्षरित और स्वीकृत व्यय।
19 ....
84
लेखा अधिकारी, आईआईटी, खड़गपुर।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।
3. नियमों में परिभाषित वेतन और कोई अन्य परिलब्धियां जिन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए
रुपये .
..प्रतिमाह।
4. ड्यूटी का स्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खरपुर
निदेशक/रजिस्ट्रार, आई.आई.टी., खड़गपुर
5. वास्तविक आवासीय पता
6. मरीज का नाम और स्टाफ के सदस्य से उसका रिश्ता
(नोट: बच्चों के मामले में उम्र भी बताएं)
7. वह स्थान जहां मरीज बीमार हुआ
8. बीमारी की प्रकृति और उसकी अवधि
दावा की गई राशि का विवरण
अस्पताल में इलाज के लिए शुल्क, जिसमें अलग से आवास (केवल वार्ड शुल्क) के लिए शुल्क दर्शाया गया हो (i)
(बताएं कि क्या यह स्टाफ के सदस्य की स्थिति या वेतन के अनुसार था
और ऐसे मामलों में जहां आवास स्टाफ के सदस्य की स्थिति से अधिक है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि वह जिस आवास का हकदार था, वह उपलब्ध नहीं था।)
85

€
(iii)
शल्यक्रिया या चिकित्सा उपचार
पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या अन्य समान परीक्षण जो दर्शाते हों-
(क) अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जहां

किया गया।
(ख) क्या अस्पताल में मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर किया गया। यदि ऐसा है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
नोट 1:
यदि उपचार स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा उसके निवास पर प्राप्त किया गया था, तो ऐसे उपचार का विवरण दें और नियमों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र संलग्न करें।
नोट 2: यदि उपचार सरकारी अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में प्राप्त किया गया था, तो आवश्यक विवरण और अधिकृत चिकित्सा परिचर का प्रमाण पत्र कि अपेक्षित चिकित्सा उपचार किसी भी निकटतम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं था, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. दावा की गई कुल राशि 10. संलग्नकों की सूची
(iv)
दवाएं
(v)
विशेष दवाएं।
(vi)
(vii)
(दवाइयों की सूची, कैश मेमो और अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।

साधारण नर्सिंग।

विशेष नर्सिंग, यानी मरीज के लिए विशेष रूप से नियुक्त नर्स। बताएं कि क्या उन्हें अस्पताल में मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर या स्टाफ के सदस्य या मरीज के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था।

पूर्ववर्ती मामले में मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र और अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

स्टाफ के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा

दिनांक
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि

(i) दावा वास्तविक है।

(ii) इस आवेदन में दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(iii) जिस व्यक्ति के लिए चिकित्सा व्यय किया गया वह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है और परिवार का कमाने वाला सदस्य नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि दावा
आईआईटी, खड़गपुर के स्टाफ सदस्य के हस्ताक्षर
(i) विषय पर नियमों और आदेशों के अंतर्गत आता है (ii) बिलों, रसीदों और अन्य द्वारा समर्थित है; और (iii) पहले नहीं निकाला गया था।
(viii)
एम्बुलेंस शुल्क।
(यात्रा के लिए किए गए खर्च का विवरण दें)
(ix)
कोई अन्य शुल्क, जैसे बिजली की रोशनी, पंखा, हीटर, एयर-कंडीशनिंग आदि के लिए शुल्क।
(यह भी बताएं कि क्या उल्लिखित सुविधाएं सामान्य रूप से सभी रोगियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का हिस्सा हैं और रोगी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था।)
86
तारीख
तारीख
प्रतिहस्ताक्षरित और व्यय स्वीकृत।
.19 ....
87
लेखा अधिकारी, आईआईटी, खड़गपुर।
निदेशक/रजिस्ट्रार, आईआईटी, खड़गपुर

परिशिष्ट ई

टैनिन चिकित्सा दावा प्रपत्र III

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों और उनके परिवारों की चिकित्सा उपस्थिति और/या उपचार के संबंध में किए गए चिकित्सा व्यय की वापसी का दावा करने के लिए आवेदन।

विशेषज्ञ से परामर्श

अधिकृत चिकित्सा सहायक के अलावा विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई फीस, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि-

(iii) जिस व्यक्ति के लिए चिकित्सा व्यय किया गया वह पूरी तरह मुझ पर निर्भर है और परिवार का कमाने वाला सदस्य नहीं है।

दिनांक

19 ....

स्टाफ के सदस्य के हस्ताक्षर 1.आईटी, खड़गपुर

प्रमाणित किया जाता है कि दावा

1.

(क) परामर्श किए गए विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी का नाम और पदनाम, और अस्पताल, जिससे संलग्न है;

(i)

विषय पर नियमों और आदेशों द्वारा कवर किया गया है

(ii)

बिलों, रसीदों और अन्य द्वारा समर्थित है; और

(iii)

पहले नहीं निकाला गया था। (ख) परामर्श की संख्या और तिथियां तथा प्रत्येक परामर्श के लिए ली जाने वाली फीस;

(ग) क्या परामर्श विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष में या रोगी के निवास पर लिया गया था;

तारीख

(घ) क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी से परामर्श प्राधिकृत चिकित्सा सहायक की सलाह पर किया गया था और यदि हां, तो इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

तारीख

2. दावा की गई कुल राशि

3. संलग्नकों की सूची

कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि

(i)

दावा वास्तविक है

(ii) इस आवेदन में दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

19 ....

प्रतिहस्ताक्षरित और व्यय स्वीकृत।

19 ....

89

लेखा अधिकारी, 1.आई.टी., खड़गपुर।

निदेशक/रजिस्ट्रार, आई.आई.टी., खड़गपुर

एपी

स्टाफ के उस सदस्य को कुछ सरल निर्देश ध्यान में रखने चाहिए जिस पर चिकित्सा उपस्थिति नियम लागू होते हैं।

(1) सबसे पहले पता करें कि आपका अधिकृत चिकित्सा सहायक कौन है।

(2) जब भी आपको अपने या अपने परिवार के लिए चिकित्सा उपस्थिति और/या उपचार की आवश्यकता हो, तो पहले अपने अधिकृत चिकित्सा सहायक से परामर्श करें। चूंकि चिकित्सा उपस्थिति नियम उसके इर्द-गिर्द घूमते हैं, इसलिए जब तक आप उससे परामर्श नहीं करते और उसकी सलाह के अनुसार आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(3) एक बार जब आप अपने अधिकृत चिकित्सा सहायक की सलाह के तहत किसी अस्पताल में इन-पेशेंट के रूप में भर्ती हो जाते हैं, तो आप उस विशेष अस्पताल में अपनाए जाने वाले नियमों और प्रक्रिया से बंधे होते हैं। नियम और प्रक्रिया अस्पताल से अस्पताल में अलग-अलग होती हैं।

(4) उपचार के बाद अस्पताल छोड़ते समय अस्पताल के अधिकारियों से आवश्यक सभी प्रमाण पत्र और बिल आदि भी उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा लें, ताकि किए गए खर्च की वापसी का दावा किया जा सके।

(5) परिवारों के मामले में भी, आपको अपने परिवार की किसी महिला सदस्य को इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल में भर्ती कराने से पहले अपने अधिकृत चिकित्सा सहायक से परामर्श करना चाहिए।

(6) चिकित्सा व्यय की वापसी के लिए अपने दावों को संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें, उसमें मांगे गए सभी विवरण दें और नियमों के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। इससे आपके दावों के निपटान में यथासंभव देरी से बचा जा सकेगा।

90
90
1 .

2 .

3 .

आवेदन
अनुसूची बी
(देखें क़ानून 15 (17.) आचरण नियम
इस अनुसूची में निहित प्रावधान संस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
परिभाषाएँ
इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(क)
(ख)
(ग)
"सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है।
(i) निदेशक के मामले में "शासक मंडल"। (ii) अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में "निदेशक"।
कर्मचारी के संबंध में "परिवार के सदस्य" में शामिल हैं,

(i) ऐसे कर्मचारी की पत्नी, बच्चा या सौतेला बच्चा जो उसके साथ रहता है और उस पर निर्भर है और ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो महिला है, उसका पति उसके साथ रहता है और उस पर निर्भर है, और
(ii) कोई अन्य व्यक्ति जो कर्मचारी से रक्त या विवाह से संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी की पत्नी या पति से संबंधित हो और ऐसे संस्थान कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर हो, लेकिन इसमें ऐसी पत्नी या पति शामिल नहीं है जो कर्मचारी या बच्चे या सौतेले बच्चे से कानूनी रूप से अलग हो गया हो जो अब उसके साथ नहीं है किसी भी तरह से उस पर निर्भर है, या जिसकी हिरासत से कर्मचारी को कानून द्वारा वंचित किया गया है। "सेवा" का अर्थ है संस्थान के अधीन सेवा। सामान्य (क) प्रत्येक कर्मचारी हर समय पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा, और अपने आधिकारिक व्यवहार में भी पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष रहेगा। (ख) एक कर्मचारी को हर समय स्टाफ के अन्य सदस्यों, छात्रों और जनता के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में विनम्र होना चाहिए। 10 (ग) जब तक नियुक्ति की शर्तों में विशेष रूप से अन्यथा नहीं कहा जाता है, प्रत्येक कर्मचारी संस्थान का पूर्णकालिक कर्मचारी है, और उसे ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है, जो उसे एल द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

(घ) किसी कर्मचारी को निर्धारित कार्य घंटों का पालन करना होगा, जिसके दौरान उसे अपने कर्तव्य के स्थान पर उपस्थित रहना होगा। (ङ) वैध कारणों और/या अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को छोड़कर कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहेगा। (च) कोई भी कर्मचारी छुट्टी या अवकाश के दौरान भी उचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। (छ) स्टेशन छोड़ते समय, कर्मचारी उस विभाग के प्रमुख को सूचित करेगा जिससे वह जुड़ा हुआ है, या निदेशक को यदि वह स्वयं किसी विभाग का प्रमुख है, तो उस पते पर सूचित करेगा जहां वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उपलब्ध होगा।

4. राजनीति और चुनाव में भाग लेना

1.

(i) कोई भी कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं लेगा या किसी भी पार्टी या संगठन से संबद्ध नहीं होगा जो राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता है, न ही किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में किसी भी तरह से सहायता करेगा। कोई भी कर्मचारी विधायी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण के किसी चुनाव के संबंध में प्रचार नहीं करेगा, अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा या अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। बशर्ते कि संस्थान का कोई कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य हो, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जहां वह ऐसा करता है, वह इस बात का कोई संकेत नहीं देगा कि वह किस तरह से मतदान करने का प्रस्ताव करता है या मतदान कर चुका है। प्रेस या रेडियो या पेटेंट से संबंध (1) (2) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशनों का पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व नहीं रखेगा, या उनका संपादन या प्रबंधन नहीं करेगा या उनमें भाग नहीं लेगा। कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना या अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या कोई लेख नहीं लिखेगा या किसी समाचार पत्र या आवधिक को गुमनाम रूप से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई पत्र नहीं लिखेगा। बशर्ते कि यदि ऐसे योगदान का प्रसारण विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का हो तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

92

नोट: नीचे उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, स्टाफ के सदस्य, बिना किसी मंजूरी के, जैसा कि पैरा 5 (2) में परिकल्पित है, भारत और विदेश में प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अपने मूल वैज्ञानिक कार्यों को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, अगर वे उन लेखों में अपने आधिकारिक पदनामों को इंगित करना चाहते हैं जिन्हें वे प्रकाशित करना चाहते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

6.

7.

ऐसे लेख पूरी तरह से वैज्ञानिक विषयों तक ही सीमित होने चाहिए और प्रशासनिक मामलों को नहीं छूना चाहिए। वे सभी राजनीतिक रंग से मुक्त होंगे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी आबादी से संबंधित लेखों का प्रकाशन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निषिद्ध है। संस्थान की आलोचना कोई भी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम रूप से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या प्रेस को भेजे गए किसी संचार में या किसी सार्वजनिक कथन में कोई तथ्य या राय का कथन नहीं करेगा।

(i) जिसका प्रभाव संस्थान की किसी वर्तमान नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना के रूप में हो; या

(ii) जो संस्थान और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य संस्थान या संगठन या जनता के सदस्यों के बीच संबंधों को खराब करने में सक्षम हो।

बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सम्यक निष्पादन में दिए गए किसी कथन या व्यक्त किए गए विचारों पर लागू नहीं होगी।

समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य

(1) नीचे उप-अनुच्छेद (3) में दिए गए प्रावधान के सिवाय, कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।
(2) जहां उप-पैरा (1) के अधीन कोई मंजूरी दी गई है, वहां कोई भी कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते हुए संस्थान या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

8 . 9 . 10 . 11 . (3) इस अनुच्छेद में निम्नलिखित पर कुछ भी लागू नहीं होगा: (क) संस्थान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी जांच में दिया गया साक्ष्य; या (ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य; या (ग) संस्थान प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य। सूचना का अनधिकृत संप्रेषण कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को कोई आधिकारिक दस्तावेज या सूचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं करेगा, जिसे वह ऐसे दस्तावेज या सूचना संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं है। उपहार कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति से मामूली मूल्य से अधिक का कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा या अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। तुच्छ मूल्य शब्द की व्याख्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियम में निर्धारित की गई व्याख्या के समान होगी।

निजी व्यापार या रोजगार
कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय या किसी निजी ट्यूशन में संलग्न नहीं होगा या अपने आधिकारिक कार्यों के बाहर कोई रोजगार नहीं करेगा।

परन्तु उपरोक्त प्रतिबंध सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किए गए शैक्षणिक कार्य और परामर्शदात्री अभ्यास पर लागू नहीं होंगे, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक की स्वीकृति के संबंध में ऐसी शर्त के अधीन दिया जा सकता है। निवेश, उधार और उधार
(1) कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यवसाय में सट्टा नहीं लगाएगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा कोई निवेश करने की अनुमति देगा, जिससे उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदगी या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) कोई भी कर्मचारी किसी व्यक्ति को ब्याज पर पैसा उधार नहीं देगा और न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा उधार लेगा, जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार होने की संभावना है।

12.

13.

14.

15. दिवालियापन, आदतन ऋणग्रस्तता और आपराधिक कार्यवाही
(1)
(2)
कर्मचारी को अपने निजी मामलों का इस प्रकार प्रबंधन करना चाहिए कि वह आदतन ऋणग्रस्तता या दिवालियापन से बच सके। जब कोई कर्मचारी ऋण के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या दिवालियापन का सहारा ले सकता है या जब यह पाया जाता है कि उसके वेतन का एक बड़ा हिस्सा लगातार जब्त किया जा रहा है, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। कोई कर्मचारी जो दिवालियापन के लिए कानूनी कार्यवाही का विषय बन जाता है, उसे संस्थान को तुरंत सभी तथ्यों की रिपोर्ट करनी चाहिए।
कोई कर्मचारी जो किसी आपराधिक कार्यवाही में शामिल हो जाता है, उसे तुरंत उस विभाग के प्रमुख के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए, जिससे वह जुड़ा हुआ है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उसे जमानत पर रिहा किया गया है या नहीं।

कोई कर्मचारी जो आपराधिक आरोप में या अन्यथा 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाता है, वह संस्थान में अपने कर्तव्यों को तब तक नहीं संभालेगा जब तक कि उसने संस्थान के प्रमुख से इस आशय की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं कर ली हो। चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति

कर्मचारी का प्रत्येक सदस्य संस्थान सेवा में प्रथम नियुक्ति पर तथा उसके पश्चात ऐसे अंतरालों पर, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, संस्थान द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए प्रारूप में अपनी स्वामित्व वाली, अर्जित या विरासत में प्राप्त या अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बंधक पर पट्टे पर रखी गई सभी अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा।

कर्मचारियों के कार्यों और चरित्र का औचित्य सिद्ध करना

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी ऐसे आधिकारिक कार्य के औचित्य सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का सहारा नहीं लेगा, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक चरित्र के हमले का विषय रहा हो।

बशर्ते कि इस नियम में कोई भी बात किसी कर्मचारी को उसके निजी चरित्र या उसके द्वारा अपनी निजी क्षमता में किए गए किसी कार्य का औचित्य सिद्ध करने से रोकती हुई नहीं समझी जाएगी।

विवाह, आदि

किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का इरादा रखने वाला कर्मचारी, जो किसी अन्य विदेशी देश की नागरिकता रखता हो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेगा।

16 . 17 . 18 . कोई भी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही उसके लिए उस समय लागू व्यक्तिगत और धार्मिक नियमों के तहत बाद में विवाह की अनुमति हो और इन नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थान की सेवा से तत्काल बर्खास्तगी हो सकती है। अभ्यावेदन (क) जब भी कोई कर्मचारी कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत या उसके साथ हुए किसी अन्याय के निवारण की मांग करता है, तो उसे अपना मामला उचित माध्यम से भेजना चाहिए और अपने आवेदन की ऐसी अग्रिम प्रतियां किसी उच्च अधिकारी को नहीं भेजनी चाहिए, जब तक कि निचले अधिकारी ने दावे को खारिज न कर दिया हो या राहत देने से इनकार न कर दिया हो या मामले के निपटान में तीन महीने से अधिक की देरी न हो गई हो। (ख) कोई भी कर्मचारी किसी शिकायत या किसी अन्य मामले के निवारण के लिए अधिकारियों को संबोधित किसी भी संयुक्त अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। दण्ड, अपील, आदि। किसी भी कर्मचारी को इन नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए दण्ड लगाने तथा उसके विरुद्ध की गई किसी भी ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने के संबंध में प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। व्याख्या इन प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्नों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। 96 1 . अनुसूची सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की अंशदायी भविष्य निधि [देखें संविधि 18 (1)] इस अनुसूची में निहित प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे: - (1) (क) (2) (ख) (ग) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1957 को या उससे स्थायी रूप से पहली बार नियुक्त किया गया हो या स्थायी कर्मचारी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया हो। अधिनियम की अनुसूची की धारा 5 (1) और संविधि 13 और 14 के अंतर्गत आने वाले ऐसे स्थायी कर्मचारी जिन्होंने संविधि 15 में निर्धारित संस्थान की सेवा की शर्तों और नियमों का विकल्प चुना हो; संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिनकी शर्तें ऐसे व्यक्तियों को निधि में अंशदान करने के लिए पात्र बनाती हैं। (घ) सरकारी अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन, पुनः नियोजित पेंशनभोगी।

बशर्ते कि संस्थान का कोई भी कर्मचारी निधि के लाभों का हकदार नहीं होगा, जिसकी संस्थान में सेवाएं उसे पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए हकदार बनाती हैं, जिसके खाते में संस्थान पेंशन के लिए अंशदान करता है या जिसे संस्थान द्वारा समेकित वेतन पर या विशेष शर्तों पर नियुक्त किया गया है, जो इस निधि के लाभों को बाहर करती हैं।

किसी मूल रिक्ति के विरुद्ध परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति की तारीख से निधि में सदस्यता लेने का हकदार होगा। हालाँकि, संस्थान का अंशदान उसकी पुष्टि के बाद उसके खाते में पूर्वव्यापी प्रभाव से जमा किया जाएगा। * ऐसे मामलों में सदस्यता के बकाया का भुगतान अधिक नहीं किया जा सकता है शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 20-32 / 63 - टी.6 दिनांक 16.12.1963 द्वारा डाला गया। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 20-32 / 63 - टी.6 दिनांक 16.12.1963 द्वारा संशोधित।

2. प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 12 से अधिक मासिक किस्तें। संस्थान का अंशदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अंशदाता के खाते में वर्ष के दौरान उसके स्वयं के अंशदान की सीमा तक जमा किया जा सकता है, बकाया राशि के पूर्ण रूप से जारी होने के पश्चात अंतिम समायोजन के अधीन। (2ए) अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति भी एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के पश्चात निधि में अंशदान करने का हकदार होगा। तथापि, ऐसे मामले में अंशदान, अंशदाता के निधि में शामिल होने की वास्तविक तिथि से प्रारंभ होगा। उप-पैरा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति अप्रैल, 1957 के प्रथम दिन से निधि में अंशदान करने के हकदार होंगे तथा ऐसे मामलों में अंशदान की बकाया राशि मार्च, 1959 के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर अधिकतम 3 मासिक किस्तों में भुगतान की जा सकेगी। * (4) यदि निधि के लाभ में भर्ती किया गया कोई कर्मचारी पहले से था; यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी निगमित संस्था अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन की किसी अंशदायी/गैर-अंशदायी भविष्य निधि का अंशदाता है, तो ऐसी अंशदायी या गैर-अंशदायी भविष्य निधि में उसके द्वारा संचित राशि को निधि में उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
(5)
निधि के लाभों के हकदार संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रपत्र-4 में लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि उसने इस अनुसूची को पढ़ लिया है तथा इसमें निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है।
इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(i) "लेखा अधिकारी" का तात्पर्य संस्थान के लेखा अधिकारी से है; (ii) "लेखा परीक्षा अधिकारी" का तात्पर्य संस्थान के (आंतरिक) लेखा परीक्षा अधिकारी से है; (iii) "परिलब्धियाँ" का अर्थ है वेतन, जिसमें महंगाई वेतन, यदि कोई हो, छुट्टी वेतन, या निर्वाह अनुदान शामिल है और इसमें वेतन की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक (महंगाई वेतन, यदि कोई हो सहित) शामिल है, जो विदेशी सेवा के संबंध में प्राप्त हुआ है;

नोट I. -
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-44 / 66 - टी.6 दिनांक 12 दिसंबर, 1968 द्वारा जोड़ा गया। 2 दिसंबर, 1968 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-7 / 68 - टी.6 दिनांक 8 मई, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित। 7 मई, 1969 से प्रभावी।

नोट II -
(iv) "परिवार" का अर्थ है -

(क) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियाँ और बच्चे, और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे;
बशर्ते कि, यदि कोई अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है या जिस समुदाय से वह संबंधित है, उसके प्रथागत कानून के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं रह गई है, तो वह अब से उन मामलों में अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं मानी जाएगी, जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, जब तक कि अभिदाता बाद में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना द्वारा यह संकेत न दे कि उसे इस प्रकार माना जाना जारी रहेगा; (ख) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति और बच्चे, तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे; बशर्ते कि यदि कोई अभिदाता रजिस्ट्रार को लिखित अधिसूचना द्वारा अपने पति को अपने परिवार से बाहर करने की इच्छा व्यक्त करती है, तो पति अब से उन मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, जब तक कि

अभिदाता बाद में उसे बाहर करने की अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखित रूप में रद्द न कर दे। बच्चों का अर्थ है वैध बच्चे। गोद लिए गए बच्चे को बच्चा तभी माना जाएगा जब रजिस्ट्रार, या रजिस्ट्रार के मन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर संस्थान का विधि अधिकारी, इस बात से संतुष्ट हो कि अभिदाता के व्यक्तिगत कानून के तहत, गोद लेने को प्राकृतिक बच्चे का दर्जा प्रदान करने के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन केवल इस मामले में।

3. (v) 'विदेशी सेवा' से तात्पर्य ऐसी सेवा से है जिसमें संस्थान का कोई कर्मचारी बोर्ड की मंजूरी से संस्थान की निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से अपना मूल वेतन प्राप्त करता है; (vi) 'निधि' से तात्पर्य संस्थान की अंशदायी भविष्य निधि से है; (vii) 'छुट्टी' से तात्पर्य अनुसूची 'घ' में प्रदत्त किसी भी प्रकार की छुट्टी से है जो अंशदाता पर लागू हो सकती है; (viii) 'वेतन' से तात्पर्य संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से ली जाने वाली राशि से है, जैसे-

(i) (ii) विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर दिए गए वेतन के अलावा वेतन, जो उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में धारित किसी पद के लिए स्वीकृत किया गया हो; विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन, और (ii) कोई अन्य पारिश्रमिक जिसे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है; (ix) 'अंशदान' से तात्पर्य अंशदाता द्वारा भुगतान की गई राशि से है और अंशदान से तात्पर्य संस्थान द्वारा अंशदान की गई राशि से है; (x) 'वर्ष' का अर्थ वित्तीय वर्ष है।

निधि का गठन और प्रबंधन

(1) निधि, जिसका रखरखाव रुपए में किया जाएगा, का गठन अंशदाताओं द्वारा दिए गए अंशदान और संस्थान द्वारा किए गए अंशदान से किया जाएगा और इसमें पैराग्राफ 10 के उपपैरा (i) के अंतर्गत अंशदाताओं के खाते में जमा किए गए ब्याज को शामिल किया जाएगा।

निधि का प्रबंधन बोर्ड में निवेशित है। बोर्ड के नियंत्रण और निर्देश के अधीन, निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से निधि का प्रशासन करेगा।

(3) निधि को, निधि के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाएगा। मासिक खाते बंद होने के बाद जमा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-5 / 68 - टी.6 दिनांक 6 मई, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 मई, 1969 से प्रभावी

4 . (4) संस्थान निधि का ऐसा भाग, जिसे समीचीन समझा जाए, सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों, परक्राम्य सरकारी गारंटी बांडों तथा केन्द्रीय सरकार की ऐसी जमा योजनाओं में निवेश कर सकता है, जिन्हें इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है, ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज या लाभ को विविध प्राप्तियों के रूप में संस्थान में जमा किया जाएगा। सभी निवेश और प्रतिभूतियाँ संस्थान के नाम पर रखी जाएँगी। नामांकन (1) कोई अभिदाता निधि में शामिल होने के समय रजिस्ट्रार को नामांकन भेजेगा, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को निधि में उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा, यदि वह राशि देय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया है: * नोट: (2) बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार है, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में अभिदाता द्वारा किया गया नामांकन, जिसमें वह निधि में शामिल होने से पहले अभिदान कर रहा था, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाते में जमा राशि इस निधि में उसके खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, तो इस नियम के तहत विधिवत किया गया नामांकन माना जाएगा, जब तक कि वह उप-पैरा के अनुसार नामांकन नहीं कर देता। इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'व्यक्ति' या 'व्यक्तियों' में कोई कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं। यदि कोई अभिदाता उप-पैरा (1) के तहत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामिती को देय राशि या शेयर को इस तरह से निर्दिष्ट करेगा कि वह किसी भी समय निधि में उसके खाते में जमा पूरी राशि को कवर कर सके। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-5 / 68 - टी.6 दिनांक 6 मई, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित। 3 मई, 1969 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या जे 11011 / 7 / 77 / टी.6 दिनांक 20 जुलाई, 1979 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित। 25 जुलाई, 1979 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-1 / 66 - टी.6 दिनांक 1/3 फरवरी, 1977 द्वारा सम्मिलित। एल

(3)
(4)
(5)
(6)
प्रत्येक नामांकन परिशिष्ट II में दिए गए ऐसे प्रपत्रों में से किसी एक में होगा जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो।
अभिदाता किसी भी समय रजिस्ट्रार को लिखित में नोटिस भेजकर अपना नामांकन रद्द कर सकता है।
बशर्ते कि अभिदाता ऐसी सूचना के साथ इस पैरा के प्रावधानों के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।
अभिदाता नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है -
(क)
(ख)
किसी निर्दिष्ट नामिती के संबंध में कि उसके नामिती की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाने की स्थिति में, उस नामिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगा जैसा कि नामांकन में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्ति, यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो ऐसे अन्य सदस्य या सदस्य होंगे। जहां अभिदाता इस खंड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि या हिस्सा इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि वह नामिती को देय संपूर्ण राशि को कवर कर सके। इसमें निर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में नामांकन अवैध हो जाएगा; परंतु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार नहीं है, तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि उसके बाद में परिवार प्राप्त करने की स्थिति में यह अवैध हो जाएगा। आगे यह भी प्रावधान है कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के पास परिवार का केवल एक सदस्य है, तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि खंड (क) के अधीन वैकल्पिक नामिती को प्रदान किया गया अधिकार उसके बाद में उसके परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों को प्राप्त करने की स्थिति में अवैध हो जाएगा। किसी ऐसे नामिती की मृत्यु पर, जिसके संबंध में उप-पैरा (5) के खंड (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके कारण उप-पैरा (5) के खंड (ख) या उसके परंतुक के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, अभिदाता रजिस्ट्रार को लिखित में नामांकन रद्द करने की सूचना भेजेगा, साथ ही इस पैरा के उपबंधों के अनुसार नया नामांकन भी भेजेगा।
102
7.
5.
(7)
(8)
अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रद्दीकरण नोटिस, जहां तक वह वैध है, उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को वह संस्थान को प्राप्त होता है।
संस्थान द्वारा सभी नामांकनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अद्यतन रजिस्टर रखा जाएगा।
अभिदाताओं के खाते
प्रत्येक अभिदाता के नाम से परिशिष्ट III में दिए गए प्रपत्र में एक खाता खोला जाएगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा -
अभिदाता के अंशदान;
(i)
(ii)
संस्थान द्वारा उसके खाते में पैरा 9 के अंतर्गत किए गए अंशदान;
(iii)
अंशदान पर पैरा 10 के अनुसार ब्याज;
(iv)
(V)
6.

(1)
अंशदान पर पैरा 10 के अनुसार ब्याज; तथा
उसके खाते से अग्रिम राशि और निकासी।
अंशदान की शर्तें और दरें
(2)
(3)
(1)
प्रत्येक अभिदाता ड्यूटी पर या विदेश सेवा में रहते हुए निधि में मासिक अंशदान करेगा, परंतु निलंबन अवधि के दौरान नहीं। बशर्ते कि निलम्बन अवधि बीत जाने के पश्चात पुनः बहाल होने पर अभिदाता को एकमुश्त अथवा किश्तों में उस अवधि के लिए अनुमेय अंशदान की बकाया राशि से अधिक राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा।
अभिदाता अपने विकल्प पर, छुट्टी पर जाने से पहले अथवा उसके तुरंत बाद रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना भेजकर औसत वेतन पर छुट्टी अथवा 30 दिन से कम अवधि के अर्जित अवकाश के अलावा अन्य अवकाश के दौरान अंशदान नहीं कर सकता है।
समय पर सूचना न देने पर अंशदान करने का चुनाव माना जाएगा।
इस उप-पैरा के अंतर्गत सूचित किए गए अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।
ऐसा अभिदाता जिसने पैरा 29 के अंतर्गत अंशदान की राशि और उस पर ब्याज निकाल लिया है, ऐसी निकासी के पश्चात निधि में अंशदान नहीं करेगा, जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस न आ जाए।
अंशदान की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन निश्चित की जाएगी:-
(क) इसे पूरे रुपए में व्यक्त किया जाएगा (50 नए पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा)।

(2)
(3)
(4)
(ख) यह उसकी कुल परिलब्धियों के 8% प्रतिशत से कम नहीं और उससे अधिक नहीं हो सकती।
उप-पैरा (1) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, किसी अभिदाता की परिलब्धियां इस प्रकार होंगी -
(क) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को संस्थान की स्थायी सेवा में था, वह परिलब्धियां जिसका वह उस तिथि को हकदार था;
(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को संस्थान की स्थायी सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिसका वह अपनी स्थायी सेवा के प्रथम दिन हकदार था।
(ग) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था और उसने ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने का चुनाव किया था या उक्त तिथि को निलम्बित था; उसकी परिलब्धियां, जिनका वह ड्यूटी पर लौटने के पश्चात प्रथम तिथि को हकदार था।

(घ) ऐसे अभिदाता की दशा में, जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तिथि को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना हुआ है तथा उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का चयन किया है, उसकी परिलब्धियां वही परिलब्धियां होंगी, जिनका वह हकदार होता, यदि वह भारत में ड्यूटी पर होता।

इस प्रकार निर्धारित अंशदान की राशि वर्ष के दौरान केवल एक बार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

परन्तु यदि कोई अभिदाता किसी मास के किसी भाग के लिए ड्यूटी पर है तथा शेष मास के लिए छुट्टी पर है और यदि उसने छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का चयन किया है, तो देय अंशदान की राशि उस मास में ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के समानुपातिक होगी।

जब कोई अभिदाता अस्थायी रूप से विदेशी सेवा में (अन्यत्र) स्थानांतरित किया जाता है या भारत से बाहर भेजा जाता है, तो वह इस अनुसूची में निहित उपबंधों के अधीन उसी प्रकार रहेगा, जैसे कि वह स्थानांतरित न किया गया हो या बाहर न भेजा गया हो।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-20-32/63-टी.6 दिनांक 16 दिसंबर
1963 द्वारा संशोधित। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-20-32/63-टी.6 दिनांक 16 दिसंबर 1963 द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-20-32/63-टी.6 दिनांक 16 दिसंबर 1963 द्वारा जोड़ा गया। 104
8.
अंशदान की वसूली
(1) जब संस्थान के कोष से परिलब्धियां निकाली जाती हैं, तो इन परिलब्धियों के कारण अंशदान की वसूली तथा अग्रिम राशि के मूलधन और ब्याज की वसूली परिलब्धियों से ही की जाएगी।
(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से निकाली जाती हैं, तो अंशदाता को अपनी देय राशि मासिक रूप से संस्थान को भेजनी होगी। 9. संस्थान द्वारा अंशदान
(1)
(2)
(3)
संस्थान प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अंशदान करेगा। बशर्ते कि यदि कोई अभिदाता किसी वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके खाते में पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति और दुर्घटना की तिथि के बीच की अवधि के लिए अंशदान जमा किया जाएगा। आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी अवधि के लिए कोई अंशदान देय नहीं होगा जिसके लिए अभिदाता को इस अनुसूची के तहत निधि में अंशदान न करने की अनुमति दी गई है या वह निधि में अंशदान नहीं करता है।

अंशदान अभिदाता के वेतन का 8½ प्रतिशत होगा, जो वर्ष के दौरान या वर्ष में किसी अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, ड्यूटी पर लिया जाएगा।

यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अंशदान करना चुनता है, तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उसका अवकाश वेतन ड्यूटी पर लिया गया वेतन माना जाएगा।

- (4) विदेशी सेवा की अवधि के संबंध में देय किसी अंशदान की राशि, जब तक कि वह नियोक्ता से वसूल न की जाए, संस्थान द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी।

(5)

(6)

देय अंशदान की राशि निकटतम पूर्ण रुपए (50 नया पैसा और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिनते हुए) में पूर्णांकित की जाएगी।

पैरा 1 (1) के प्रावधान (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति 1-4-57 को निम्नलिखित राशि के प्रारंभिक शेष का हकदार होगा -

(क)

(ख)

1 अप्रैल 1957 से पूर्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी निरंतर और पेंशन योग्य सेवा की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वेतन के 6 प्रतिशत की दर से संस्थान का अंशदान; और

उक्त मद में निर्दिष्ट संपूर्ण अवधि के लिए उपरोक्त (क) के तहत अंशदान की राशि पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज।

105

एल

10.
ब्याज
(1)
(2)
(3)
(4)
संस्थान अभिदाता के खाते में ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के मामले में निर्धारित करे।
प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्नलिखित तरीके से ब्याज जमा किया जाएगा:
(i)
(ii)
पिछले वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के खाते में जमा राशि पर, चालू वर्ष के दौरान निकाली गई किसी भी राशि को घटाकर बारह महीनों के लिए ब्याज;
चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर चालू वर्ष के 1 अप्रैल से निकासी के महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन तक ब्याज;
(iii) पिछले वर्ष की 31 मार्च के बाद अभिदाता के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर जमा की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक ब्याज; (iv) ब्याज की कुल राशि पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी। बशर्ते कि जब किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तो इस उप-पैरा के तहत ब्याज केवल चालू वर्ष की शुरुआत से या जमा की तारीख से, जैसा भी मामला हो, उस तारीख तक की अवधि के संबंध में जमा किया जाएगा, जिस दिन अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है। इस पैरा के प्रयोजन के लिए, जमा की तारीख उस महीने की पहली तारीख मानी जाएगी जिसमें इसे जमा किया जाता है। बशर्ते कि जहां किसी अभिदाता के वेतन, छुट्टी वेतन और भत्ते के आहरण में और परिणामस्वरूप निधि के लिए उसके अंशदान की वसूली में देरी हुई है, ऐसे अंशदानों पर ब्याज उस महीने से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय था, भले ही वह वास्तव में जिस महीने में निकाला गया हो। सभी मामलों में, अंशदाता के खाते में शेष राशि के संबंध में, भुगतान किए जाने वाले महीने से पहले के महीने की समाप्ति तक या उस महीने के बाद छठे महीने के अंत तक, जिसमें ऐसी राशि देय हो गई थी, इनमें से जो भी अवधि कम हो, ब्याज का भुगतान किया जाएगा। + 11. (5) उप पैरा (4) के प्रावधान के अधीन, रजिस्ट्रार द्वारा उस व्यक्ति या उसके एजेंट को भुगतान करने के लिए तैयार होने की तिथि के रूप में सूचित किए जाने की तिथि के बाद किसी भी अवधि के संबंध में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। निधि से अग्रिम राशि अंशदाता को निधि में उसके खाते में जमा राशि से पैरा 12 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेक पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक अस्थायी अग्रिम दिया जा सकता है: - (ए) जब तक मंजूरी देने वाला प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हो जाता है कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ इसे उचित ठहराती हैं, और यह कि इसे निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों पर खर्च किया जाएगा, अन्यथा नहीं; (i) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की दीर्घकालीन बीमारी या प्रसव के संबंध में व्यय का भुगतान करना;

(ii) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारण विदेश यात्रा का व्यय वहन करना;

(iii) विवाह, अंत्येष्टि या धार्मिक रूप से उसके द्वारा किए जाने वाले समारोहों के संबंध में आवेदक की स्थिति के अनुरूप अनिवार्य व्यय का भुगतान करना;

(iv) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की हाई स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा के संबंध में भारत से बाहर व्यय का भुगतान करना;

(v) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की हाई स्कूल स्तर से आगे की भारत में किसी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम या अन्य सामान्य उच्च शिक्षा के संबंध में व्यय का भुगतान करना;

बशर्ते कि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो;
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी 1969 द्वारा संशोधित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी, 1969 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी, 1969 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
106
107

$

(vi) अपने बचाव की लागत को पूरा करना, जहां अभिदाता पर सरकार या संस्थान द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है या जहां अभिदाता किसी कथित आधिकारिक कदाचार के संबंध में जांच में अपने बचाव के लिए किसी कानूनी व्यवसायी को नियुक्त करता है;

(vii) अभिदाता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के संबंध में अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए अभिदाता द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करना;

* (viii) अपने निवास के लिए किसी भूखंड या मकान या तैयार फ्लैट के निर्माण की लागत को पूरा करना या किसी राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूखंड या तैयार फ्लैट के आवंटन के लिए कोई भुगतान करना।

नोट:
उप-खण्ड (vi) के अन्तर्गत अग्रिम, आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए स्वीकार्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा, किन्तु उक्त उप-खण्ड के अन्तर्गत अग्रिम, किसी अभिदाता को उसके द्वारा सरकार/संस्था के विरुद्ध किसी न्यायालय में उसके द्वारा उस पर लगाए गए किसी दण्ड या सेवा की किसी शर्त के सम्बन्ध में अथवा उसके पदीय कर्तव्यों से असंबद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में किसी कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्वीकार्य नहीं होगा।
(कक) स्वीकृति प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि सम्बन्धित अभिदाता को खण्ड (क) में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है। (ख) अग्रिम, विशेष कारणों को छोड़कर, तीन माह के वेतन से अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी स्थिति में निधि में अभिदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज से अधिक नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी, 1969 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-3 / 80 - टी.6 दिनांक 24 मार्च 1982 द्वारा सम्मिलित। 15 मार्च 1982 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी 1969 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11 - एल / 70 - टी.6 दिनांक 29 जून 1971 द्वारा सम्मिलित। 22 जून 1971 से प्रभावी।
12 .
13 .
+ (1)
(2)
(1)
(ग) अग्रिम, विशेष कारणों को छोड़कर, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सभी पिछले अग्रिमों का ब्याज सहित अंतिम पुनर्भुगतान न कर दिया जाए।
(घ)
(ङ)
* (2)
जहां अग्रिम ऐसे कारणों से स्वीकृत किया जाता है, वहां स्वीकृति प्राधिकारी लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करेगा।
निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

निदेशक के अलावा अन्य अंशदाताओं को निधि से अस्थायी अग्रिम निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जो अपने विवेक से यह कार्य उप निदेशक और रजिस्ट्रार को सौंप सकता है।
निधि से निदेशक को अस्थायी अग्रिम के लिए अध्यक्ष की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
अग्रिम अंशदाता से ऐसी समान मासिक किस्तों में वसूला जाएगा जैसा कि स्वीकृति प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है; लेकिन ऐसी संख्या बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अंशदाता ऐसा न चाहे, या किसी भी मामले में चौबीस से अधिक नहीं होगी। अंशदाता अपनी इच्छानुसार निर्धारित किस्तों से कम किस्तों में पुनर्भुगतान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे रुपए की होगी, अग्रिम राशि को, यदि आवश्यक हो, ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

अंशदान की वसूली के लिए पैराग्राफ बी में दिए गए तरीके से वसूली की जाएगी और अग्रिम राशि प्राप्त करने के अगले महीने के वेतन के जारी होने के साथ शुरू होगी।

जब अंशदाता छुट्टी पर हो या निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो, तो उसकी सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी और अंशदाता को दिए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा इसे स्थगित किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11 - एल / 70 - टी.6 दिनांक 29 जून 1971 द्वारा संशोधित। 22 जून 1971 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-7 / 65 - टी.6 दिनांक 16 अक्टूबर 1968 द्वारा संशोधित। 18 सितंबर 1968 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी 1969 द्वारा प्रतिस्थापित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
109
एल
108
7

* नोट:
(vi) यदि अभिदाता पर सरकार या संस्थान द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है या अभिदाता किसी कथित आधिकारिक कदाचार के संबंध में जांच में अपना बचाव करने के लिए किसी विधिक व्यवसायी को नियुक्त करता है, तो उसके बचाव की लागत को पूरा करना;
(vii) अभिदाता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए जाने का दावा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के संबंध में अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए उसके द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करना;
* (viii) अपने निवास के लिए किसी भूखंड या मकान या तैयार फ्लैट के निर्माण की लागत को पूरा करना या किसी राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूखंड या तैयार फ्लैट के आवंटन के लिए कोई भुगतान करना।
उप-खण्ड (vi) के अन्तर्गत अग्रिम, आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए स्वीकार्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा, किन्तु उक्त उप-खण्ड के अन्तर्गत अग्रिम, किसी अभिदाता को उसके द्वारा सरकार/संस्था के विरुद्ध किसी न्यायालय में उस पर लगाए गए किसी दण्ड या सेवा की किसी शर्त के सम्बन्ध में अथवा उसके पदीय कर्तव्यों से असंबद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में किसी कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्वीकार्य नहीं होगा।
$ (कक) स्वीकृति प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि सम्बन्धित अभिदाता को खण्ड (क) में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है। अग्रिम, विशेष कारणों को छोड़कर, तीन माह के वेतन से अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी स्थिति में निधि में अभिदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज से अधिक नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी, 1969 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-3 / 80 - टी.6 दिनांक 24 मार्च 1982 द्वारा सम्मिलित।
15 मार्च 1982 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी 1969 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11 - एल / 70 - टी.6 दिनांक 29 जून 1971 द्वारा सम्मिलित। 22 जून 1971 से प्रभावी।
108
12 .
13 .
(1) (ग) अग्रिम, विशेष कारणों को छोड़कर, सभी पिछले अग्रिमों की अंतिम चुकौती के पश्चात ही दिया जाएगा (घ) उस पर ब्याज सहित। यदि अग्रिम ऐसे कारणों से स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति प्राधिकारी लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करेगा। निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। (ई) निदेशक के अलावा अन्य अंशदाताओं को निधि से अस्थायी अग्रिम निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जो अपने विवेक से यह कार्य उप निदेशक और रजिस्ट्रार को सौंप सकता है। (2) निधि से निदेशक को अस्थायी अग्रिम के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अग्रिम अंशदाता से ऐसी समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा, जैसा कि स्वीकृति प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है; लेकिन ऐसी संख्या बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अंशदाता ऐसा न चाहे, या किसी भी मामले में चौबीस से अधिक नहीं होगी। अभिदाता अपनी इच्छानुसार निर्धारित किस्तों से कम किस्तों में पुनर्भुगतान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे रुपए की होगी, अग्रिम राशि को, यदि आवश्यक हो, ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
अभिदाता की वसूली के लिए पैराग्राफ बी में दिए गए तरीके से वसूली की जाएगी और अग्रिम राशि प्राप्त करने के अगले महीने के वेतन के जारी होने के साथ शुरू होगी।
जब अभिदाता छुट्टी पर हो या निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो, तो उसकी सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी और अभिदाता को दिए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा इसे स्थगित किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11 - एल / 70 - टी.6 दिनांक 29 जून 1971 द्वारा संशोधित।
22 जून 1971 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-7 / 65 - टी.6 दिनांक 16 अक्टूबर 1968 द्वारा संशोधित। 18 सितंबर 1968 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-3 / 65 - टी.6 दिनांक 10 जनवरी 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
8 जनवरी 1969 से प्रभावी।
109

14.
(3)
(4)
(5)
(6)
यदि किसी अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम राशि दी गई है, तो प्रत्येक अग्रिम राशि को वसूली के उद्देश्य से अलग-अलग माना जाएगा।
अग्रिम राशि का पूर्ण भुगतान कर दिए जाने के पश्चात, उस पर मूल राशि के आहरण और पूर्ण भुगतान के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक माह या माह के विभाजित भाग के लिए मूल राशि का पांचवां प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।
ब्याज सामान्यतः मूल राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात् वाले माह में एक किस्त में वसूल किया जाएगा; किन्तु यदि उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट अवधि बीस माह से अधिक हो जाती है, तो अभिदाता की इच्छा होने पर ब्याज दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जा सकता है। वसूली की विधि उप-पैरा (2) में दी गई विधि के अनुसार होगी। भुगतान को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। इस नियम के तहत की गई वसूली, जैसे ही की जाती है, निधि में अंशदाता के खाते में जमा कर दी जाएगी। नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक द्वारा निधि से की गई निकासी के मामले में अध्यक्ष द्वारा और किसी भी अन्य मामले में निदेशक द्वारा किसी भी समय मंजूरी दी जा सकती है; (क) बीस वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात (यदि कोई हो तो सेवा की टूटी हुई अवधि सहित) या अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तिथि से दस वर्ष पूर्व, जो भी पहले हो, निधि में अभिदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज में से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्: (i) उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, अभिदाता या अभिदाता के किसी बच्चे के यात्रा व्यय को शामिल किया गया है, अर्थात्: (क) (ख) उच्च विद्यालय स्तर से आगे भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा के लिए; और उच्च विद्यालय स्तर से आगे भारत में किसी भी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए; (ii) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और वास्तव में उस पर आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी की सगाई/विवाह के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिए; 15. (बी)
(सी)
(1)
(iii) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है;
अभिदाता की पंद्रह वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद (यदि कोई सेवा अवधि टूट गई हो, तो भी शामिल है) या उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-
(i)
अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट का निर्माण या अधिग्रहण करने के लिए, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है;
(एच) अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के निर्माण या अधिग्रहण के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए;
(iii) अपने निवास के लिए मकान बनाने के लिए भूमि का एक भूखंड खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए;
(iv) अंशदाता के स्वामित्व में या उसके द्वारा पहले से ही अर्जित मकान या बने हुए फ्लैट का पुनर्निर्माण या उसमें अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन करने के लिए;

(v) ड्यूटी के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पैतृक मकान या ड्यूटी के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सरकार से ऋण की सहायता से निर्मित मकान का जीर्णोद्धार, अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन या रख-रखाव करने के लिए;

(vi) धारा (ग) के अंतर्गत क्रय की गई भूमि के भूखण्ड पर मकान बनाने के लिए

अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने के भीतर, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से कृषि भूमि या व्यवसायिक परिसर या दोनों के अधिग्रहण के उद्देश्य से। अंशदाता द्वारा किसी भी समय पैरा 14 में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के लिए निधि में उसके खाते में जमा राशि में से निकाली गई कोई राशि सामान्यतः अंशदाता के खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की आधी राशि या 6 महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्वीकृति प्राधिकारी इस सीमा से तीन-चौथाई तक अधिक राशि की निकासी को मंजूरी दे सकता है।

16 . 17 . (2) अंशदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज, जिसमें (i) वह उद्देश्य जिसके लिए निकासी की जा रही है, (ii) अंशदाता की स्थिति और (iii) निधि में अंशदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज को ध्यान में रखा जाएगा। जिस अभिदाता को पैरा 14 के अन्तर्गत निधि से धन निकालने की अनुमति दी गई है, वह स्वीकृति प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर यह संतुष्टि देगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे निकाला गया था, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निकाली गई पूरी राशि, या उसमें से वह राशि जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई है जिसके लिए उसे निकाला गया था, अभिदाता द्वारा पैरा 10 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर ब्याज सहित एकमुश्त वापस कर दी जाएगी और ऐसे भुगतान में चूक होने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा कि वह राशि उसके वेतन से एकमुश्त या मासिक किस्तों में, जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाए, वसूल की जाए। कोई अभिदाता जिसने पैरा 14 के उप-पैरा (i) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए पैरा 11 के अंतर्गत अग्रिम राशि पहले ही ले ली है या भविष्य में ले सकता है, वह अपने विवेकानुसार, स्वीकृति प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध द्वारा पैरा 14 और 15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उस पर बकाया शेष राशि को अंतिम निकासी में परिवर्तित कर सकता है। बीमा पॉलिसियों और पारिवारिक पेंशन निधि के लिए भुगतान निधि के अभिदाता द्वारा लिखित आवेदन पर और पैरा 18 से 25 में निहित शर्तों के अधीन - (क) (i) पारिवारिक पेंशन निधि के लिए अंशदान; और (ख) (ii) बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान, निधि के अंशदान के पूरे या हिस्से के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है; निधि में अभिदाता के खाते में जमा ब्याज सहित अंशदान की राशि निम्नलिखित के लिए निकाली जा सकती है: - (i) बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान; शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-24-3/65-टी.6 दिनांक 10 जनवरी 1969 द्वारा प्रतिस्थापित। 8 जनवरी 1969 से प्रभावी।

112

18 .

19 .

(ii)

(iii)

एकल भुगतान बीमा पॉलिसी की खरीद;

एकल प्रीमियम का भुगतान या परिवार पेंशन निधि में अंशदान।

बशर्ते कि (क) और (ख) दोनों के संबंध में परिवार पेंशन (i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो; और (ii) बीमा पॉलिसी ऐसी हो जो स्वयं अंशदाता द्वारा संस्थान के पक्ष में विधिक रूप से निर्दिष्ट की जा सकती हो और उसके द्वारा निर्दिष्ट की गई हो तथा निधि से किए गए भुगतान के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार को सौंपी गई हो।

(1) अभिदाता द्वारा स्वयं अपने जीवन पर अथवा अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी, जो अभिदाता के स्वयं के जीवन पर पॉलिसी मानी जाएगी, संस्थान के पक्ष में समनुदेशन के लिए स्वीकार की जा सकेगी। अभिदाता की पत्नी को समनुदित पॉलिसी तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि पॉलिसी को पहले अभिदाता को पुनः समनुदित न कर दिया जाए अथवा अभिदाता और उसकी पत्नी दोनों किसी उचित समनुदेशन में सम्मिलित न हो जाएं। बीमा पॉलिसी संस्थान को परिशिष्ट V में दिए गए प्रपत्रों में से प्रपत्र (1) अथवा प्रपत्र (2) अथवा प्रपत्र (3) में पॉलिसी पर किए गए पृष्ठांकन के माध्यम से समनुदित की जाएगी, इस आधार पर कि पॉलिसी अभिदाता के जीवन पर है अथवा अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर है अथवा पॉलिसी पहले ही अभिदाता की पत्नी को समनुदित की जा चुकी है। पॉलिसी के समनुदेशन की सूचना अभिदाता द्वारा बीमा कंपनी को दी जाएगी, तथा बीमा कंपनी द्वारा सूचना की पावती समनुदेशन की तिथि से तीन माह के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

जहां कोई बीमा पॉलिसी संस्थान को समनुदित की गई है, वहां रजिस्ट्रार, जहां संभव हो, बीमा कंपनी को संदर्भित करके स्वयं को संतुष्ट करेगा कि पॉलिसी का कोई पूर्व समनुदेशन मौजूद नहीं है।

(1) हिंदू परिवार (पेंशन) वार्षिकी निधि तथा डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के मामलों को छोड़कर, जिनके संबंध में संस्थान द्वारा मासिक वेतन बिलों से वास्तव में की गई वसूली की सीमा तक अंशदान या प्रीमियम का

भुगतान किया जाता है, संस्थान अभिदाताओं की ओर से बीमा कंपनियों को कोई भुगतान नहीं करेगा, न ही पॉलिसी को चालू रखने के लिए कोई कदम उठाएगा।

(2) कोई अभिदाता जो अपने निधि अंशदान को पूर्णतः या आंशिक रूप से पारिवारिक पेंशन निधि या बीमा के लिए पैरा 17 के खंड (क) के अधीन भुगतान हेतु प्रतिस्थापित करना चाहता है, वह निधि में अपने अंशदान को उसकी सीमा के भीतर कम कर सकता है: बशर्ते कि उप-पैरा (1) में उल्लिखित अंशदान या प्रीमियम के मामलों को छोड़कर, अभिदाता भुगतान की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेंगे ताकि यह संतुष्टि हो सके कि निधि में अंशदान में जिस राशि से कमी की गई है, वह पैरा 17 के खंड (क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विधिवत् रूप से उपयोग की गई थी। (3) कोई अभिदाता जो पैरा 17 के खंड (ख) के अधीन निधि में अपने अंशदान की सीमा के भीतर कोई राशि निकालना चाहता है, उसे निधि में अपने अंशदान से भुगतान की जाने वाली राशि की निकासी के लिए रजिस्ट्रार के साथ व्यवस्था करनी होगी। बशर्ते कि अभिदाता भुगतान की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेगा ताकि यह संतुष्टि हो सके कि निकाली गई राशि पैरा 17 के खंड (ख) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विधिवत रूप से उपयोग की गई थी।

(4) पैरा 17 के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत निकाली गई कोई भी राशि पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित करके पूरे रुपए में भुगतान की जाएगी।

20.

(1)

21.

(2)

यदि पैरा 17 के खंड (क) के अंतर्गत प्रतिस्थापित किसी भी अंशदान या भुगतान की कुल राशि पैरा 7 के अंतर्गत निधि को देय न्यूनतम अंशदान की राशि से कम है, तो अंतर को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाना चाहिए और अभिदाता द्वारा निधि में अंशदान के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए।

यदि अभिदाता पैरा 17 के खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए निधि में अपने खाते में जमा किसी भी राशि को निकालता है, तो वह पैरा 7 के तहत देय अंशदान का भुगतान निधि में करना जारी रखेगा। एक बार जब बीमा पॉलिसी को निधि से वित्तपोषित किए जाने के उद्देश्य से स्वीकार कर लिया जाता है, तो पॉलिसी की शर्तों में बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही निदेशक की पूर्व सहमति के बिना पॉलिसी को किसी अन्य पॉलिसी के लिए बदला जाएगा। इसके अलावा, इस प्रावधान के तहत आवंटित जीवन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम वार्षिक रूप से देय नहीं होगा। पॉलिसी की अवधि के दौरान अभिदाता कोई भी बोनस नहीं लेगा, जिसका आहरण पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत वैकल्पिक है तथा किसी भी बोनस की राशि, जिसे पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत अभिदाता के पास आहरित करने से बचने का कोई विकल्प नहीं है, अभिदाता द्वारा तत्काल निधि में जमा कर दी जाएगी अथवा चूक होने पर बोर्ड के निर्देशानुसार किश्तों में अथवा अन्यथा उसके वेतन से कटौती करके वसूल की जाएगी। (1)

(2)

पैरा 25 के उप पैरा (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, जब अभिदाता:-

(क) सेवा छोड़ देता है, या

(ख) सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर चला जाता है और संस्थान को पॉलिसी के पुनः असाइनमेंट या वापसी के लिए आवेदन करता है, या

(ग) छुट्टी पर रहते हुए, उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाती है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और वह संस्थान को पॉलिसी के पुनः असाइनमेंट या वापसी के लिए आवेदन करता है, या

(घ)

पैरा 17 के खंड (क) के उप-खंड (ii) और पैरा 17 के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए निधि से रोकी गई या निकाली गई पूरी राशि को पैरा 10 में दिए गए ब्याज सहित निधि में जमा कर देता है।

यदि पॉलिसी पैरा 18 के तहत संस्थान के पक्ष में असाइन की गई है, तो रजिस्ट्रार पॉलिसी को पुनः असाइन करेगा। परिशिष्ट VI में दिए गए प्रथम प्रपत्र में अभिदाता को, अथवा अभिदाता और संयुक्त बीमित व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, सौंप देगा और उसे अभिदाता को सौंप देगा, साथ में बीमा कंपनी को संबोधित पुनः-असाइनमेंट की हस्ताक्षरित सूचना भी देगा।

पैरा 25 के उप-पैरा (2) में दिए गए प्रावधान के सिवाय, जब अभिदाता सेवा छोड़ने से पहले मर जाता है, तो रजिस्ट्रार परिशिष्ट VI में दिए गए द्वितीय प्रपत्र में पॉलिसी को ऐसे व्यक्ति को पुनःअसाइन करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार हो, और पॉलिसी को ऐसे व्यक्ति को सौंप देगा, साथ में बीमा कंपनी को संबोधित पुनःअसाइनमेंट की हस्ताक्षरित सूचना भी देगा।

यदि पैरा 18 के अंतर्गत संस्थान के पक्ष में सौंपी गई पॉलिसी अभिदाता के सेवा छोड़ने से पहले परिपक्व हो जाती है, या यदि अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर उक्त पैरा के अंतर्गत सौंपी गई पॉलिसी पत्नी की मृत्यु के कारण भुगतान के लिए देय हो जाती है, तो पॉलिसी की पूरी राशि, वसूली होने पर, अभिदाता के कोष में जमा कर दी जाएगी।

25 . 26 . (1) (2) यदि परिवार पेंशन निधि में अभिदाता का हित किसी भी कारण से पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो अभिदाता के भविष्य निधि खाते में तत्काल प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि कोई हो, जो अभिदाता द्वारा परिवार पेंशन निधि के चूक से सुरक्षित की गई हो, जो राशि प्रतिपूर्ति में अभिदाता के परिलब्धियों से किस्तों में या अन्यथा, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, काट ली जाएगी। यदि संस्थान को - निर्देश की सूचना प्राप्त होती है। (क) किसी समनुदेशन (अनुच्छेद 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदेशन के अलावा) या (ख) किसी भार का प्रभार, या (ग) किसी न्यायालय द्वारा पॉलिसी या उस पर वसूली गई किसी राशि से निपटने पर रोक लगाने का आदेश, रजिस्ट्रार - (i) पैरा 23 में दिए गए अनुसार पॉलिसी को पुनः समनुदित या हस्तांतरित नहीं करेगा। (ii) पॉलिसी द्वारा आश्वासित राशि को, पैरा 24 में दिए गए अनुसार वसूल करेगा, किन्तु मामले को तत्काल बोर्ड को भेजेगा। इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि पैरा 17 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन निधि से रोकी गई या निकाली गई राशि का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए निधि से राशि रोकने या निकालने की स्वीकृति दी गई थी, तो प्रश्नगत राशि, पैरा 10 में दिए गए दर पर ब्याज सहित, तत्काल अभिदाता द्वारा निधि में जमा कर दी जाएगी, या चूक होने पर, अभिदाता के वेतन से एकमुश्त राशि काटकर वसूल करने का आदेश दिया जाएगा, भले ही वह छुट्टी पर हो। यदि भुगतान की जाने वाली कुल राशि अभिदाता के वेतन के आधे से अधिक है, तो वसूली उसके वेतन के आधे भाग की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी, जब तक कि उसके द्वारा वसूली योग्य पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। टिप्पणी: इस नियम में प्रयुक्त शब्द 'परिलब्धियाँ' में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है।

27.

पॉलिसियों के वित्तपोषण से संबंधित प्रावधानों का प्रतिबंध पैराग्राफ 17 से 26 में निहित प्रावधान केवल उन ग्राहकों पर लागू होंगे, जो इन नियमों के लागू होने की तिथि से पहले जीवन बीमा पॉलिसियों के भुगतान को पूर्णतः या आंशिक रूप से निधि में अंशदान के लिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं या ऐसे भुगतानों के लिए निधि से निकासी कर रहे हैं:

बशर्ते कि ऐसे ग्राहकों को निधि में देय अंशदान के लिए ऐसे भुगतान को प्रतिस्थापित करने या किसी नई पॉलिसी के संबंध में ऐसे भुगतान करने के लिए निधि से निकासी करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें संचय देय हैं जब कोई ग्राहक सेवा छोड़ता है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि, पैरा 31 के अंतर्गत किसी कटौती के अधीन देय हो जाएगी

28.

29.

30.

बशर्ते कि कोई अभिदाता, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो और बाद में सेवा में पुनः बहाल किया गया हो, यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, तो इस पैरा के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई कोई भी राशि पैरा 10 में निर्धारित दर पर ब्याज सहित पैरा 29 के परंतुक में दिए गए तरीके से वापस करेगा। इस प्रकार वापस की गई राशि निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी, जिसका भाग उसके अंशदान और उस पर ब्याज को दर्शाता है, तथा वह भाग जो संस्थान के अंशदान और उस पर ब्याज को दर्शाता है, पैरा 5 में दिए गए तरीके से हिसाब में लिया जाएगा। जब कोई अभिदाता - (क) सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर चला गया हो या यदि वह अवकाश विभाग में कार्यरत है, तो अवकाश के साथ सेवानिवृत्ति की तैयारी के

लिए छुट्टी पर हो, या (ख) छुट्टी पर रहते हुए, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई हो, निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की राशि, निदेशक को उसके द्वारा उस संबंध में आवेदन किए जाने पर देय हो जाएगी। अभिदाता को। बशर्ते कि यदि अभिदाता ड्यूटी पर वापस लौटता है, तो संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, वह इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई किसी भी राशि का पूरा या आंशिक भाग, नकद या प्रतिभूतियों में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से प्रतिभूतियों में, किस्तों में या अन्यथा, जैसा कि संस्थान निर्देश दे, अपने खाते में जमा करने के लिए निधि में वापस करेगा। अभिदाता की मृत्यु पर पैरा 31 के तहत किसी भी कटौती के अधीन, उसके खाते में जमा राशि के भुगतान योग्य होने से पहले या जहां राशि भुगतान योग्य हो गई है, भुगतान किए जाने से पहले, (i) जब अभिदाता परिवार छोड़ता है-

(a) यदि अभिदाता द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया गया नामांकन विद्यमान है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या

नोट:-
नामांकन से संबंधित उसका भाग, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय होगा;
(ख) यदि अंशदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामांकन विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित है, तो पूरी राशि या उसका वह भाग, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, जैसा भी मामला हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने का दावा करने वाले किसी भी नामांकन के बावजूद, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय होगा:
बशर्ते कि कोई भी हिस्सा निम्नलिखित को देय नहीं होगा -
(1) वयस्क हो चुके बेटे;
(2) वयस्क हो चुके मृतक बेटे के बेटे;
(3) विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं; (4) किसी मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं, यदि परिवार में खंड (1), (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है:
यह भी प्रावधान है कि विधवा या विधवाओं तथा मृत पुत्र के बच्चे या बच्चों को आपस में बराबर भागों में केवल वही हिस्सा मिलेगा जो उस पुत्र को मिलता यदि वह अभिदाता के बाद जीवित होता और उसे प्रथम परंतुक के खंड (1) के प्रावधानों से छूट प्राप्त होती; (i) इन नियमों के अधीन किसी अभिदाता के परिवार के सदस्य को देय कोई राशि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित हो जाती है।

(ii) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है, यदि उसके द्वारा पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान रहता है, तो निधि में या उसके उस भाग में, जिससे नामांकन संबंधित है, उसके खाते में जमा राशि, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय हो जाएगी।

नोट:- जब कोई नामिती अभिदाता का आश्रित है, जैसा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित किया गया है, तो वह राशि उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामिती में निहित हो जाती है।
118

जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है और पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया गया कोई नामांकन अस्तित्व में नहीं है, या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के केवल भाग से संबंधित है, तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रासंगिक प्रावधान उस पूरी राशि या उसके उस भाग पर लागू होंगे, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है।
30ए. जमा सहबद्ध बीमा योजना
अभिदाता की मृत्यु होने पर, अभिदाता के खाते में जमा राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक पहले के 3 वर्षों के दौरान खाते में जमा अंशदान की औसत राशि तथा उस पर ब्याज के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि:-
(क) ऐसे अभिदाता के खाते में ब्याज सहित अंशदान का शेष मृत्यु के महीने से पहले के 3 वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्न सीमा से कम नहीं होना चाहिए:-
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
रु. 4000/- ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग के लिए ऐसा पद धारण किया हो जिसका अधिकतम वेतनमान रु. 1300/- या उससे अधिक हो;

रु. 2500/- उस अभिदाता के मामले में, जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है, जिसका वेतनमान अधिकतम 900/- रुपये या उससे अधिक किन्तु 1300/- रुपये से कम है; 1500/- उस अभिदाता के मामले में, जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है, जिसका वेतनमान अधिकतम 291/- रुपये या उससे अधिक किन्तु 900/- रुपये से कम है; 1000/- उस अभिदाता के मामले में, जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है, जिसका वेतनमान अधिकतम 291/- रुपये से कम है; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त राशि 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी; (ग) ग्राहक ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 16-24 / 78 - टी.6 दिनांक 1 मार्च 1979 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी 1975 से प्रभावी। 119

नोट 1: औसत शेष राशि, मृत्यु होने वाले महीने से पहले के 36 महीनों में से प्रत्येक के अंत में ग्राहक के खाते में जमा शेष राशि के आधार पर निकाली जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, साथ ही ऊपर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि की जांच करने के लिए- (क) मार्च के अंत में शेष राशि में अनुच्छेद 10 के अनुसार जमा किए गए अंशदान पर वार्षिक ब्याज शामिल होगा; और (ख) यदि उपरोक्त 36 महीनों में से अंतिम महीना मार्च नहीं है, तो उक्त अंतिम महीने के अंत में शेष राशि में वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर अंतिम महीने के अंत तक की अवधि के संबंध में अंशदान पर ब्याज शामिल होगा। नोट 2: इस योजना के तहत भुगतान पूरे रुपये में होना चाहिए। यदि देय राशि में एक रुपये का अंश शामिल है, तो इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाना चाहिए, (50 पैसे अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिने जाते हैं)। नोट 3: इस योजना के अंतर्गत देय कोई भी राशि बीमा राशि की प्रकृति की है, इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अंतर्गत देय राशि पर लागू नहीं होती है।
नोट 4: यह योजना निधि के उन अंशदाताओं पर भी लागू होती है, जो किसी सरकारी विभाग के ऐसे निकाय में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप किसी स्वायत्त संगठन में स्थानांतरित हो जाते हैं और जो ऐसे स्थानांतरण पर, उन्हें दिए गए विकल्प के अनुसार उन नियमों के अनुसार इस निधि में अंशदान करने का विकल्प चुनते हैं।
टिप्पणी 5: (क) संस्थान के किसी कर्मचारी की दशा में, जिसे परिनियम 18 (2) / परिनियम 18 ए (1) के अधीन निधि के लाभों में भर्ती किया गया है, किन्तु उसकी मृत्यु निधि में भर्ती होने की तिथि से तीन वर्ष की सेवा, या, जैसा भी मामला हो, पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले हो जाती है, तो पूर्ववर्ती नियोक्ता के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसके लिए उसके अंशदान की राशि और नियोक्ता का अंशदान, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) अवधि के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की दशा में, ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियोजित की तिथि से की गई सेवा, जैसा भी मामला हो, इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह योजना संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। टिप्पणी 6: इस योजना के संबंध में व्यय का बजट अनुमान, व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए निधि के लेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लेखा अधिकारी द्वारा उसी प्रकार तैयार किया जाएगा, जैसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं।
120
टी
31.
कटौतियां
इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है, जो पैरा 9 और 10 के तहत संस्थान द्वारा जमा किए गए किसी भी अंशदान की राशि और उस पर ब्याज से अधिक जमा को कम करती है, निधि में किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि का भुगतान करने से पहले, बोर्ड उसमें से कटौती करने और संस्थान को भुगतान करने का निर्देश दे सकता है -
(ए) कोई भी राशि, यदि किसी अभिदाता को गंभीर कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है:
बशर्ते कि, यदि बर्खास्तगी का आदेश बाद में रद्द कर दिया जाता है, तो कटौती की गई राशि, सेवा में उसकी बहाली पर, निधि में उसके खाते में प्रतिस्थापित की जाएगी; (ख) कोई राशि, यदि कोई अभिदाता संस्थान में अपनी नौकरी शुरू होने के पांच वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता है या संस्थान का कर्मचारी नहीं रहता है, सिवाय अधिवर्षिता के कारण या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा किए जाने के कि वह भविष्य में सेवा के लिए अयोग्य है।

(ग)

बशर्ते कि संविदा पर कार्यरत किसी कर्मचारी के मामले में, भविष्य निधि और अन्य लाभों के लिए संस्थान का अंशदान

(i)

(ii)

पूर्ण रूप से देय होगा, यदि संविदा की पूरी अवधि पूरी कर ली गई है;

अनुपात में, यदि संविदा पहले समाप्त कर दी गई है, बशर्ते कि संविदा की समाप्ति उसमें दिए गए नियमों के अनुसार हो।

संस्थान के प्रति अभिदाता द्वारा वहन की गई देयता के अंतर्गत देय कोई राशि।
32. (1) (क) जब निधि में किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि या पैरा 31 के अंतर्गत किसी कटौती के पश्चात उसका शेष भुगतान योग्य हो जाता है, तो रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि निदेशक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात, जब उस पैरा के अंतर्गत कोई कटौती करने का निर्देश न दिया गया हो कि कोई कटौती नहीं की जानी है, तो वह भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार भुगतान करे। 3 जून 1980 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-3/78-टी.6 दिनांक 7 जून 1980 द्वारा प्रतिस्थापित। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ: 24:7/65-टी.6 दिनांक 16 अक्टूबर 1968 द्वारा संशोधित। 18 सितंबर 1968 से प्रभावी। 121

(ख) अंशदायी भविष्य निधि से निदेशक को अंतिम भुगतान के मामले में, भुगतान को मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी गवर्नर्स बोर्ड का अध्यक्ष होगा। (2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस अनुसूची के अंतर्गत कोई राशि या पॉलिसी का भुगतान, समनुदेशित, पुनः समनुदेशित या सुपुर्द किया जाना है, पागल है, जिसकी संपत्ति के लिए इस निमित्त प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो भुगतान या पुनः समनुदेशित या सुपुर्दगी भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त ऐसे प्रबंधक को की जाएगी, न कि पागल को। (3) कोई भी व्यक्ति जो इस पैरा के अंतर्गत भुगतान का दावा करना चाहता है, उसे निदेशक को इस निमित्त लिखित आवेदन भेजना होगा। निकाली गई राशि का भुगतान भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को राशि देय है, उन्हें भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। नोट: प्रक्रिया 33. 34. 35. जब किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि पैरा 28, 29 या 30 के अंतर्गत देय हो जाती है, तो संस्थान अभिदाता के खाते में जमा राशि के उस भाग के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगा, जिसके संबंध में कोई विवाद या संदेह नहीं है, तथा शेष राशि को यथाशीघ्र समायोजित किया जाएगा। निधि में संचित राशि, जिसका भुगतान इस अनुसूची के अंतर्गत देय होने के पश्चात छह माह के भीतर नहीं किया गया है, को वर्ष की 31 मार्च के पश्चात 'जमा' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा जमा से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत माना जाएगा। भारत में अंशदान का भुगतान परिलब्धियों में से कटौती करके या नकद में करते समय, अभिदाता निधि में अपने खाते की संख्या अंकित करेगा, जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे बताई जाएगी। संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना भी लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता को दी जाएगी। (1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के पश्चात यथाशीघ्र तथा निधि खातों का लेखा-परीक्षण लेखा अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को परिशिष्ट VII में दिए गए प्रपत्र में निधि में उसके खाते का विवरण भेजेगा, जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आरंभिक शेष राशि, वर्ष के दौरान जमा की गई कुल राशि तथा उस तिथि को अंतिम शेष राशि दर्शाई जाएगी। (2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह जांच संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता - (क) (ख) पैरा 4 के अंतर्गत किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है; परिवार अर्जित कर लिया है (ऐसे मामलों में जहां अभिदाता ने पैरा (4) के उप-पैरा (1) के प्रावधान के अंतर्गत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया है)

अभिदाता को वार्षिक विवरण की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए, तथा विवरण प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर त्रुटियों को लेखा अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अभिदाता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने विवरण स्वीकार कर लिया है।

जहां वार्षिक विवरण में त्रुटियां ध्यान में लाई जाती हैं, वहां अभिदाता की संतुष्टि के लिए निपटान के लिए उनका मिलान करना लेखा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

परिशिष्ट I

[पैरा 1 (5) देखें]

घोषणा का प्रारूप

(अभिदाता), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का

स्थायी कर्मचारी, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। दिनांक 19 दो गवाह हस्ताक्षर

1. 2.

दिनांक 19

परिशिष्ट II

[पैरा 4 (3) देखें]

अभिदाता के हस्ताक्षर

I.

नामांकन का प्रारूप

जब अभिदाता का परिवार हो और वह उसमें से किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहता हो।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैरा 2 में परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य है, नामित करता हूं कि वह निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करे, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो वह राशि देय होने से पहले या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं की गई है: नामित व्यक्ति का नाम और पता अंशदाता के साथ संबंध आयु ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास अंशदाता से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति का अधिकार जाएगा II. जब अंशदाता का परिवार हो और वह उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो। मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैरा 2 में परिभाषित अनुसार मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामित करता हूँ कि वे निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करें, यदि मेरी मृत्यु उस राशि के देय होने से पहले हो जाती है, या देय होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया है और निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि को उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से वितरित किया जाएगा: नामित व्यक्ति का नाम और पता अंशदाता के साथ संबंध आयु प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली संचय राशि में से अंश की राशि आकस्मिकताएँ उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके लिए नामांकन अमान्य हो जाएगा नामित व्यक्ति का अधिकार अंशदाता से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में चला जाएगा दिनांक इस पर हस्ताक्षर के लिए दो गवाह 1 . 2 . दिनांक इस पर 19 का दिन हस्ताक्षर के लिए दो गवाह 1 . अभिदाता के हस्ताक्षर

2 .

124

अभिदाता के हस्ताक्षर

नोट: - यह कॉलम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसमें वह पूरी राशि शामिल हो जो किसी भी समय निधि में अभिदाता के खाते में जमा हो सकती है।

125

III.
जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह किसी एक व्यक्ति को नामित करना चाहता है।
1, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैरा 2 में परिभाषित अनुसार, मेरा कोई परिवार नहीं है, अतः मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है:
नामित व्यक्ति का नाम और पता
अभिदाता के साथ संबंध
आयु
ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा
उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास अभिदाता की मृत्यु से पहले नामित व्यक्ति का अधिकार चला जाएगा
IV.
जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता है। मैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैरा 2 में परिभाषित अनुसार, कोई परिवार नहीं रखता हूँ, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ, जो कि उस राशि के देय होने से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में निधि में जमा हो सकती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं की गई है, और निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि को उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से वितरित किया जाएगा: नामित व्यक्ति का नाम और पता अभिदाता की आयु से संबंध संचय में प्रत्येक को दिए जाने वाले हिस्से की राशि आकस्मिकताएँ जिसके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति का अधिकार जाएगा दिनांक 19 तारीख को दिनांक 19 तारीख को हस्ताक्षर के लिए दो गवाह 1 . 2 . अंशदाता के हस्ताक्षर
अंशदाता के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर के दो गवाह
1.. 2.
नोट- जहां कोई अंशदाता, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, तो उसे इस कॉलम में यह निर्दिष्ट करना होगा कि बाद में परिवार हो जाने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।

नोट: यह कॉलम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि अंशदाता के खाते में किसी भी समय निधि में जमा पूरी राशि आ जाए।

नोट: - जहां कोई अंशदाता, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, तो उसे इस कॉलम में यह निर्दिष्ट करना होगा कि बाद में परिवार हो जाने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।

परिशिष्ट
भारतीय अंशदायी भविष्य निधि संस्थान
प्रौद्योगिकी, खड़गपुर खाता बही (पैरा 5 देखें)
संस्था का अंशदान
खाता संख्या
नामांकन प्राप्ति की तिथि
नाम
पदनाम
शामिल होने की तिथि
सदस्यता
वापसी
माह
पर्िलब्धियां-
सदस्यता
कुल निकासी
जो
संस्था का अंशदान
वर्ष 19
19
मासिक
ब्याज राशि वर्ष 19 19 सदस्यता मासिक वापसी निकासी से नीचे वापसी टिप्पणी पारिश्रमिक सदस्यता कुल निकासी निकासी शेष कृपया बताएं कि किस पर ब्याज की गणना की गई है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वापसी टिप्पणी देखें जनवरी फरवरी मार्च जर्नल प्रविष्टियाँ कुल : छुट्टी के दौरान या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर। 19 19 से शेष जमा और वापसी संस्थान के शेष के रूप में रु. 8 %% 19 19 से शेष 19 19 से शेष ड्यूटी पर या संस्थान के शेष पर ग्राहक की परिलब्धियां रु. ... @ 8 %%
ऊपर
19 के लिए ब्याज
19 के लिए ब्याज 19
19
कुल
ऊपर बताए अनुसार जमा और रिफंड
19 19 से शेष राशि
19 के लिए ब्याज
19
19 के लिए ब्याज
19
कुल
कुल
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ
कुल
गणना की गई:

जाँच की गई:
ऊपर
31 मार्च, 19 को शेष राशि
31 मार्च, 19 को शेष राशि
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ
31 मार्च, 19 को शेष राशि
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ
31 मार्च, 19 को शेष राशि गणना की गई: जाँच की गई:
128
129
एस
एफ
]
अगर
ई
ई

परिशिष्ट IV

[पैरा 11 देखें] अंशदायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

1. अंशदाता का नाम और उसका खाता संख्या

2. पदनाम

3. वेतन

4. आवेदन की तिथि पर अंशदाता के खाते में शेष राशि

5. अपेक्षित अग्रिम राशि

6. वह उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता है - अंशदायी भविष्य निधि नियम का पैरा 11 (ए)।

7. मासिक किस्तों की संख्या (और राशि) जिसमें अग्रिम राशि चुकाने का प्रस्ताव है

8. अंतिम बार लिए गए अग्रिम की राशि, यदि कोई हो। अग्रिम राशि का विवरण, लेने की तिथि, चुकौती की किस्त और बकाया राशि।

9. क्या अंतिम बार लिया गया कोई अग्रिम राशि चुकौती के क्रम में है या ब्याज सहित उसकी पूरी चुकौती के 12 महीने नहीं बीते हैं

10. अस्थायी निकासी के लिए आवेदन को उचित ठहराने वाले अंशदाता की आर्थिक परिस्थितियों का पूरा विवरण। सं.

अनुलग्नक IV (जारी)

(सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियां)

दिनांक, को अग्रेषित किया जाता है।

मैं संतुष्ट हूं कि अधिकारी की आर्थिक परिस्थितियां अग्रिम के अनुदान को उचित ठहराती हैं, जिसके लिए आवेदन किया गया है, जो अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैरा 11 के तहत स्वीकार्य है और एक विशेष मामले के रूप में, पैरा 12 के तहत ..... की मंजूरी के लिए अनुशंसित है।

अग्रिम राशि निर्धारित दर पर ब्याज के रूप में एक/दो अतिरिक्त किस्तों के साथ प्रति माह रु. की किस्तों में वसूल की जा सकती है।

सं.

अनुमति

हस्ताक्षर

पदनाम।

दिनांक, को रु. 15000 के अग्रिम के अनुदान के लिए सूचित किया जाता है, जिसे निर्धारित दर पर ब्याज के रूप में एक/दो अतिरिक्त किस्तों के साथ रु. 15000 की मासिक किस्तों में वसूल किया जाना है।

हस्ताक्षर। पदनाम

नोट: (i)

आवेदक के हस्ताक्षर

मद 3, 4, 8 और 9 के विरुद्ध विवरण सही पाए गए हैं।

एल

130

हस्ताक्षर

लेखा अधिकारी

(ii)

आवेदन को सबसे पहले रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो लेखा अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन को मंजूरी के लिए निदेशक को प्रस्तुत करेगा या निदेशक की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, जैसा भी मामला हो, उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आवेदन, जब स्वीकृत हो जाए, तो उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए लेखा अनुभाग को भेजा जाना चाहिए।

131
1

परिशिष्ट V
(पैरा 18 देखें)
असाइनमेंट का फॉर्म
(1)

इसके द्वारा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में आश्वासन की भीतरी पॉलिसी सौंपता हूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत, मैं इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता हूं।
मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि भीतर की पॉलिसी का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है।
इस स्टेशन की तारीख ....
हस्ताक्षर के लिए एक गवाह

हम ..
आश्वासित) 19
दिनांक

ग्राहक के हस्ताक्षर
(2)

(और.
अभिदाता) .. (संयुक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के विचार में हमारे अनुरोध पर मेरे द्वारा उक्त अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को देय अंशदान के बदले में बीमा की भीतरी नीति के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत होकर, उक्त अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में उक्त बीमा की भीतरी नीति के प्रीमियम के भुगतान के लिए उक्त ..... के खाते में जमा राशि से रुपये की राशि की निकासी स्वीकार करने के लिए, इसके द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग उक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में बीमा की भीतरी नीति सौंपते हैं, जो उक्त निधि के नियमों के तहत उक्त निधि को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकती है। हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि भीतरी नीति का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है।
दिनांक इस स्टेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक गवाह
दिनांक 19
अभिदाता और संयुक्त बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर
नोट: असाइनमेंट पॉलिसी पर ही या तो निष्पादित किया जा सकता है अभिदाता की हस्तलिपि या टाइप की हुई, या वैकल्पिक रूप से टाइप की हुई या मुद्रित पर्ची जिसमें असाइनमेंट शामिल है, पॉलिसी पर इस उद्देश्य के लिए दिए गए खाली कागज पर चिपकाई जा सकती है। टाइप की हुई या मुद्रित पृष्ठांकन विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए और यदि पॉलिसी पर चिपकाई जाती है तो उसे चारों मार्जिन पर आरंभ किया जाना चाहिए। (3)
.... पत्नी और पॉलिसी के भीतर समनुदेशिती, बीमित व्यक्ति के पक्ष में पॉलिसी के अनुरोध पर, मेरे हित को छोड़ने के लिए सहमत हैं ... ताकि बीमा की भीतरी पॉलिसी के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है, पॉलिसी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सौंप सकता है, जो निकाय द्वारा अनुरोध और निर्देश पर देय अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान के लिए प्रतिस्थापन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को उक्त निधि के नियमों के तहत सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में आश्वासन की भीतरी नीति सौंपते हैं और पुष्टि करते हैं, जो उक्त निधि के नियमों के तहत उक्त निधि को भुगतान करने के

लिए उत्तरदायी हो सकती है। हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि भीतरी नीति का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है। दिनांक इस स्टेशन .... हस्ताक्षर करने के लिए एक गवाह दिन ..... 19 (4) असाइनी और सब्सक्राइबर के हस्ताक्षर डी वाई ए एस असाइनमेंट का फॉर्म उन मामलों में इस्तेमाल किया जाएगा जहां सामान्य भविष्य निधि के एक सब्सक्राइबर ने उस फंड के नियमों के तहत बीमा पॉलिसी को प्रभावित किया है, जो अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में भर्ती है। 1,

इसके द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में आश्वासन की भीतरी नीति को आगे बढ़ाता हूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत, मैं इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता हूं।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में असाइनमेंट को छोड़कर, जो मैं सामान्य भविष्य निधि नियमों के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया हूं, भीतर की नीति का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है।

दिनांक इस

स्टेशन

हस्ताक्षर के लिए एक गवाह

दिनांक ....

19

ग्राहक के हस्ताक्षर

यदि

e

e

n

ht

C = C

n

L

132

133

परिशिष्ट VI
(पैरा 23 देखें)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा पुन: असाइनमेंट और असाइनमेंट का प्रारूप।
उपरोक्त नामित व्यक्ति द्वारा अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत देय सभी राशियों का भुगतान कर दिया गया है और भविष्य में ऐसी किसी भी राशि के भुगतान के लिए उसके द्वारा सभी देयता समाप्त हो जाने के बाद संस्थान एतद्द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी को पुनः सौंपता है। दिनांक 19 को संस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिए और उसकी ओर से (एक गवाह जो अपना पदनाम और पता जोड़े) उपरोक्त नामित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर (2) मेरी मृत्यु दिनांक 19 को हुई है और मैं एतद्द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी को पुनः सौंपता हूं। दिनांक 19 को संस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिए और उसकी ओर से (एक गवाह जो अपना पदनाम और पता जोड़े) (3) रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा पुनः असाइन करने का प्रपत्र
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर इसके द्वारा उक्त पॉलिसी को पुनः असाइन करता है
दिनांक इस
दिनांक तक निष्पादित
दिनांक 19
... भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के रजिस्ट्रार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की ओर से
(एक गवाह जो अपना पदनाम और पता जोड़े)
(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)
पॉलिसी प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्तियों के विवरण भरें।

परिशिष्ट VII
(पैरा 35 देखें)
ग्राहक का खाता विवरण
ग्राहक का नाम खाता संख्या।
विवरण

अंशदान और निकासी की वापसी

संस्था का अंशदान

कुल :

31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए

आरंभिक जमाराशि

ब्याज

शेष

कुल निकासी

अंतिम शेष

नोट : (i) अंशदाता को विवरण की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए तथा विवरण प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर यदि कोई त्रुटि हो तो उसे लेखा अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अंशदाता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने विवरण स्वीकार कर लिया है।

(ii) अंशदाता को यह बताना चाहिए कि क्या वह निधि के नियमों के अंतर्गत किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है।

(iii) ऐसे मामलों में जहां अंशदाता ने अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया है क्योंकि उस समय उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसके बाद उसका परिवार हो गया, तो इस तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार को तुरंत दी जानी चाहिए।

दिनांक : लेखा अधिकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (लेखा अधिकारी को लौटाया जाने वाला भाग) वर्ष 19 के लिए भविष्य निधि खाता मैं अपने अंशदाता के वार्षिक विवरण की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ, जो कि अगले पृष्ठ पर दिए गए कारण से सही है। और / लेकिन शेष राशि स्वीकार नहीं करता हूँ शेष राशि को स्वीकार न करने के लिए कारण, यदि कोई हो, समर्थन में आवश्यक विवरण के साथ। दिनांक .. अंशदाता के हस्ताक्षर 135 यदि कोई हो

1. प्रयोज्यता

छुट्टी के प्रावधान

[देखें क़ानून 19 (1)]

अनुसूची डी

इस अनुसूची में निहित प्रावधान संस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'परिवर्तित छुट्टी' का अर्थ है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रदत्त छुट्टी। (ख) 'सेवा के पूरे वर्ष' का अर्थ है संस्थान के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि की निरंतर सेवा और इसमें ड्यूटी के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति और असाधारण छुट्टी पर बिताए गए समय शामिल हैं।

(ग) 'अर्जित छुट्टी' का अर्थ है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित छुट्टी।

(घ) 'अर्ध-वेतन छुट्टी' का अर्थ है सेवा के पूरे वर्षों के संबंध में अर्जित छुट्टी, जो इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है।

(ई) 'छुट्टी' में अर्जित छुट्टी, अर्ध-वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, बकाया छुट्टी और असाधारण छुट्टी शामिल हैं।

(च) 'विश्राम अवकाश' का अर्थ है, संविधि 11 के खंड (क) में निर्दिष्ट शैक्षणिक स्टाफ के किसी सदस्य को अनुच्छेद 21-सी में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए दी गई छुट्टी।

3. छुट्टी का अधिकार

छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और जब आवश्यकता हो, तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है।

4. छुट्टी स्वीकृत करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी

(1) छुट्टी के लिए आवेदन निदेशक द्वारा बोर्ड को तथा स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा निदेशक को संबोधित किया जाएगा।

(2) छुट्टी निदेशक द्वारा या स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, जिसे निदेशक द्वारा शक्ति सौंपी गई है।

(3) बोर्ड निदेशक को छुट्टी स्वीकृत कर सकता है, लेकिन निदेशक

अपने अधिकार से आकस्मिक छुट्टी का लाभ उठा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-25-1/64-टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

9 मई 1969 से प्रभावी।

† शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-24-42/63-टी.6 (खंड III) दिनांक 26 फरवरी 1976 द्वारा सम्मिलित। 25 फरवरी 1976 से प्रभावी।

5. छुट्टी का प्रारंभ और समाप्ति

(1) छुट्टी आमतौर पर उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन छुट्टी वास्तव में ली गई हो और ड्यूटी फिर से शुरू होने वाले दिन से पहले खत्म होती है।

(2) रविवार और अन्य छुट्टियां या अवकाश को छुट्टी से पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है, छुट्टी की प्रत्येक श्रेणी के तहत निर्धारित छुट्टी पर अनुपस्थिति की किसी भी सीमा के अधीन। 6. छुट्टी का संयोजन

इस अनुसूची में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, इन प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार की छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या उसके क्रम में दी जा सकती है, बशर्ते कि अनुपस्थिति की कुल अवधि की कोई सीमा हो, जैसा कि ऐसे मामलों में निर्धारित किया जा सकता है।

7. सेवानिवृत्ति की तिथि से परे छुट्टी प्रदान करना और त्यागपत्र की स्थिति में

(1) कोई भी छुट्टी उस तिथि से परे नहीं दी जाएगी, जिस तिथि को कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते कि छुट्टी प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी कर्मचारी के किसी भी सदस्य को, जिसे सेवा की अनिवार्यताओं के कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से अर्जित छुट्टी से वंचित किया गया हो, इस प्रकार अस्वीकृत अर्जित छुट्टी का पूरा या कोई भाग देने की अनुमति दे सकता है, भले ही यह उस तिथि से आगे की तिथि तक विस्तारित हो, जिस तिथि को कर्मचारी के ऐसे सदस्य को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना चाहिए।

आगे यह भी प्रावधान है कि स्टाफ के किसी सदस्य को, जिसकी सेवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से आगे लोक सेवा के हित में बढ़ा दी गई है, निम्नानुसार अर्जित अवकाश प्रदान किया जा सकेगा:-

(i)

(ii)

विस्तार की अवधि के दौरान ऐसे विस्तार की अवधि के संबंध में देय कोई अर्जित अवकाश, तथा जहां तक आवश्यक हो, वह अर्जित अवकाश जो उसे पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन प्रदान किया जाता यदि वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानिवृत्त होता;

विस्तार की अवधि की समाप्ति के पश्चात;

(क) वह अर्जित अवकाश जो उसे पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन प्रदान किया जा सकता था यदि वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानिवृत्त होता, विस्तार की अवधि के दौरान ली गई ऐसी छुट्टी की राशि से कम; तथा

(ख) विस्तार की अवधि के दौरान अर्जित कोई अवकाश जिसे विस्तार की अवधि के दौरान पर्याप्त समय में अपने कर्तव्यों की अंतिम समाप्ति की तैयारी के रूप में औपचारिक रूप से आवेदन किया गया हो तथा लोक सेवा की आवश्यकताओं के कारण उसे देने से मना कर दिया गया हो;

137

f

S

of

d

y

a

यदि

e

e

C = C

n

ht

n

(iii) अर्जित अवकाश की राशि निर्धारित करने में, विस्तार की अवधि के दौरान, यदि कोई अर्जित अवकाश हो, तो उसे, अधित्याग प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार्य, ध्यान में रखा जाएगा।

नोट:- इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, किसी कर्मचारी को अवकाश से केवल तभी वंचित माना जाएगा, जब उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की तिथि से या अपने कर्तव्यों के अंतिम रूप से समाप्त होने की तिथि से पर्याप्त समय पहले या तो उसने औपचारिक रूप से अवकाश के लिए आवेदन किया हो और सेवा की अनिवार्यताओं के आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया गया हो या उसने स्वीकृति प्राधिकारी से लिखित रूप में यह सुनिश्चित कर लिया हो कि यदि आवेदन किया गया तो अवकाश पूर्वोक्त आधार पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा:

(2) यदि संस्थान का कोई कर्मचारी त्यागपत्र देता है, तो उसे त्यागपत्र से पूर्व या पश्चात् कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। परंतु निदेशक, किसी भी मामले में, किसी कर्मचारी को उसके त्यागपत्र से पूर्व अवकाश स्वीकृत कर सकता है, यदि निदेशक की राय में मामले की परिस्थितियां ऐसी अवकाश स्वीकृत करने को उचित ठहराती हों। 8. एक प्रकार की छुट्टी को दूसरी छुट्टी में बदलना
(1) स्टाफ के सदस्य के अनुरोध पर स्वीकृति प्राधिकारी असाधारण छुट्टी सहित किसी भी प्रकार की छुट्टी को पूर्वव्यापी रूप से भिन्न प्रकार की छुट्टी में बदल सकता है, जो उस दिन से स्वीकार्य हो सकती है जिस दिन स्टाफ का सदस्य छुट्टी पर गया था, लेकिन स्टाफ का सदस्य अधिकार के रूप में इस तरह के परिवर्तन का दावा नहीं कर सकता है।
(2) यदि एक प्रकार की छुट्टी को दूसरी छुट्टी में बदला जाता है तो स्वीकार्य छुट्टी वेतन और भत्ते की राशि की पुनर्गणना की जाएगी और छुट्टी वेतन और भत्ते का बकाया भुगतान किया जाएगा या अधिक निकाली गई राशि वसूल की जाएगी, जैसा भी मामला हो।
9. चिकित्सा आधार पर छुट्टी से लौटने पर ड्यूटी पर वापस आना
स्टाफ का कोई सदस्य जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी दी गई है, उसे ड्यूटी पर वापस आने से पहले फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 10. छुट्टी की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर वापस आना छुट्टी देने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बिना, छुट्टी पर गए स्टाफ का कोई भी सदस्य उसे दी गई छुट्टी की अवधि की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर वापस नहीं आ सकता।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-25-1/64-टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा संशोधित।
9 मई 1969 से प्रभावी।

11. सामान्य
(1) छुट्टी के लिए हमेशा आवेदन किया जाना चाहिए और इसे लेने से पहले स्वीकृत किया जाना चाहिए, सिवाय आपातकालीन मामलों और संतोषजनक कारणों के। (2) छुट्टी की गणना के उद्देश्य से बिना किसी ब्रेक के लगातार अस्थायी सेवा के बाद स्थायी सेवा को स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा। 12. छुट्टी के प्रकार कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां स्वीकार्य होंगी: -
(ख)
आकस्मिक छुट्टी
विशेष आकस्मिक छुट्टी
विशेष छुट्टी
अर्ध-वेतन छुट्टी
परिवर्तित छुट्टी
(च)
अर्जित छुट्टी

असाधारण छुट्टी
(ज)
मातृत्व छुट्टी
(झ)
अस्पताल छुट्टी
संगरोध छुट्टी
* (क) * (1)
अवैतनिक छुट्टी
13. आकस्मिक छुट्टी
क
"(1) आकस्मिक छुट्टी ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं की जाती है। आकस्मिक छुट्टी पर कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका वेतन बाधित नहीं होता है। आकस्मिक छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और इसका अनुदान हमेशा सेवा की आवश्यकताओं के अधीन होता है और एक कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर अधिकतम बारह दिनों के अधीन होता है।
(2) आकस्मिक छुट्टी, जब भी अवसर आए, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के विवेक पर दी जा सकती है, बशर्ते कि छुट्टी की कुल अवधि रविवार और अन्य छुट्टियों सहित अनुपस्थिति, उपसर्ग या प्रत्यय के साथ, आमतौर पर एक बार में आठ दिनों से अधिक नहीं होगी। रविवार और अन्य छुट्टियों सहित अनुपस्थिति, उपसर्ग या प्रत्यय के साथ, आमतौर पर एक बार में आठ दिनों से अधिक नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 के तहत जोड़ा गया। 9 मई 1969 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-42 / 63 - टी.6 (वॉल्यूम) के तहत जोड़ा गया। III) दिनांक 26 फरवरी, 1976। 25 फरवरी, 1976 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा संशोधित।
9 मई 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
9 मई 1969 से प्रभावी।
हम में से
केवल
प्रशंसक
ही
में
अंत
अंत
एल
139

#
Y
•
15 .
अवकाश चाहे बीच में आए, पहले या बाद में, आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं गिने जाएंगे।
(3) आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
" (4) 14. विशेष आकस्मिक अवकाश
(1) विशेष आकस्मिक अवकाश, जो साधारण आकस्मिक अवकाश में नहीं गिना जाता,
कर्मचारी के किसी सदस्य को तब दिया जा सकता है जब वह-
(i)
(ii)
किसी सिविल या आपराधिक मामले में जूरी या मूल्यांकनकर्ता के रूप में सेवा करने या न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उसके निजी हितों का मुद्दा नहीं है; संस्थान के हित में किसी अन्य संस्थान के संदर्भ पुस्तकालय या विद्वान और पेशेवर समाजों के सम्मेलनों और वैज्ञानिक सभाओं में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है;
(iii) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है।
(2) एक वर्ष में स्वीकार्य ऐसे अवकाश की अवधि सामान्यतः पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी, लेकिन, आवश्यक अनुपस्थिति की अवधि को कवर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जिन शर्तों के तहत ऐसा अवकाश प्रदान किया जाएगा, यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विशेष अवकाश
भारत में या भारत से बाहर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी विशेष अवकाश के हकदार होंगे। जैसा कि प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बशर्ते कि शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य को विश्राम अवकाश स्वीकार्य होगा - (i) संस्थान के साथ छह साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद। (ii) जहां वह विशेष छुट्टी का लाभ उठाता है, संस्थान के साथ छह साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद ऐसी विशेष छुट्टी से लौटने के बाद; लेकिन किसी भी मामले में ऐसी छुट्टी ऐसे सदस्य की पूरी सेवा के दौरान तीन बार (विशेष छुट्टी सहित, यदि ऐसी छुट्टी दी गई है) से अधिक नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-39 / 65 - टी.6 दिनांक 14 जनवरी 1969 द्वारा हटाया गया। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-39 / 65 - टी.6 दिनांक 14 जनवरी 1969 द्वारा प्रतिस्थापित। 9 जनवरी 1969 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 24-42 / 63 - टी.6 (खंड II) दिनांक 26 फरवरी 1976 द्वारा सम्मिलित। 25 फरवरी 1976 से प्रभावी। 140 16. अर्ध-वेतन अवकाश (1) प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के संबंध में स्टाफ के सदस्य को स्वीकार्य अर्ध-वेतन अवकाश 20 दिन का होगा। (2) स्टाफ के सदस्य को चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान किया जा सकता है। अस्थायी नियुक्ति वाले स्टाफ के सदस्य को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अलावा कोई अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। बशर्ते कि अस्थायी स्टाफ सदस्य के मामले में अर्ध-वेतन अवकाश तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी यह मानने के लिए तैयार न हो कि अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस आ जाएगा, सिवाय ऐसे अधिकारी के मामले में जिसे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा आगे की सेवा के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया हो। *
*
17. परिवर्तित अवकाश

§
"
(1) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्ध-वेतन अवकाश की आधी राशि से अधिक परिवर्तित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।
* (क)

(क)
*
जब परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो ऐसे अवकाश की दुगुनी राशि देय अर्ध-वेतन अवकाश से डेबिट की जाएगी।
(ख) अर्जित अवकाश और संयोजित रूप से लिए गए परिवर्तित अवकाश की कुल अवधि 240 दिनों से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि इस प्रावधान के तहत कोई परिवर्तित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस आ जाएगा।
" (2) अधिकतम 180 दिनों तक का अर्ध-वेतन अवकाश संपूर्ण सेवा के दौरान परिवर्तित किया जा सकता है, जहां ऐसे अवकाश का उपयोग अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम जैसे कि ऐसे पाठ्यक्रम के लिए किया जाता है, जिसे अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया गया हो।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 के तहत हटाया गया। 9 मई 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 के तहत संशोधित।
9 मई 1969 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-5 / 78 - टी.6 दिनांक 25 फरवरी 1979 के तहत हटाया गया। 16 फरवरी 1979 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-5 / 78 - टी.6 दिनांक 23 फरवरी 1979 के तहत खंड (ए) और (बी) के रूप में पुनःअक्षरित। 16 फरवरी 1979 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-5 / 78 - टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978. 11 अप्रैल 1975 से प्रभावी. 141 5 1 1

18. अर्जित अवकाश

(1) एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि के दौरान, अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारी के लिए अवकाश की अवधि 60 दिन होगी।

(2) यदि ऐसे कर्मचारी को अवकाश के पूरे या उसके किसी भाग के दौरान ड्यूटी पर रहना आवश्यक है, तो वह पूर्ण वेतन पर अर्जित अवकाश की निम्नलिखित राशि का पात्र होगा: - अवकाश के दौरान ड्यूटी की अवधि वेतन संपूर्ण अवकाश अवकाश का भाग 30x पूर्ण अर्जित अवकाश की पात्रता अवकाश के दिनों की संख्या जिनका लाभ नहीं उठाया गया संपूर्ण अवकाश के दिनों की संख्या 30 दिन गैर-अवकाश कर्मचारियों के सदस्यों को स्वीकार्य अर्जित अवकाश

(3) अवकाश कर्मचारियों के अलावा, कर्मचारी के सदस्य को स्वीकार्य अर्जित अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन होगा। (4) प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश खाते में प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15 दिन की दो किस्तों में अग्रिम रूप से अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा।

(5) पिछले आधे वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारी के खाते में जमा अवकाश को अगले आधे वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार आगे ले जाया गया अवकाश तथा आधे वर्ष के लिए जमा अवकाश 180 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

संचय और अनुदान की सीमाएं (कर्मचारी के सभी सदस्यों पर लागू)

(6) जब अर्जित अवकाश 180 दिनों का हो जाएगा तो कर्मचारी ऐसा अवकाश अर्जित करना बंद कर देगा।

(7) कर्मचारी के किसी सदस्य को एक बार में दी जा सकने वाली अर्जित अवकाश की अधिकतम राशि 120 दिन होगी। अर्जित अवकाश 120 दिनों से अधिक अवधि के लिए दिया जा सकता है, यदि इस प्रकार दिया गया संपूर्ण अवकाश

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-4/68-टी.6 दिनांक 15 जुलाई 1970 द्वारा संशोधित। 9 मार्च 1970 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-
6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 जनवरी 1977 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
1 जनवरी 1977 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
1 जनवरी 1977 से प्रभावी।

बर्मा, सीलोन, नेपाल और पाकिस्तान, बशर्ते कि जब 120 दिन से अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो भारत, बर्मा, सीलोन, नेपाल और पाकिस्तान में व्यतीत किए गए ऐसे अवकाश की अवधि कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं होगी। 19. असाधारण अवकाश (1) असाधारण अवकाश हमेशा बिना अवकाश वेतन के होगा और तब स्वीकृत किया जा सकता है जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो या जब अन्य अवकाश स्वीकार्य हो, तो संबंधित स्टाफ के सदस्य ने असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए लिखित रूप में विशेष रूप से आवेदन किया हो। + (2) असाधारण अवकाश की अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी, सिवाय इसके कि जब ऐसा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर बीमारी के कारण या उच्च अध्ययन के लिए स्वीकृत किया गया हो, बशर्ते कि किसी भी संदेह के मामले में कि लिया गया असाधारण अवकाश उच्च अध्ययन के लिए था या नहीं, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। (3) (क) स्थायी कर्मचारी के मामले को छोड़कर, किसी भी अवसर पर असाधारण छुट्टी की अवधि निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी: -

(i)
(ii)
तीन महीने

छह महीने, ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसने नियमों के तहत उसे स्वीकार्य छुट्टी की समाप्ति की तारीख पर तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, और इस तरह की छुट्टी के लिए उसका अनुरोध एक मेडिकल प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

(iii) अठारह महीने जहां कर्मचारी तपेदिक या कुष्ठ रोग से पीड़ित है और किसी मान्यता प्राप्त क्लिनिक या विशेषज्ञ के अधीन इलाज करा रहा है। (ख) जहां स्थायी कर्मचारी के अलावा कोई कर्मचारी, उसको स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अधिकतम राशि की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस नहीं आता है, या जहां ऐसा कर्मचारी, जिसे उसको स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम राशि से कम असाधारण छुट्टी स्वीकृत की गई थी, किसी ऐसी अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, जो उसको स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि के साथ मिलकर उस सीमा से अधिक हो जाती है, जिस तक उसको उपनियम (क) के अधीन असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती थी, वहां, जब तक कि बोर्ड मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा अवधारित न करे, उसे अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे दिया गया समझा जाएगा और वह संस्थान में कार्यरत नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा संशोधित।
9 मई 1969 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
9 मई 1969 से प्रभावी।

L
142
143
d
y
a
S
If
e
e
n
ht
n

(4) छुट्टी देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है।

नोट: बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तित करने की शक्ति पूर्ण है और यह ऊपर (i) में उल्लिखित शर्तों के अधीन नहीं है।

20. मातृत्व अवकाश

(1) (क) मातृत्व अवकाश किसी महिला कर्मचारी को उसके प्रारंभ की तिथि से 90 दिनों तक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दिया जा सकता है।

(ख) गर्भपात सहित गर्भपात के मामलों में भी मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन पर दिया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन की गई छुट्टी छह सप्ताह से अधिक न हो और छुट्टी के लिए आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र हो।

(2) मातृत्व अवकाश को छुट्टी खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा।

(3) मातृत्व अवकाश को आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन मातृत्व अवकाश के क्रम में आवेदन की गई कोई भी छुट्टी केवल तभी दी जा सकती है जब आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र हो। 21. अस्पताल छुट्टी
(1) अस्पताल छुट्टी बीमारी या चोट के लिए चिकित्सा उपचार के तहत स्टाफ के सदस्य को दी जा सकती है यदि ऐसी बीमारी या चोट सीधे उसके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान होने वाले जोखिमों के कारण है। यह रियायत ऐसे स्टाफ के सदस्यों को उपलब्ध होगी, जिनके कर्तव्यों की प्रकृति उन्हें ऐसी बीमारी या चोट के लिए उजागर करती है और जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक है। * (2) अस्पताल छुट्टी औसत या आधे औसत छुट्टी वेतन पर दी जा सकती है, जैसा कि इसे देने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे। * (3) अस्पताल छुट्टी के लिए पात्र स्टाफ के सदस्य छुट्टी की मात्रा पर किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसी छुट्टी के हकदार होंगे और छुट्टी उस अवधि के लिए दी जा सकती है, जिसे इसे देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 11-1 / 80 - टी.6 दिनांक 3 नवंबर 1980 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 नवंबर 1980 से प्रभावी।
↑ शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ - 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा संशोधित। 9 मई 1969 से प्रभावी।
* शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 25-1 / 64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा प्रतिस्थापित। 9 मई 1969 से प्रभावी।
144
टी
(4) अस्पताल की छुट्टी छुट्टी खाते से डेबिट नहीं की जाती है और इसे किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है जो स्वीकार्य हो सकती है, बशर्ते कि इस तरह के संयोजन के बाद छुट्टी की कुल अवधि अधिक नहीं होगी
21. ए.
4 €
(1)
(2)
23
(3)
28 महीने।

संगरोध अवकाश

संगरोध अवकाश तब दिया जाता है जब किसी कर्मचारी को उसके परिवार या घर में किसी संक्रामक बीमारी के परिणामस्वरूप सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेश के तहत कार्यालय में उपस्थित होने से रोका जाता है। ऐसी छुट्टी केवल चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण पत्र पर ही दी जा सकती है। संगरोध अवकाश की अधिकतम अवधि सामान्यतः इक्कीस दिन होती है और असाधारण परिस्थितियों में इसे तीस दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इन सीमाओं से परे किसी भी अनुपस्थिति को नियमित अवकाश माना जाना चाहिए। संगरोध अवकाश पर कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका वेतन बाधित नहीं किया जाता है। यदि कर्मचारी स्वयं किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है तो संगरोध अवकाश स्वीकार्य नहीं है।

हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार और सेरेब्रोस्पाइनल मेनिन्जाइटिस को संगरोध अवकाश प्रदान करने के लिए संक्रामक रोग माना जा सकता है। हालांकि, चिकन पॉक्स के मामले में, तब तक कोई संगरोध अवकाश नहीं दिया जा सकता जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी यह न समझे कि बीमारी की प्रकृति के बारे में कुछ संदेह के मद्देनजर ऐसी छुट्टी देने के कारण हैं। 121 - बी. बकाया छुट्टी

(1)

सेवानिवृत्ति से पहले छुट्टी के मामले को छोड़कर, बकाया छुट्टी स्थायी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र और निजी मामलों के आधार पर उसकी पूरी सेवा के दौरान 360 दिनों से अधिक की अवधि के लिए दी जा सकती है, जिसमें से कुल 180 दिन निजी मामलों के लिए हो सकते हैं।

(2) बकाया छुट्टी कर्मचारी को तभी दी जाएगी जब मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि छुट्टी समाप्त होने पर कर्मचारी के वापस ड्यूटी पर लौटने की उचित संभावना है और यह छुट्टी आधे वेतन वाली छुट्टी तक सीमित होगी, जिसे वह उसके बाद अर्जित कर सकता है। (3) बकाया छुट्टी तब स्वीकार्य होगी जब कोई अन्य प्रकार की छुट्टी बकाया न हो और स्वीकार्य न हो।

(4) बकाया छुट्टी पर कर्मचारी को आधे वेतन वाली छुट्टी के समान ही छुट्टी वेतन मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 25-1/64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा सम्मिलित।

9 मई 1969 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 25-1/64 - टी.6 दिनांक 14 मई 1969 द्वारा सम्मिलित।

9 मई 1969 से प्रभावी।

आईएस

51

ऑफ

पीयूएएस

: डी

ली

ए

आईएस

सेल्फ

टेल

इन

एनटी

: एन

145

21 - सी विश्राम अवकाश

(1) विश्राम अवकाश निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए दिया जा सकता है, अर्थात्: (क) भारत या विदेश में अनुसंधान या उन्नत अध्ययन करने के लिए, (ख) पाठ्य पुस्तकें, मानक कार्य और अन्य साहित्य लिखने के लिए, (ग) अपने संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकार के तकनीकी विभागों में दौरा करने या काम करने के लिए, (घ) भारत और विदेश में विश्वविद्यालय, उद्योग या सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में दौरा करने या काम करने के लिए; और (ई) स्टाफ सदस्य के शैक्षणिक विकास के लिए कोई अन्य उद्देश्य, जैसा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित किया गया हो। (2) विश्राम अवकाश की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्: (क) विश्राम अवकाश की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें छुट्टियां, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन बोर्ड इसके अतिरिक्त अधिकतम 120 दिनों तक कोई अन्य अवकाश भी दे सकता है, जो सदस्य ने संस्थान में सेवा के दौरान अर्जित किया हो; (ख) शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य को अवकाश अवधि के दौरान सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य पूर्ण वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन वह भारत या विदेश में किसी यात्रा भत्ते या किसी अतिरिक्त भत्ते का हकदार नहीं होगा; (ग) रिक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी और उसका कार्य संकाय के अन्य सदस्यों द्वारा साझा किया जाएगा; (घ) शैक्षणिक स्टाफ का कोई सदस्य अवकाश अवधि के दौरान भारत या विदेश में किसी अन्य संगठन के तहत कोई नियमित नियुक्ति नहीं करेगा; हालांकि, वह अपने नियमित रोजगार के अलावा छात्रवृत्ति या फैलोशिप या बर्सरी या कोई अन्य 'तदर्थ' मानदेय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा; (ई) अवकाश अवधि का लाभ उठाने वाले शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य को ड्यूटी पर लौटने पर न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्थान में सेवा करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक बांड प्रस्तुत करना होगा। 22. अवकाश और अवकाश वेतन (1) अवकाश के हकदार संस्थान का कोई कर्मचारी अवकाश अवधि के दौरान पूर्ण दरों पर वेतन और भत्ते के लिए पात्र होगा। * (2) (क) नीचे (ख) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, अर्जित अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी को छुट्टी से ठीक पहले के 10 पूर्ण महीनों के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 24-42/63-टी.6 (खंड II) दिनांक 26 फरवरी 1976 के तहत शामिल किया गया। 25 फरवरी 1976 से प्रभावी। * शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-8/68-टी.6 दिनांक 18 जनवरी 1969 और 4 फरवरी 1969 के तहत प्रतिस्थापित। 146 वह महीना जिसमें छुट्टी शुरू होती है या छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले वह मूल वेतन जिसका वह हकदार है, जो भी अधिक हो। (ख) अर्जित अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार माना जाएगा। (3) अर्ध वेतन अवकाश पर स्टाफ का सदस्य उप पैरा 2 (क) या 2 (ख) में निर्दिष्ट आधी राशि के बराबर छुट्टी वेतन पाने का हकदार है, जो अधिकतम 750 रुपये तक हो सकता है, बशर्ते कि यदि छुट्टी चिकित्सा आधार पर है तो यह सीमा लागू नहीं होगी। (4) अल्पावधि छुट्टी पर स्टाफ का सदस्य उप-नियम (3) के तहत स्वीकार्य राशि के दोगुने के बराबर छुट्टी वेतन पाने का हकदार है।

23. छुट्टी के दौरान वेतन वृद्धि

यदि वेतन वृद्धि आकस्मिक छुट्टी के अलावा छुट्टी के दौरान होती है, तो वेतन में प्रभाव या वृद्धि छुट्टी की समाप्ति की तारीख (अंतिम दिन) के अगले दिन से दी जाएगी, वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

24. कुल अनुपस्थिति की सीमा

यदि स्टाफ का कोई सदस्य लगातार पांच साल तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, चाहे छुट्टी के साथ या उसके बिना, जब तक कि ऐसी अनुपस्थिति भारत में विदेशी सेवा पर अनुपस्थिति न हो, तो वह संस्थान की सेवा में नहीं रह जाता है। $ 25. कुछ मामलों में छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि

यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृतक कर्मचारी को उस छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि दी जाएगी जो उसे मृत्यु की तिथि पर अर्जित अवकाश पर जाने पर मिलती, बशर्ते कि वह अधिकतम 180 दिनों के लिए छुट्टी वेतन प्राप्त कर सकता है।

$ 26. सेवानिवृत्ति की तिथि पर अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान

किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि का भुगतान एकमुश्त एकमुश्त एकमुश्त निपटान के रूप में किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 180 दिन होगी और इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-5/78 - टी.6 दिनांक 23 फरवरी 1979 के तहत प्रतिस्थापित। 1 मार्च 1976 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 1/8/68 - टी.6 दिनांक 18 जनवरी 1969 और 4 फरवरी 1969 के तहत प्रतिस्थापित। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-6/78 - टी.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 के तहत सम्मिलित। 1 जनवरी 1977 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-5/78 - टी.6 दिनांक 23 फरवरी 1979 के तहत सम्मिलित। 30 सितंबर 1977 से प्रभावी। 147

का

एस5

का

दिन

y

a

BYAS

यदि

111

e

ई

सी = सी

एन

एचटी

एन

एल

(संविधि 18ए देखें)

* अनुसूची 'ई'

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की अंशदायी भविष्य निधि-सह-उपदान

1. आवेदन, आदि

(1) इस अनुसूची में निहित प्रावधान संविधि 18ए के खंड (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(2) यदि निधि के लाभ में भर्ती किया गया कोई कर्मचारी पहले केंद्र सरकार/राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली किसी निगमित निकाय या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन की किसी अंशदायी/गैर-अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता था, तो अंशदायी या गैर-अंशदायी भविष्य निधि में उसके संचय की राशि, निधि में उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

(3) निधि के लाभ के लिए पात्र संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को परिशिष्ट-I में दिए गए प्रपत्र में लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि उसने इस अनुसूची को पढ़ लिया है तथा इसमें निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है।

2. परिभाषा

इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) 'लेखा अधिकारी' का अर्थ संस्थान का लेखा अधिकारी है;

(ii) 'लेखा परीक्षा अधिकारी' का अर्थ संस्थान का (आंतरिक) लेखा परीक्षा अधिकारी है; (iii) 'परिलब्धियां' का अर्थ है वेतन, जिसमें महंगाई वेतन, यदि कोई हो, छुट्टी वेतन, या निर्वाह अनुदान शामिल है तथा इसमें विदेशी सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन (महंगाई वेतन, यदि कोई हो) की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक शामिल है; (iv) 'परिवार' का अर्थ है -

(क) पुरुष अभिदाता के मामले में; अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बच्चे, तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे; बशर्ते कि, यदि कोई अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है या वह उस समुदाय के प्रथागत कानून के अंतर्गत भरण-पोषण की हकदार नहीं रही है, जिससे वह संबंधित है, तो वह अब से उन मामलों में अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं मानी जाएगी, जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, जब तक कि अभिदाता बाद में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना द्वारा यह इंगित नहीं करता है कि उसे ऐसा माना जाना जारी रहेगा; (ख) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति और बच्चे, तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे; बशर्ते कि यदि कोई अभिदाता रजिस्ट्रार को लिखित अधिसूचना द्वारा अपने पति को अपने परिवार से बाहर करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो पति को अब से उन मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, जब तक कि अभिदाता बाद में उसे बाहर करने की अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखित रूप में रद्द नहीं कर देता।

नोट: 'बच्चे' का अर्थ है वैध बच्चे।

नोट II: गोद लिए गए बच्चे को तब बच्चा माना जाएगा जब रजिस्ट्रार, या यदि रजिस्ट्रार के मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो संस्थान का विधि अधिकारी, संतुष्ट हो जाता है कि अभिदाता के व्यक्तिगत कानून के तहत, गोद लेने को कानूनी रूप से प्राकृतिक बच्चे का दर्जा देने के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन केवल इस मामले में।

(v) 'विदेशी सेवा' का अर्थ है वह सेवा जिसमें संस्थान का कोई कर्मचारी बोर्ड की मंजूरी से संस्थान की निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से अपना मूल वेतन प्राप्त करता है।

(vi) 'निधि' का अर्थ है संस्थान की नई अंशदायी भविष्य निधि; (vii) 'छुट्टी' का अर्थ अनुसूची 'घ' में प्रदत्त किसी भी प्रकार की छुट्टी है जो अभिदाता पर लागू हो सकती है; (viii) 'वेतन' का अर्थ संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से ली जाने वाली राशि है, जैसे - (क) विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत वेतन के अलावा वेतन, जो उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में धारित किसी पद के लिए स्वीकृत किया गया है। (ख) विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन, और (ग) कोई अन्य पारिश्रमिक जिसे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। (ix) 'अभिदान' का अर्थ अभिदाता द्वारा भुगतान की गई राशि और उसका अंशदान है।

'अंशदान' का अर्थ है संस्थान द्वारा दिया गया अंशदान।

(x) 'वर्ष' का अर्थ है वित्तीय वर्ष।

3. निधि का गठन और प्रबंधन

4.

(1) निधि, जिसका रखरखाव रुपए में किया जाएगा, संस्थान के साथ गठित की जाएगी और इसमें अंशदाताओं द्वारा भुगतान किए गए अंशदान और पैरा 10 के उप-पैरा (1) के तहत अंशदाताओं द्वारा किए गए अंशदान के खाते में जमा किए गए ब्याज शामिल होंगे।

(2) निधि का प्रबंधन बोर्ड में निहित है। बोर्ड के नियंत्रण और निर्देश के अधीन, निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से निधि का प्रशासन करेगा।

(3) निधि को निधि के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाएगा। मासिक खाते बंद होने के बाद जमा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। (4) संस्थान निधियों का ऐसा भाग, जिसे समीचीन समझा जाए, सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों, परक्राम्य सरकारी गारंटी बांडों तथा केन्द्रीय सरकार की ऐसी जमा योजनाओं में निवेश कर सकता है, जिन्हें इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है, तथा ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज या लाभ को विविध प्राप्तियों के रूप में संस्थान में जमा किया जाएगा। सभी निवेश और प्रतिभूतियाँ संस्थान के नाम पर रखी जाएँगी।

नामांकन

(1) कोई अभिदाता निधि में शामिल होने के समय रजिस्ट्रार को नामांकन भेजेगा, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को निधि में उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा, यदि वह राशि देय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया है; बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार है, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा: आगे यह भी प्रावधान है कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में किया गया नामांकन, जिसमें वह निधि में शामिल होने से पहले अभिदाता था, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाते में जमा राशि इस निधि में उसके खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, तो इस नियम के तहत विधिवत किया गया नामांकन माना जाएगा, जब तक कि वह इस उप-पैराग्राफ के अनुसार नामांकन नहीं करता है। नोट: इस पैराग्राफ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'व्यक्ति' को शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या जे 11011/7/77-टी.6 दिनांक 20 जुलाई 1979 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 25 जून 1979 से प्रभावी। 150 या 'व्यक्ति' में कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं। (2) यदि कोई अभिदाता उप-पैरा (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामिती को देय राशि या अंश इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि वह किसी भी समय निधि में उसके खाते में जमा पूरी राशि को कवर कर सके।

(3) प्रत्येक नामांकन परिशिष्ट II में दिए गए प्रपत्रों में से किसी एक में होगा, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो।

(4) कोई अभिदाता किसी भी समय रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना भेजकर अपना नामांकन रद्द कर सकता है:

बशर्ते कि अभिदाता ऐसी सूचना के साथ इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।

(5) कोई अभिदाता नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है - (क) किसी निर्दिष्ट नामिती के संबंध में कि यदि उसका नामिती अभिदाता से पहले मर जाता है, तो उस नामिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगा, जैसा कि नामांकन में निर्दिष्ट किया जा सकता है: बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्ति, यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो ऐसे अन्य सदस्य या सदस्य होंगे। जहां अभिदाता इस खंड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय

राशि या हिस्सा इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि नामिती को देय संपूर्ण राशि कवर हो जाए: (ख) कि उसमें निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में नामांकन अवैध हो जाएगा: बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार नहीं है, तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि उसके बाद में परिवार प्राप्त करने की स्थिति में यह अवैध हो जाएगा: आगे यह भी प्रावधान है कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के पास परिवार का केवल एक सदस्य है, तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि खंड (क) के अधीन वैकल्पिक नामिती को प्रदत्त अधिकार उसके बाद में उसके परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों को प्राप्त करने की स्थिति में अवैध हो जाएगा। (6) ऐसे नामिती की मृत्यु पर, जिसके संबंध में उप-पैरा (5) के खंड (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, अथवा किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके कारण उप-पैरा (5) के खंड (ख) अथवा उसके परंतुक के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, अभिदाता रजिस्ट्रार को तत्काल एक नोटिस भेजेगा।

नामांकन को रद्द करने के साथ-साथ इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार नया नामांकन करने के लिए लिखित रूप से आवेदन करना होगा। (7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने की प्रत्येक सूचना, जहां तक वह वैध है, उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस तिथि को वह संस्थान को प्राप्त हुई है: (8) संस्थान द्वारा सभी नामांकनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अद्यतन रजिस्टर बनाए रखा जाएगा। 5. अभिदाता का खाता परिशिष्ट III में निर्धारित प्रपत्र में एक खाता खोला जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा: (i) अभिदाता की सदस्यता; (ii) अनुच्छेद 9 के तहत संस्थान द्वारा उसके खाते में किए गए अंशदान; (iii) अनुच्छेद 10 के अनुसार अंशदान पर ब्याज; (iv) अनुच्छेद 10 के अनुसार अंशदान पर ब्याज; और (v) उसके खाते से अग्रिम और निकासी। 6. अंशदान की शर्तें और दरें

(1) प्रत्येक अंशदाता ड्यूटी पर या विदेश सेवा में रहते हुए निधि में मासिक अंशदान करेगा, लेकिन निलंबन अवधि के दौरान नहीं:

बशर्ते कि निलंबन अवधि बीत जाने के बाद पुनः बहाल होने पर अंशदाता को एकमुश्त या किश्तों में उस अवधि के लिए अनुमेय अंशदान की बकाया राशि से अधिक राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। (2) कोई अंशदाता, अपने विकल्प पर, छुट्टी पर जाने से पहले या उसके तुरंत बाद रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना भेजकर औसत वेतन पर छुट्टी या 30 दिनों से कम अवधि की अर्जित छुट्टी के अलावा अन्य छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं कर सकता है।

समय पर सूचना न देने पर अंशदान करने का चुनाव माना जाएगा।

इस उप-अनुच्छेद के तहत सूचित किए गए अंशदाता का विकल्प

अंतिम होगा। (3) कोई अभिदाता जिसने अनुच्छेद 29 के अधीन अंशदान की राशि और उस पर ब्याज निकाल लिया है, ऐसी निकासी के पश्चात निधि में तब तक अंशदान नहीं करेगा, जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाता।

शर्तें:-

7. (1) अंशदान की राशि निम्नलिखित के अधीन रहते हुए निश्चित की जाएगी (क) इसे पूरे रुपए में व्यक्त किया जाएगा (50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा)।

(ख) यह कोई भी राशि हो सकती है, जो परिलब्धियों के 8% से कम नहीं होगी।

(2) उप-पैरा (1) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए अभिदाता की परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी, जिनका वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को हकदार था।

(3) इस प्रकार निश्चित की गई अंशदान की राशि वर्ष के दौरान केवल एक बार बढ़ाई या घटाई जा सकेगी। बशर्ते कि यदि कोई अभिदाता किसी महीने के कुछ भाग के लिए ड्यूटी पर हो तथा शेष महीने के लिए छुट्टी पर हो और यदि उसने छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का विकल्प चुना हो तो देय अंशदान की राशि उस महीने में ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के अनुपात में होगी। (4) जब कोई अभिदाता अस्थायी रूप से विदेशी सेवा में स्थानांतरित हो जाता है (अन्यत्र) या भारत से बाहर भेज दिया जाता है, तो वह इस अनुसूची में निहित प्रावधानों के अधीन उसी तरह रहेगा जैसे कि वह स्थानांतरित न हुआ हो या बाहर न भेजा गया हो।

8. अंशदान की वसूली

(1) जब संस्थान के कोष से परिलब्धियां निकाली जाती हैं, तो इन परिलब्धियों के कारण अंशदान की वसूली तथा अग्रिम राशि के मूलधन और ब्याज की वसूली स्वयं परिलब्धियों से की जाएगी। (2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से निकाली जाती हैं, तो अभिदाता अपनी देय राशि मासिक रूप से संस्थान को भेजेगा। 9. संस्थान द्वारा अंशदान

(1) संस्थान प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अंशदान करेगा।

बशर्ते कि यदि कोई अभिदाता किसी वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके खाते में पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति और दुर्घटना की तिथि के बीच की अवधि के लिए अंशदान जमा किया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि किसी भी अवधि के लिए कोई अंशदान देय नहीं होगा जिसके लिए अभिदाता को इस अनुसूची के तहत निधि में अंशदान न करने की अनुमति दी गई है या वह निधि में अंशदान नहीं करता है।

(2) अंशदान अभिदाता के वेतन का 8 प्रतिशत होगा, जो वर्ष के दौरान या वर्ष में किसी अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, ड्यूटी पर लिया जाएगा।

वेतन

(3) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अंशदान करना चाहता है, तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उसकी छुट्टी को प्राप्त पारिश्रमिक माना जाएगा। (4) विदेश सेवा की अवधि के संबंध में देय किसी अंशदान की राशि, जब तक कि वह नियोक्ता से वसूल न की जाए, संस्थान द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी।

(5) देय अंशदान की राशि को निकटतम पूर्ण रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा (50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा)।

10. ब्याज

(1) संस्थान अभिदाता के खाते में ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के मामले में निर्धारित कर सकती है। (2) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्नलिखित तरीके से ब्याज जमा किया जाएगा: (i) पिछले वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के खाते में जमा राशि पर, चालू वर्ष के दौरान निकाली गई किसी भी राशि को घटाकर - बारह महीने के लिए ब्याज; (ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर .... चालू वर्ष की पहली अप्रैल से निकासी के महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन तक ब्याज; (iii) पिछले वर्ष की 31 मार्च के बाद अभिदाता के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर - जमा की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक ब्याज; (iv) ब्याज की कुल राशि को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि जब किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तो इस उप-पैरा के तहत ब्याज केवल चालू वर्ष की शुरुआत से या जमा की तारीख से, जैसा भी मामला हो, उस तारीख तक की अवधि के संबंध में जमा किया जाएगा, जिस तारीख को अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है।

(3) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, जमा की तारीख उस महीने की पहली तारीख मानी जाएगी जिसमें इसे जमा किया जाता है:

बशर्ते कि जहां किसी अभिदाता के वेतन, छुट्टी वेतन और भत्ते के आहरण में और परिणामस्वरूप निधि के लिए उसके अंशदान की वसूली में देरी हुई है, ऐसे अंशदानों पर ब्याज उस महीने से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय था, भले ही वह वास्तव में जिस महीने में आहरित किया गया हो। 154 (4) सभी मामलों में, अंशदाता के खाते में शेष राशि के संबंध में, भुगतान किए जाने वाले महीने से पहले के महीने की समाप्ति तक या उस महीने के बाद छठे महीने के अंत तक, जिसमें ऐसी राशि देय हो गई थी, जो भी अवधि कम हो, ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उप अनुच्छेद (4) के प्रावधान के अधीन, रजिस्ट्रार द्वारा उस व्यक्ति या उसके एजेंट को उस तारीख के रूप में सूचित किए जाने की तारीख के बाद किसी भी अवधि के संबंध में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, जिस तारीख को वह भुगतान करने के लिए तैयार है। (5) 11. निधि से अग्रिम राशि अंशदाता को निधि में उसके खाते में जमा राशि से अनुच्छेद 12 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेक पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक अस्थायी अग्रिम दिया जा सकता है: (क) कोई अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ इसे उचित ठहराती हैं, और यह कि इसे निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों पर खर्च किया जाएगा, अन्यथा नहीं; आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की लम्बी बीमारी या प्रसव के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान करना;

(i)

(ii) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारण विदेश यात्रा का व्यय वहन करना;

(iii) विवाह, अंत्येष्टि या धार्मिक रीति से उसके लिए अनिवार्य समारोहों के सम्बन्ध में आवेदक की स्थिति के अनुरूप अनिवार्य व्यय का भुगतान करना; (iv) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की हाई स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा के सम्बन्ध में भारत से बाहर व्यय का भुगतान करना;

(v) आवेदक या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की हाई स्कूल स्तर से आगे की भारत में किसी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम या अन्य सामान्य उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान करना:
बशर्ते कि अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो; (vi) यदि अभिदाता पर सरकार या संस्थान द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है या यदि अभिदाता किसी कथित आधिकारिक कदाचार के संबंध में जांच में अपना बचाव करने के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है, तो उसके बचाव की लागत को पूरा करना;

(vii) अंशदाता द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के संबंध में अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए उसके द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करना; (viii) किसी भूखंड या मकान के निर्माण या राज्य आवास बोर्ड द्वारा भूखंड के तैयार आवंटन या तैयार फ्लैट या उसके निवास के लिए निर्मित फ्लैट की लागत को पूरा करना या गृह निर्माण सहकारी समिति को कोई भुगतान करना। टिप्पणी: (क) उप-खण्ड (छठी) के अन्तर्गत अग्रिम, आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए स्वीकार्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा, किन्तु उक्त उप-खण्ड के अन्तर्गत अग्रिम, किसी अभिदाता को उसके द्वारा सरकार/संस्था के विरुद्ध किसी न्यायालय में उस पर लगाए गए किसी दण्ड या सेवा की किसी शर्त के सम्बन्ध में या उसके पदीय कर्तव्यों से असंबद्ध किसी मामले के सम्बन्ध में किसी कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्वीकार्य नहीं होगा:

(ख) अग्रिम, विशेष कारणों को छोडकर, तीन माह के वेतन से अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी स्थिति में अभिदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज से अधिक नहीं होगा।

(ग) अग्रिम, विशेष कारणों को छोडकर, सभी पूर्व अग्रिमों के ब्याज सहित अंतिम पुनर्भुगतान के कम से कम बारह माह पश्चात् तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(घ) जहां अग्रिम ऐसे कारणों से स्वीकृत किया जाता है, वहां स्वीकृति प्राधिकारी विशेष कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। (ई) निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

12. (1) निदेशक के अलावा किसी अन्य अभिदाता को निधि से अस्थायी अग्रिम निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जो अपने विवेक से यह कार्य उप निदेशक और रजिस्ट्रार को सौंप सकता है।

(2) निधि से निदेशक को अस्थायी अग्रिम के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

13. (1) अभिदाता से अग्रिम राशि समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी, जैसा कि स्वीकृति प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है; लेकिन शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-3/80-टी.6 दिनांक 24 मार्च 1982 द्वारा जोड़ा गया।

15 मार्च 1982 से प्रभावी।

ऐसी संख्या बारह से कम नहीं होगी, जब तक कि अभिदाता ऐसा न चाहे, या किसी भी मामले में चौबीस से अधिक नहीं होगी। इस विकल्प पर, अभिदाता निर्धारित किस्तों की तुलना में कम किस्तों में पुनर्भुगतान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों की संख्या होगी, अग्रिम की राशि, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए बढ़ाई या घटाई जा सकती है। (2) (क) अंशदान की वसूली के लिए पैराग्राफ 8 में दिए गए तरीके से वसूली की जाएगी और अग्रिम प्राप्त करने वाले महीने के बाद के वेतन के जारी होने के साथ शुरू होगी। (ख) जब अभिदाता छुट्टी पर हो या निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो, तो उसकी सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी और अभिदाता को दिए गए वेतन के अग्रिम की वसूली के दौरान मंजूरी प्राधिकारी द्वारा इसे स्थगित किया जा सकता है। (3) यदि अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिए गए हैं, तो वसूली के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अग्रिम को अलग से माना जाएगा। (4) अग्रिम राशि का मूलधन पूर्ण रूप से चुका दिए जाने के पश्चात, उस पर मूलधन के आहरण और पूर्ण चुकौती के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक माह या माह के खंड भाग के लिए मूलधन के पांचवें प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(5) (क) ब्याज सामान्यतः मूलधन के पूर्ण चुकौती के पश्चात् वाले माह में एक किस्त में वसूल किया जाएगा; किन्तु यदि उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट अवधि बीस माह से अधिक हो जाती है, तो ब्याज, यदि अभिदाता चाहे तो, दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जा सकेगा और वसूली की विधि उप-पैरा (2) में दी गई विधि के अनुसार होगी।

(ख) भुगतान को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दी गई विधि के अनुसार निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

(6) इस पैरा के अंतर्गत की गई वसूली, जैसे ही की जाएगी, निधि में अभिदाता के खाते में जमा कर दी जाएगी।

14. निधि से निकासी

नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक द्वारा निधि से की गई निकासी के मामले में अध्यक्ष द्वारा तथा किसी अन्य मामले में निदेशक द्वारा किसी भी समय मंजूरी दी जा सकती है;

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-3/80-टी.6 दिनांक 24 मार्च 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

15 मार्च, 1982 से प्रभावी।

156

157

(क) अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा (यदि कोई हो तो सेवा की टूटी हुई अवधि सहित) पूरी होने के पश्चात या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दस वर्ष के भीतर; जो भी पहले हो, अभिदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि और उस पर ब्याज में से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्: (i) उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, अभिदाता या अभिदाता के किसी बच्चे के यात्रा व्यय को शामिल किया गया है, अर्थात्: (क) उच्च विद्यालय स्तर से आगे भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा के लिए; और (ख) उच्च विद्यालय स्तर से आगे भारत में किसी भी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए; (ii) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी की सगाई/विवाह के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिए; (iii) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है; (बी) अभिदाता की पंद्रह वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद (यदि कोई हो तो सेवा की खंडित अवधि सहित) या उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(i) भूमि की लागत सहित अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट का निर्माण या अधिग्रहण करने के लिए;

(ii) अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के निर्माण या अधिग्रहण के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए;

(iii) अपने निवास के लिए मकान बनाने के लिए भूमि का एक भूखंड खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए; (iv) अभिदाता के स्वामित्व में या उसके द्वारा पहले से ही अधिग्रहित तैयार फ्लैट के मकान का पुनर्निर्माण या उसमें अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन करने के लिए; (v) कर्तव्य के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पैतृक मकान का नवीनीकरण, अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन करने या रख-रखाव करने के लिए या कर्तव्य के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सरकार से ऋण की सहायता से निर्मित मकान का; (vi) खंड (ग) के अंतर्गत खरीदी गई भूमि के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए। (ग) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने पहले, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से, कृषि भूमि या व्यावसायिक परिसर या दोनों के अधिग्रहण के लिए। 15. (1)
(2)
किसी भी समय, किसी अभिदाता द्वारा, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निकाली गई कोई राशि, सामान्यतः अभिदाता के खाते में जमा राशि और उस पर ब्याज की आधी राशि या 6 महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्वीकृति प्राधिकारी, अभिदाता के खाते में जमा राशि और उस पर ब्याज की तीन-चौथाई राशि तक इस सीमा से अधिक राशि की निकासी की स्वीकृति दे सकता है, जिसमें (i) वह उद्देश्य जिसके लिए निकासी की जा रही है, (ii) अभिदाता की स्थिति और (iii) अभिदाता के खाते में जमा राशि और उस पर ब्याज को ध्यान में रखा जाएगा। जिस अभिदाता को अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत निधि से धन निकालने की अनुमति दी गई है, वह स्वीकृति प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर यह संतुष्टि देगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे निकाला गया था, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निकाली गई पूरी राशि, या उसमें से वह राशि जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई है जिसके लिए उसे निकाला गया था, निधि के अभिदाता द्वारा अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर ब्याज सहित एकमुश्त वापस कर दी जाएगी और ऐसे भुगतान में चूक होने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा कि वह राशि उसके वेतन से या तो एकमुश्त या संस्थान द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल की जाए।
16. कोई अभिदाता जिसने पैराग्राफ 14 के उप-पैरा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए पैराग्राफ 11 के अधीन अग्रिम राशि पहले ही ले ली है या भविष्य में ले सकता है, वह अपने विवेकानुसार,

मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध द्वारा पैराग्राफ 14 और 15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अपने विरुद्ध बकाया शेष राशि को अंतिम निकासी में परिवर्तित कर सकता है।

17. बीमा पॉलिसियों और पारिवारिक पेंशन निधि के लिए भुगतान निधि के अभिदाता द्वारा लिखित आवेदन पर और अनुच्छेद 18 और 25 में निहित शर्तों के अधीन - (क) (i) पारिवारिक पेंशन निधि के लिए अंशदान; और (ii) बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान, निधि के अंशदान के पूरे या हिस्से के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है; (ख) निधि में अभिदाता के खाते में जमा ब्याज सहित अंशदान की राशि निम्नलिखित के लिए निकाली जा सकती है: (i) बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान; (ii) एकल भुगतान बीमा पॉलिसी की खरीद; (iii) एकल प्रीमियम का भुगतान या पारिवारिक पेंशन निधि के लिए अंशदान: बशर्ते कि (क) और (ख) दोनों के संबंध में पारिवारिक पेंशन (i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो; और (ii) बीमा पॉलिसी ऐसी है जो स्वयं अभिदाता द्वारा संस्थान के पक्ष में विधिक रूप से समनुदेशित की जा सकती है और उसके द्वारा इस प्रकार समनुदेशित की जाती है तथा निधि से किए गए भुगतान के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार को सौंपी जाती है।

18. (1)
(3)
अभिदाता द्वारा स्वयं अपने जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर की गई बीमा पॉलिसी, जो स्वयं अभिदाता के जीवन पर पॉलिसी मानी जाएगी, संस्थान के पक्ष में समनुदेशन के लिए स्वीकार की जा सकेगी।

(2) अभिदाता की पत्नी को समनुदेशित की गई पॉलिसी तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि पॉलिसी को पहले अभिदाता को पुनः समनुदेशित न कर दिया जाए या अभिदाता और उसकी पत्नी दोनों किसी समुचित समनुदेशन में सम्मिलित न हो जाएं। बीमा पॉलिसी संस्थान को परिशिष्ट V में दिए गए प्रपत्रों में से प्रपत्र (1) या प्रपत्र (2) या प्रपत्र (3) में पॉलिसी पर किए गए पृष्ठांकन के माध्यम से सौंपी जाएगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी अभिदाता के जीवन पर है या अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर है या पॉलिसी पहले से ही अभिदाता की पत्नी को सौंपी गई है। पॉलिसी के असाइनमेंट की सूचना अभिदाता द्वारा बीमा कंपनी को दी जाएगी, और बीमा कंपनी द्वारा नोटिस की पावती असाइनमेंट की तारीख से तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। (5) जहां कोई बीमा पॉलिसी संस्थान को सौंपी गई है, रजिस्ट्रार बीमा कंपनी को संदर्भित करके, जहां संभव हो, खुद को संतुष्ट करेगा कि पॉलिसी का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है।

160
19. (1)
हिंदू परिवार (पेंशन) वार्षिकी निधि और डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के मामलों को छोड़कर, जिनके लिए सदस्यता या प्रीमियम का भुगतान संस्थान द्वारा मासिक वेतन बिलों से वास्तव में की गई वसूली की सीमा तक किया जाता है, संस्थान बीमा कंपनियों को ग्राहकों की ओर से कोई भुगतान नहीं करेगा, न ही पॉलिसी को चालू रखने के लिए कदम उठाएगा। (2) कोई अभिदाता जो अनुच्छेद 17 के खंड (क) के अधीन अपने निधि अंशदान को पूर्णतः या आंशिक रूप से पारिवारिक पेंशन निधि या बीमा में भुगतान के लिए प्रतिस्थापित करना चाहता है, वह निधि में अपने अंशदान को उसकी सीमा के भीतर कम कर सकता है: (3) बशर्ते कि उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित अंशदान या प्रीमियम के मामलों को छोड़कर, अभिदाता भुगतान की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेगा ताकि यह संतुष्टि हो सके कि निधि में अंशदान में जिस राशि से कमी की गई है, वह अनुच्छेद 17 के खंड (क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विधिवत् रूप से उपयोग की गई थी। कोई अभिदाता जो अनुच्छेद 17 के खंड (ख) के अधीन निधि में अपने अंशदान की सीमा के भीतर कोई राशि निकालना चाहता है, उसे निधि में अपने अंशदान से भुगतान की जाने वाली राशि की निकासी के लिए रजिस्ट्रार के साथ व्यवस्था करनी होगी। बशर्ते कि अभिदाता भुगतान की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेगा ताकि यह संतुष्टि हो सके कि निकाली गई राशि पैरा 17 के खंड (ख) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए विधिवत् रूप से उपयोग की गई थी। (4) पैरा 17 के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत निकाली गई कोई भी राशि पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित करके पूरे रुपए में भुगतान की जाएगी।

20. (1)
(2)

यदि पैरा 17 के खंड (क) के अंतर्गत प्रतिस्थापित किसी भी अंशदान या भुगतान की कुल राशि पैरा 7 के अंतर्गत निधि को देय न्यूनतम अंशदान की राशि से कम है, तो अंतर को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में दिए गए तरीके से निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाना चाहिए और अभिदाता द्वारा निधि को अंशदान के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अभिदाता अनुच्छेद 17 के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए निधि में अपने जमा किसी राशि को निकालता है तो वह अनुच्छेद 7 के अंतर्गत देय अंशदान निधि में जमा करना जारी रखेगा।

21. एक बार जब कोई बीमा पॉलिसी निधि से वित्तपोषित होने के उद्देश्य से स्वीकार कर ली जाती है, तो निदेशक की पूर्व सहमति के बिना पॉलिसी की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और न ही पॉलिसी को किसी अन्य पॉलिसी के लिए बदला जाएगा। इसके अलावा, इस प्रावधान के तहत आवंटित जीवन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम वार्षिक के अलावा किसी अन्य रूप में देय नहीं होगा। 22. पॉलिसी की अवधि के दौरान अभिदाता कोई ऐसा बोनस नहीं लेगा, जिसका आहरण पॉलिसी की शर्तों के तहत वैकल्पिक है और किसी ऐसे बोनस की राशि, जिसे पॉलिसी की शर्तों के तहत अभिदाता के पास उसके चालू रहने के दौरान आहरित करने से बचने का कोई विकल्प नहीं है, अभिदाता द्वारा तत्काल निधि में जमा कर दी जाएगी या चूक होने पर बोर्ड के निर्देशानुसार किश्तों में या अन्यथा उसके परिलब्धियों में से कटौती करके वसूल की जाएगी। 23. (1) पैरा 25 के उप-पैरा (2) में दिए गए प्रावधान के सिवाय, जब

24. अभिदाता:

(क) सेवा छोड़ देता है, या

(ख) सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर चला गया है और संस्थान को पॉलिसी के पुनः असाइनमेंट या वापसी के लिए आवेदन करता है, या

(ग) छुट्टी पर रहते हुए, उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी गई है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे भविष्य की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वह संस्थान को पॉलिसी के पुनः असाइनमेंट या वापसी के लिए आवेदन करता है, या (घ) अनुच्छेद 17 के खंड (क) के उप-खंड (ii) और अनुच्छेद 17 के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए निधि से रोकी गई या निकाली गई पूरी राशि को अनुच्छेद 10 में दिए गए दर पर ब्याज सहित निधि में जमा करता है या वापस करता है; यदि पॉलिसी अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत संस्थान के पक्ष में समनुदेशित की गई है तो रजिस्ट्रार परिशिष्ट VI में दिए गए प्रथम प्रपत्र में पॉलिसी को अभिदाता को, अथवा अभिदाता और संयुक्त बीमाधारक को, जैसा भी मामला हो, पुनः समनुदेशित करेगा तथा बीमा कम्पनी को संबोधित पुनः समनुदेशितीकरण की हस्ताक्षरित सूचना के साथ इसे अभिदाता को सौंप देगा। (2) उप अनुच्छेद 25 में दिए गए प्रावधान के सिवाय, जब अभिदाता की सेवा से पहले मृत्यु हो जाती है तो रजिस्ट्रार परिशिष्ट VI में दिए गए द्वितीय प्रपत्र में पॉलिसी को ऐसे व्यक्ति को पुनः समनुदेशित करेगा जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से हकदार हो तथा बीमा कम्पनी को संबोधित पुनः समनुदेशितीकरण की हस्ताक्षरित सूचना के साथ पॉलिसी को ऐसे व्यक्ति को सौंप देगा। यदि अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत संस्थान के पक्ष में निर्दिष्ट पॉलिसी, अभिदाता के सेवा छोड़ने से पूर्व परिपक्व हो जाती है, अथवा यदि उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्दिष्ट अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन बीमा पर पॉलिसी, पत्नी की मृत्यु के कारण भुगतान के लिए देय हो जाती है, तो पॉलिसी की पूरी राशि, वसूली होने पर, अभिदाता की निधि में जमा कर दी जाएगी। 25. (1) यदि किसी भी कारण से परिवार पेंशन निधि में अभिदाता का हित पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो अभिदाता के भविष्य निधि खाते में, यदि कोई हो, परिवार पेंशन निधि से अभिदाता द्वारा सुरक्षित की गई वापसी की राशि, यदि कोई हो, तुरन्त प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो राशि, प्रतिपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, अभिदाता के परिलब्धियों से किश्तों में या अन्यथा बोर्ड के निर्देशानुसार काट ली जाएगी। (2) यदि संस्थान को निम्नलिखित की सूचना प्राप्त होती है: -

(क) संस्थान के पक्ष में असाइनमेंट (पैराग्राफ 18 के तहत असाइनमेंट के अलावा) या किसी भार का प्रभार, या

(ग) पॉलिसी या उस पर वसूल की गई किसी राशि से निपटने पर रोक लगाने वाले न्यायालय के आदेश की, तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा: -

(i) पैराग्राफ 23 में दिए गए अनुसार पॉलिसी को पुनः असाइन या सौंपना; (ii) पैराग्राफ 24 में दिए गए अनुसार पॉलिसी द्वारा सुनिश्चित राशि वसूल करना, लेकिन मामले को तुरंत बोर्ड को संदर्भित करेगा। 26. इस अनुसूची में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी देने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि पैरा 17 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन निधि से रोके गए या निकाले गए धन का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए निधि से धन रोकने या निकालने की मंजूरी दी गई थी,

तो प्रश्नगत राशि, पैरा 10 में दिए गए दर पर ब्याज के साथ, अंशदाता द्वारा तुरंत निधि में भुगतान की जाएगी, या चूक होने पर, अंशदाता के वेतन से एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा, भले ही वह छुट्टी पर हो। यदि भुगतान की जाने वाली कुल राशि अंशदाता के वेतन के आधे से अधिक है, तो उसके वेतन के आधे हिस्से की मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा वसूली योग्य पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

नोट: इस पैरा में प्रयुक्त 'परिलब्धियों' में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है। 27. पॉलिसियों के वित्तपोषण से संबंधित प्रावधानों पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 17 से 26 में निहित प्रावधान केवल उन ग्राहकों पर लागू होंगे जो जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए पूर्ण या आंशिक भुगतान को निधि में सदस्यता के लिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं या

6 नवंबर 1962 से पहले ऐसे भुगतानों के लिए निधि से निकासी। बशर्ते कि ऐसे ग्राहकों को निधि के लिए देय सदस्यता के लिए ऐसे भुगतानों को प्रतिस्थापित करने या किसी नई पॉलिसी के संबंध में ऐसे भुगतान करने के लिए निधि से निकासी करने की अनुमति नहीं होगी। 28. परिस्थितियाँ जिनमें संचय देय हैं जब कोई ग्राहक सेवा छोड़ता है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि, अनुच्छेद 31 के तहत किसी भी कटौती के अधीन, उसे देय हो जाएगी। बशर्ते कि कोई अभिदाता, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो और बाद में सेवा में पुनः बहाल किया गया हो, यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसे इस पैरा के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई किसी भी राशि को पैरा 10 में प्रदान की गई दर पर ब्याज सहित पैरा 29 के परंतुक में प्रदान की गई रीति से वापस करना होगा। इस प्रकार वापस की गई राशि निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी, वह भाग जो उसके अंशदान और उस पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है, और वह भाग जो संस्थान के अंशदान और उस पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है, उसका लेखा पैरा 5 में प्रदान की गई रीति से किया जाएगा।

29. जब कोई अभिदाता:-

(क) सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर चला गया हो या यदि वह अवकाश विभाग में कार्यरत हो, तो अवकाश के साथ सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर हो, या

(ख) छुट्टी पर रहते हुए, उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई हो या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की राशि, उसके द्वारा उस निमित्त आवेदन किए जाने पर निदेशक के अधीन, अंशदाता को देय हो जाएंगे। बशर्ते कि यदि अंशदाता ड्यूटी पर लौटता है, तो संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, वह इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई किसी भी राशि का पूरा या आंशिक हिस्सा, नकद या प्रतिभूतियों में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से प्रतिभूतियों में, किश्तों में या अन्यथा, जैसा कि संस्थान निर्देश दे, अपने खाते में जमा करने के लिए निधि को वापस करेगा। 30. किसी अभिदाता की मृत्यु पर, उसके खाते में जमा राशि के भुगतान योग्य होने से पहले या जहां राशि भुगतान योग्य हो गई है, भुगतान किए जाने से पहले, अनुच्छेद 31 के तहत किसी कटौती के अधीन रहते हुए,

(1) जब अभिदाता परिवार छोड़ता है -

(क) यदि अभिदाता द्वारा अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या उसका वह भाग जिससे नामांकन संबंधित है, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय हो जाएगा; (ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामांकन विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित है, तो पूरी राशि या उसका वह भाग, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, जैसा भी मामला हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने का दावा करने वाले किसी भी नामांकन के बावजूद, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय हो जाएगा।

नोट 1: (i)

(ii)

नोट II: (i)

बशर्ते कि कोई हिस्सा निम्नलिखित को देय नहीं होगा: -

(1) वयस्क हो चुके बेटे;

(2) वयस्क हो चुके मृतक बेटे के बेटे;

(3) विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं; (4) किसी मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियाँ, जिनके पति जीवित हैं, यदि खण्ड (1), (2), (3) तथा (4) में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त परिवार में कोई अन्य सदस्य है:

यह भी प्रावधान है कि मृत पुत्र की विधवा तथा संतान या संतानों को आपस में बराबर भागों में केवल वही हिस्सा मिलेगा जो उस पुत्र को मिलता यदि वह अभिदाता के बाद जीवित होता तथा उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट प्राप्त होती:

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य को देय कोई राशि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसे सदस्य में निहित होती है।

जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है, यदि अनुच्छेद 4 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है, तो निधि में या उसके उस भाग में, जिससे नामांकन संबंधित है, उसके खाते में जमा राशि, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय हो जाएगी। जब नामिति भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित अनुसार अभिदाता का आश्रित है, तो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत राशि ऐसे नामिति में निहित हो जाती है।

(ii) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है और पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामांकन विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के केवल भाग से संबंधित है, तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के उपखंड (ii) के सुसंगत उपबंध उस पूरी राशि या उसके उस भाग पर लागू होंगे, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है। 30ए जमा लिंक्ड बीमा योजना

अभिदाता की मृत्यु होने पर, अभिदाता के खाते में जमा राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक पहले के 3 वर्षों के दौरान खाते में जमा अंशदान की औसत राशि और उस पर ब्याज के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि:-

(क) ऐसे अभिदाता के खाते में ब्याज सहित अंशदान का शेष मृत्यु के महीने से पहले के 3 वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्न सीमा से कम नहीं होना चाहिए:

(i)

(ii)

(!!!)

(iv)

4000/- रुपये ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग के लिए ऐसा पद धारण किया हो जिसका अधिकतम वेतनमान 1300/- रुपये या उससे अधिक हो; ऐसे अभिदाता के मामले में 2500/- रुपए, जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान 900/- रुपए या उससे अधिक किन्तु 1300/- रुपए से कम है; ऐसे अभिदाता के मामले में 1500/- रुपए, जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान 291/- रुपए या उससे अधिक किन्तु 900/- रुपए से कम है; ऐसे अभिदाता के मामले में 1000/- रुपए, जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है, जिसका अधिकतम वेतनमान 291/- रुपए से कम है; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त राशि 10000/- रुपए से अधिक नहीं होगी। (ग) ग्राहक ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 16-24/76-टी.6 दिनांक 1 मार्च 1979 द्वारा जोड़ा गया। 8 जनवरी 1976 से प्रभावी। 166 नोट 1: औसत शेष राशि ग्राहक की मृत्यु के महीने से पहले के 36 महीनों में से प्रत्येक के अंत में जमा शेष राशि के आधार पर निकाली जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, साथ ही ऊपर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि की जांच करने के लिए- (क) मार्च के अंत में शेष राशि में पैराग्राफ 10 के अनुसार जमा किए गए अंशदान पर वार्षिक ब्याज शामिल होगा; और (ख) यदि उपरोक्त 36 महीनों में से अंतिम महीना मार्च नहीं है, तो उक्त अंतिम महीने के अंत में शेष राशि में वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर अंतिम महीने के अंत तक की अवधि के संबंध में अंशदान पर ब्याज शामिल होगा। नोट 2: इस योजना के अंतर्गत भुगतान पूरे रुपए में होना चाहिए। यदि देय राशि में रुपए का अंश शामिल है, तो इसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाना चाहिए, (50 पैसे अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिने जाएंगे)।

नोट 3: इस योजना के अंतर्गत देय कोई भी राशि बीमा राशि की प्रकृति की है और इसलिए, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अंतर्गत देय राशियों पर लागू नहीं होती है।

नोट 4: यह योजना निधि के उन अंशदाताओं पर भी लागू होती है, जो किसी सरकारी विभाग के ऐसे निकाय में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप किसी स्वायत्त संगठन में स्थानांतरित हो जाते हैं और जो ऐसे स्थानांतरण पर, उन्हें दिए गए विकल्प के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अंशदान करने का विकल्प चुनते हैं।

टिप्पणी 5: (क) संस्थान के किसी कर्मचारी की दशा में, जिसे परिनियम 18 (2) / परिनियम 18 ए (1) के अधीन निधि के लाभों में भर्ती किया गया है, किन्तु उसकी मृत्यु तीन वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व, या, जैसा भी

मामला हो, निधि में भर्ती होने की तारीख से पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व हो जाती है, तो पूर्ववर्ती नियोक्ता के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसके लिए उसके अंशदान की राशि और नियोक्ता का अंशदान, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) कार्यकाल के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की दशा में, ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियोजित होने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी। (ग) यह योजना संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। नोट 6: इस योजना के संबंध में व्यय का बजट अनुमान निधि के खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसी तरह तैयार किया जाएगा, जैसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं।

31. कटौतियाँ

इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है जो संस्थान द्वारा अनुच्छेद 9 और 10 के अंतर्गत जमा किए गए किसी अंशदान की राशि और उस पर ब्याज से अधिक जमा राशि को कम करती है, निधि में किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि का भुगतान किए जाने से पहले, बोर्ड उसमें से कटौती करने और संस्थान को भुगतान करने का निर्देश दे सकता है-

(क) कोई भी राशि, यदि किसी अभिदाता को गंभीर कदाचार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है: बशर्ते कि यदि बर्खास्तगी का आदेश बाद में रद्द कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कटौती की गई राशि, सेवा में उसकी पुनः बहाली पर, निधि में उसके खाते में वापस कर दी जाएगी;

(ख) कोई भी राशि, यदि कोई अभिदाता संस्थान में अपनी नौकरी शुरू होने के पांच वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता है या संस्थान का कर्मचारी नहीं रह जाता है, सिवाय अधिवर्षिता के कारण या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा किए जाने के कि वह आगे सेवा के लिए अयोग्य है। बशर्ते कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारी के मामले में, भविष्य निधि और अन्य लाभों के लिए संस्थान का अंशदान देय होगा-

(i) पूर्ण रूप से, यदि संविदा की पूरी अवधि पूरी हो गई है;

(ii) अनुपात में यदि संविदा पहले ही समाप्त हो जाती है, बशर्ते कि संविदा की समाप्ति उसमें दिए गए नियमों के अनुसार हो।

(ग) संस्थान के प्रति अंशदाता द्वारा वहन की गई देयता के अंतर्गत देय कोई राशि।

32. (1) (क) जब निधि में किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि या अनुच्छेद 31 के अधीन किसी कटौती के पश्चात उसका शेष देय हो जाता है, तो रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह निदेशक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात्, जब उस अनुच्छेद के अधीन कोई कटौती करने का निर्देश न दिया गया हो कि कोई कटौती नहीं की जानी है, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में उपबंधित अनुसार भुगतान करे।

(ख) अंशदायी भविष्य निधि से निदेशक को अंतिम भुगतान के मामले में, भुगतान को मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-3/78-टी.6 दिनांक 7 जून 1980 द्वारा प्रतिस्थापित। 3 जून 1980 से प्रभावी।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इस अनुसूची के अन्तर्गत कोई राशि या पॉलिसी दी जानी है, सौंपी जानी है, पुनः सौंपी जानी है या वितरित की जानी है, वह पागल है जिसकी सम्पत्ति के लिए इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है, तो भुगतान या पुनः सौंपा जाना या वितरित करना भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे प्रबन्धक को किया जाएगा, न कि पागल को। (3) कोई भी व्यक्ति जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत भुगतान का दावा करना चाहता है, उसे इस निमित्त निदेशक को लिखित आवेदन भेजना होगा। निकाली गई राशि का भुगतान भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को राशि देय है, उन्हें भारत में भुगतान प्राप्त करने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नोट:

जब किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि अनुच्छेद 23, 29 या 30 के अधीन देय हो जाती है, तो संस्थान अभिदाता के खाते में जमा राशि के उस भाग के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगा, जिसके संबंध में कोई विवाद या संदेह नहीं है, तथा शेष राशि को यथाशीघ्र समायोजित किया जाएगा।

33. प्रक्रिया

निधि में संचित राशि, जिसका भुगतान इस अनुसूची के अधीन देय होने के पश्चात छह माह के भीतर नहीं किया गया है, को वर्ष की 31 मार्च के पश्चात 'जमा' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा जमा से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत माना जाएगा।

34. भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलब्धियों से कटौती करके या नकद में करते समय, अभिदाता निधि में अपने खाते की संख्या अंकित करेगा, जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे बताई जाएगी। संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना भी लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता को इसी प्रकार दी जाएगी। 35. (1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के पश्चात यथाशीघ्र तथा लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निधि खातों की लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को परिशिष्ट VII में दिए गए प्रपत्र में निधि में उसके खाते का विवरण भेजेगा, जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आरंभिक शेष राशि, वर्ष के दौरान जमा की गई कुल राशि तथा उस तिथि को समापन शेष राशि दर्शाई जाएगी। लेखा अधिकारी खाता विवरण के साथ यह जांच संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता:-

(क) पैरा 4 के अंतर्गत किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है;

(ख) उसने कोई परिवार अर्जित कर लिया है (ऐसे मामलों में जहां अभिदाता ने पैरा 4 के उप-पैरा (1) के प्रावधान के अंतर्गत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया है।)

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर लेखा अधिकारी की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए, तथा विवरण में त्रुटियों को उनके ध्यान में लाना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अभिदाता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने विवरण स्वीकार कर लिया है। (3) जहां वार्षिक विवरण में त्रुटियां ध्यान में लाई जाती हैं, वहां यह मान लिया जाएगा कि उसने विवरण को स्वीकार कर लिया है। अभिदाता की संतुष्टि के लिए उसका समाधान करना लेखा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

36. ग्रेच्युटी

(क) संस्थान के पूर्णकालिक कर्मचारियों को अच्छी, कुशल और निष्ठावान सेवा के लिए ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी तथा इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे

आकस्मिक और गैर-नियमित कर्मचारी;

(ii) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी;

(iii) अनुबंध आधार पर कर्मचारी;

(iv) प्रशिक्षु और प्रशिक्षार्थी; और

(v) पुनः नियोजित व्यक्ति।

(ख) यह निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा; (i)

पद समाप्ति पर सेवामुक्ति;

(ii) शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण स्थायी अक्षमता;

(iii) संविधि 15 (2)/13 (2) में यथा उपबंधित 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति;

(iv) 30 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति;

बशर्ते कि -

(i)

(ii)

(c)

ऐसे कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय नहीं होगी जो सेवा से त्यागपत्र दे देता है (30 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति त्यागपत्र नहीं मानी जाएगी) या जिसकी सेवाएं कदाचार, दिवालियापन या अकुशलता के कारण समाप्त कर दी जाती हैं;

मृत्यु की स्थिति को छोड़कर, ग्रेच्युटी 5 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात ही देय होगी।

अर्हकारी सेवा का तात्पर्य 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद संस्थान में की गई समस्त सेवा से है, सिवाय प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा अवधि और बिना छुट्टी वेतन के असाधारण अवकाश के। (घ) (i) ग्रेच्युटी प्रत्येक पूर्ण की गई छह-मासिक सेवा अवधि के लिए परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगी, जो परिलब्धियों के न्यूनतम 16 गुना या 30,000/- रुपये, जो भी कम हो, के अधीन होगी। (ii) मृत्यु की स्थिति में, ग्रेच्युटी की राशि (i) के अंतर्गत या नीचे बताए अनुसार, जो भी अधिक हो, गणना की जाएगी: (क) सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान। (ख) एक वर्ष की सेवा के बाद। 2 महीने की परिलब्धियां। 6 महीने की परिलब्धियां। 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात 12 माह की परिलब्धियों में से संस्थान के अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज को घटाकर कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। * स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए 'परिलब्धियों' का अर्थ है महंगाई वेतन, यदि कोई हो, छुट्टी वेतन, या निर्वाह अनुदान सहित वेतन तथा इसमें सेवानिवृत्ति या सेवा त्याग से ठीक पहले विदेशी सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन (महंगाई वेतन, यदि कोई हो) की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक शामिल है, जो अधिकतम 2500/- रुपये प्रति माह तक हो सकता है। 37. (1)

प्रत्येक कर्मचारी परिशिष्ट VIII में दिए गए फॉर्म में नामांकन करेगा, जिससे उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों को सेवा में रहते हुए या सेवा छोड़ने के बाद लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को देय शेयरों का उल्लेख

होगा। ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय, कॉर्पोरेट या निगमित के पक्ष में किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F.11-6/76 - T.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा संशोधित।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F.11-6/78 - T.6 दिनांक 16 जुलाई 1978 द्वारा संशोधित।

1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।

1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।

170

171

(2) नामांकन न होने की स्थिति में, मृत्यु पर ग्रेच्युटी का भुगतान नीचे दर्शाए गए तरीके से किया जा सकता है: (क) यदि परिवार में एक या अधिक जीवित सदस्य हैं जैसा कि नीचे (i) से (iv) में बताया गया है, तो यह किसी ऐसे सदस्य को छोड़कर जो विधवा पुत्री है, सभी सदस्यों को समान हिस्सों में दिया जा सकता है। (ख) यदि परिवार में ऐसे कोई जीवित सदस्य नहीं हैं, लेकिन एक या अधिक जीवित विधवा पुत्रियां और/या परिवार के अधिक जीवित सदस्य हैं जैसा कि नीचे (v) से (ix) में बताया गया है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान ऐसे सभी सदस्यों को समान हिस्सों में किया जा सकता है। स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, 'परिवार' में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी; (ii) महिला कर्मचारी के मामले में पति; (!!!) 3 बेटे जिनमें सौतेले बच्चे और दत्तक बच्चे शामिल हैं; (iv) अविवाहित और विधवा बेटियां; (v) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित एवं विधवा बहनें; परिशिष्ट - 1 फॉर्म I - विकल्प के लिए आवेदन [संविधि 18 ए (2)] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का एक कर्मचारी, संविधि 18 ए और संस्थान के संविधि की अनुसूची ई में निर्धारित अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना द्वारा शासित होने का चुनाव करता हूँ और सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी नियमों और शर्तों द्वारा शासित होने के अपने दावे को त्यागता हूँ, जो 1 जनवरी, 1971 से तुरंत पहले मुझ पर लागू थे। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि यह चुनाव अंतिम है और यह 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी होगा। साक्षी: (1) (2) जिसमें सौतेली बहनें भी शामिल हैं। हस्ताक्षर..... (अंगूठे का निशान, यदि अशिक्षित हों) पदनाम चुनाव की तिथि परिशिष्ट - I फॉर्म II - घोषणा [पैराग्राफ - 1 (3) देखें] (अभिदाता), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का एक कर्मचारी, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। 38. (vi) पिता; (vii) माता; (viii) विवाहित पुत्रियाँ; और (ix) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे। जब बोर्ड को यह विश्वास हो जाता है कि इन प्रावधानों में से किसी के क्रियान्वयन से किसी कर्मचारी को अनुचित कठिनाई होती है या होने की संभावना है, तो वह इन प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे कर्मचारियों के मामलों को ऐसे तरीके से निपटा सकता है, जैसा कि उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-4/80-टी.6 दिनांक 18 जून 1982 के अनुसार जोड़ा गया। 29 मई 1982 से प्रभावी।

दिनांक 19.

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह।

1 .

2 .

172

ग्राहक के हस्ताक्षर

173

(2) नामांकन न होने की स्थिति में, मृत्यु पर ग्रेच्युटी का भुगतान नीचे दर्शाए गए तरीके से किया जा सकता है: (क) यदि परिवार में एक या अधिक जीवित सदस्य हैं जैसा कि नीचे (i) से (iv) में बताया गया है, तो यह किसी ऐसे सदस्य को छोड़कर जो विधवा पुत्री है, सभी सदस्यों को समान हिस्सों में दिया जा सकता है। (ख) यदि परिवार में ऐसे कोई जीवित सदस्य नहीं हैं, लेकिन एक या अधिक जीवित विधवा पुत्रियां और/या परिवार के अधिक जीवित सदस्य हैं जैसा कि नीचे (v) से (ix) में बताया गया है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान ऐसे सभी सदस्यों को समान हिस्सों में किया जा सकता है। स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, 'परिवार' में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी; (ii) महिला कर्मचारी के मामले में पति; (!!!) 3 बेटे जिनमें सौतेले बच्चे और दत्तक बच्चे शामिल हैं; (iv) अविवाहित और विधवा बेटियां; (v) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित एवं विधवा बहनें; परिशिष्ट - 1 फॉर्म I - विकल्प के लिए आवेदन [संविधि 18 ए (2)] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का एक कर्मचारी, संविधि 18 ए और संस्थान के संविधि की अनुसूची ई में निर्धारित अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना द्वारा शासित होने का चुनाव करता हूँ और सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी नियमों और शर्तों द्वारा शासित होने के अपने दावे को त्यागता हूँ, जो 1 जनवरी, 1971 से तुरंत पहले मुझ पर लागू थे। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि यह चुनाव अंतिम है और यह 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी होगा। साक्षी: (1) (2) जिसमें सौतेली बहनें भी शामिल हैं। हस्ताक्षर..... (अंगूठे का निशान, यदि अशिक्षित हों) पदनाम चुनाव की तिथि परिशिष्ट - I फॉर्म II - घोषणा [पैराग्राफ - 1 (3) देखें] (अभिदाता), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का एक कर्मचारी, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। 38. (vi) पिता; (vii) माता; (viii) विवाहित पुत्रियाँ; और (ix) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे। जब बोर्ड को यह विश्वास हो जाता है कि इन प्रावधानों में से किसी के क्रियान्वयन से किसी कर्मचारी को अनुचित कठिनाई होती है या होने की संभावना है, तो वह इन प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे कर्मचारियों के मामलों को ऐसे तरीके से निपटा सकता है, जैसा कि उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-4/80-टी.6 दिनांक 18 जून 1982 के अनुसार जोड़ा गया। 29 मई 1982 से प्रभावी।

दिनांक 19.

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह।

1 .

2 .

172

ग्राहक के हस्ताक्षर

173

1.

परिशिष्ट - II

नामांकन का प्रारूप

[पैराग्राफ - 4 (3) देखें]

जब अभिदाता का परिवार हो और वह उसमें से एक सदस्य को नामित करना चाहता हो।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि-सह-उपदान को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैराग्राफ 2 में परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य है, नामित करता हूँ कि वह निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करे, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता

आयु अभिदाता के साथ संबंध

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

नाम, पता और संबंध यदि कोई हो, तो उस व्यक्ति को नामिती का अधिकार अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में हस्तांतरित हो जाएगा

11.

जब अभिदाता का परिवार हो और वह उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की अंशदायी भविष्य निधि-सह-उपदान योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैराग्राफ 2 में परिभाषित मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामित करता हूं कि वे निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करें, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, इससे पहले कि वह राशि देय हो जाए, या देय हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया हो, और निर्देश देता हूं कि उक्त राशि को उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से वितरित किया जाएगा।

नाम और पता रिश्ता- उम्र नामांकित व्यक्ति का अंशदाता के साथ नाम, पता और संचय में हिस्सा

नामांकन अमान्य हो जाएगा

जिसकी आकस्मिकताएं

व्यक्ति के प्रत्येक रिश्तेदार को भुगतान की जाएंगी, यदि कोई हो, जिसके पास नामांकित व्यक्ति का अधिकार अंशदाता की मृत्यु की स्थिति में स्थानांतरित हो जाएगा

दिनांक इस

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह

1 .

2 . दिनांक 19 तारीख को हस्ताक्षर के दो गवाह 19 तारीख को अभिदाता के हस्ताक्षर 1. 2. 174 अभिदाता के हस्ताक्षर नोट : यह कॉलम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसमें वह पूरी राशि शामिल हो जो किसी भी समय निधि में अभिदाता के खाते में जमा हो सकती है। 175

III.
जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह किसी एक व्यक्ति को नामित करना चाहता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि-सह-उपदान के अंतर्गत, मैं, प्रौद्योगिकी, खड़गपुर के प्रावधानों के पैराग्राफ 2 में परिभाषित अनुसार, कोई परिवार नहीं रखता हूँ, तथा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।
अभिदाता के साथ नामित व्यक्ति का नाम और पता
संबंध आयु आकस्मिकताएँ जिसके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा
उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास अभिदाता की मृत्यु से पहले नामित व्यक्ति का अधिकार चला जाएगा
IV.
जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता है।
मैं, भारतीय संस्थान की अंशदायी भविष्य निधि-सह-उपदान योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैराग्राफ 2 में परिभाषित अनुसार कोई परिवार नहीं रखता, निधि में मेरे खाते में जमा राशि में से, प्रौद्योगिकी, खड़गपुर के समक्ष मेरी मृत्यु की स्थिति में, नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को उस राशि को प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ जो देय हो गई है, या देय हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं की गई है और निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि को उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से वितरित किया जाएगा।
नाम और पता
नामिती का अभिदाता के साथ संबंध
आयु
नाम, पता और अभिदाता के साथ संबंध
संचित होने वाली आकस्मिकताओं की राशि
प्रत्येक को भुगतान की जाएगी
जिसके लिए नामांकन
व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसका
अधिकार
अमान्य हो जाता है
नामिती
दिनांक 19
दिनांक 19
हस्ताक्षर के दो गवाह
1. 2.
दिनांक 19
दिनांक 19
दिनांक 19
हस्ताक्षर के दो गवाह
1. 2.
दिनांक 19
दिनांक 19
दिनांक 19
19
अभिदाता के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर के दो गवाह

3 .
4 .
अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु होने की स्थिति में पास
अभिदाता के हस्ताक्षर
* नोट: जहां कोई अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, तो उसे इस कॉलम में यह निर्दिष्ट करना होगा कि नामांकन उसके बाद परिवार प्राप्त करने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा।
176
नोट: इस कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि इसमें पूरी राशि शामिल हो जाए।
नोट: जहां कोई अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, तो उसे इस कॉलम में यह निर्दिष्ट करना होगा कि नामांकन उसके बाद परिवार प्राप्त करने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा।
177

खाता संख्या
नामांकन प्राप्ति की तिथि
अंशदान
नाम
परिशिष्ट
भारतीय अंशदायी भविष्य निधि संस्थान
संस्थान का अंशदान
प्रौद्योगिकी, खड़गपुर
लेजर (पैरा 5 देखें)
पदनाम
अंशदान
वर्ष 19
19
पर्िलब्धियां
अंशदान
महीने
अंशदान
निकासी की वापसी
मासिक शेष
कुल
निकासी
जिस पर
कृपया। नीचे देखें
ब्याज की गणना की जाती है
निकासी के साथ
टिप्पणियाँ
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्टूबर
नवंबर
दिसंबर
जनवरी
फरवरी
मार्च
जर्नल
प्रविष्टियाँ
कुल:

वेतन सदस्यता
शामिल हुए
वर्ष 19
19
संस्थान का योगदान
मासिक
वापसी
निकासी के साथ
कुल
निकासी
जिस पर ब्याज की गणना की जाती है
कृपया नीचे देखें
निकासी टिप्पणी
19 से शेष राशि
उपर्युक्त अनुसार जमा और वापसी
ड्यूटी पर या संस्थान के अंशदान पर आहरित अंशदाता के परिलब्धियाँ रु. ..... @ 8 %%
छुट्टी के दौरान या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर।
19 से शेष राशि
संस्थान का अंशदान रु..... @ 8 %%
19
19 के लिए ब्याज
19
19 से शेष राशि 19 19 के लिए ब्याज
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ 31 मार्च, 19 को शेष राशि
गणना की गई:
जाँच की गई:
कुल
कुल
ऊपर बताए अनुसार जमा और रिफंड 19 19 के लिए ब्याज
19 19 से शेष राशि 19 19 के लिए ब्याज
कुल
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ 31 मार्च, 19 को शेष राशि
कुल
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ 31 मार्च, 19 को शेष राशि
ऊपर बताए अनुसार निकासी घटाएँ 31 मार्च, 19 को शेष राशि गणना की गई: जाँच की गई:
178
179

परिशिष्ट IV

[पैरा 11 देखें] अंशदायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

11. अंशदाता का नाम और उसका खाता संख्या

12. पदनाम

13. वेतन

14. आवेदन की तिथि पर अंशदाता के खाते में शेष राशि

15. अपेक्षित अग्रिम राशि

16. वह उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता है - अंशदायी भविष्य निधि नियम का पैरा 11 (ए)।

17. मासिक किस्तों की संख्या (और राशि) जिसमें अग्रिम राशि चुकाने का प्रस्ताव है

18. अंतिम बार लिए गए अग्रिम की राशि, यदि कोई हो। अग्रिम राशि का विवरण, लेने की तिथि, चुकौती की किस्त और बकाया राशि।

19. क्या अंतिम बार लिया गया कोई अग्रिम भुगतान किया जा रहा है या ब्याज सहित उसका पूरा भुगतान हुए 12 महीने नहीं हुए हैं।

20. अस्थायी निकासी के लिए आवेदन को उचित ठहराने वाले अंशदाता की आर्थिक परिस्थितियों का पूरा विवरण।

अनुलग्नक IV (जारी)

(सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियां)

दिनांक को,

मैं संतुष्ट हूं कि अधिकारी की आर्थिक परिस्थितियां अग्रिम भुगतान को उचित ठहराती हैं, जो अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के पैरा 11 के तहत स्वीकार्य है और विशेष मामले के रूप में पैरा 12 के तहत मंजूरी के लिए अनुशंसित है।

अग्रिम राशि रुपये प्रति माह की किस्तों में वसूली योग्य है, जिसमें निर्धारित दर पर ब्याज के रूप में एक/दो अतिरिक्त किस्तें शामिल हैं।

सं.

रुपये की स्वीकृति, जिसे वसूल किया जाना है

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांकित,

को रु. .. की मासिक किस्तों में अग्रिम राशि स्वीकृत करने की सूचना दी जाती है, जिसमें निर्धारित दर पर ब्याज के रूप में एक/दो अतिरिक्त किस्तें शामिल हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

नोट : (i)

आवेदक के हस्ताक्षर

आइटम 3, 4, 8. और 9 के विरुद्ध विवरण सही पाए गए हैं।

180

हस्ताक्षर लेखा अधिकारी

आवेदन को सबसे पहले रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो लेखा अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन को मंजूरी के लिए निदेशक को प्रस्तुत करेगा या निदेशक की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, जैसा भी मामला हो, उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आवेदन, जब स्वीकृत हो जाए, तो उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए लेखा अनुभाग को भेजा जाना चाहिए।

181

परिशिष्ट V

(पैरा 18 देखें)

असाइनमेंट का प्रारूप

(1)

..

मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में आश्वासन की आंतरिक पॉलिसी सौंपता हूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत, मैं इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता हूं।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आंतरिक पॉलिसी का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है।

दिनांक इस स्टेशन

हस्ताक्षर के लिए एक गवाह

हम,

दिनांक

19

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2)

(अभिदाता) ...

(3)

की पत्नी

और बीमाधारक के पक्ष में पॉलिसी के अनुरोध पर,

..... में अपना हित मुक्त करने के लिए सहमत हैं ताकि

इस पॉलिसी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सौंपा जा सके, जो निकाय अंशदायी भविष्य निधि द्वारा देय अंशदानों के स्थान पर बीमाधारक की पॉलिसी के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है,

इसके अनुरोध पर और उक्त बीमाधारक के निर्देश पर और मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को बीमाधारक की पॉलिसी को उन सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में सौंपता और पुष्टि करता हूं, जो उक्त निधि के नियमों के तहत उक्त व्यक्ति को निधि में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं।

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि पॉलिसी का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है। दिनांक 19 तारीख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के समनुदेशिती और अभिदाता के हस्ताक्षर और ... (संयुक्त बीमित व्यक्ति) हमारे अनुरोध पर मेरे द्वारा उक्त भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में देय अंशदान के बदले बीमा पॉलिसी के प्रति विचारणीय भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, उक्त बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान के लिए अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में उक्त राशि में से ..... रुपए की अंशदायी निकासी स्वीकार करने के लिए, इसके द्वारा संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को बीमा पॉलिसी को उन सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में समनुदेशित करते हैं, जिन्हें उक्त निधि के नियमों के तहत उक्त व्यक्ति भविष्य में उस निधि में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उक्त पॉलिसी का कोई पूर्व समनुदेशन मौजूद नहीं है। .दिनांक

इस स्टेशन पर

.....

19

अभिदाता और संयुक्त बीमाधारक के हस्ताक्षर

नोट: असाइनमेंट को पॉलिसी पर ही या तो अभिदाता के हस्तलेख में या टाइप करके निष्पादित किया जा सकता है, या वैकल्पिक रूप से असाइनमेंट वाली टाइप की गई या मुद्रित पर्ची को पॉलिसी पर इस उद्देश्य के लिए दिए गए खाली कागज पर चिपकाया जा सकता है। टाइप किए गए या मुद्रित समर्थन पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि पॉलिसी पर चिपकाया जाता है तो उस पर चारों मार्जिन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए एक गवाह

(4)

उन मामलों में उपयोग किए जाने वाले असाइनमेंट का फॉर्म जहां सामान्य भविष्य निधि का कोई अभिदाता जिसने उस निधि के नियमों के तहत बीमा पॉलिसी ली है, अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में भर्ती है। 1,

इसके द्वारा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में आश्वासन की भीतरी नीति को आगे बढ़ाता हूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत, मैं इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के अंशदायी भविष्य निधि को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता हूं।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति को सभी राशियों के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में असाइनमेंट को छोड़कर, जो मैं सामान्य भविष्य निधि नियमों के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया हूं, भीतर की नीति का कोई पूर्व असाइनमेंट मौजूद नहीं है।

इस स्टेशन की तारीख

दिन

हस्ताक्षर के लिए एक गवाह

19

ग्राहक का हस्ताक्षर

182

183

परिशिष्ट VI

(पैरा 23 देखें)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा पुन: असाइनमेंट और असाइनमेंट का प्रारूप।

उपरोक्त नामित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा देय सभी राशियों का भुगतान कर दिया गया है और अंशदायी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत सभी देयताएं, भविष्य में ऐसी किसी भी राशि का भुगतान समाप्त होने पर संस्थान एतद्द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी को पुनः सौंपता है। दिनांक 19

संस्थान के रजिस्ट्रार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिए और उसकी ओर से

(एक गवाह जो अपना पदनाम और पता जोड़े)

उपर्युक्त नामित 19

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(2)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की मृत्यु हो जाने के कारण एतद्द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी को पुनः सौंपता है। दिनांक 19

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिए और उसकी ओर से

(एक गवाह जो अपना पदनाम और पता जोड़े)

(3)

19

संस्थान के रजिस्ट्रार

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा पुनः असाइनमेंट का प्रपत्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर इसके द्वारा उक्त पॉलिसी को पुनः असाइन करता है

दिनांक 19

दिनांक तक निष्पादित

... भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के रजिस्ट्रार

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की ओर से

(एक गवाह जो अपना पदनाम और पता जोड़े)

परिशिष्ट VII

माह (पैरा 35 देखें)

अभिदाता का खाता विवरण

अभिदाता का नाम खाता संख्या

विवरण

सदस्यता और निकासी की वापसी संस्थान अंशदान

कुल:

31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रारंभिक शेष

जमा ब्याज कुल निकासी अंतिम शेष

नोट: (i) अभिदाता को स्वयं को सही होने के बारे में संतुष्ट करना चाहिए विवरण की जांच करें और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे विवरण प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाएं। यदि इस अवधि के भीतर अभिदाता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने विवरण स्वीकार कर लिया है।

(ii) अभिदाता को यह बताना चाहिए कि क्या वह निधि के नियमों के अंतर्गत किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है। (iii) ऐसे मामलों में जहां अभिदाता ने अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया है क्योंकि उस समय उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने परिवार बना लिया, तो इस तथ्य की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए।

तारीख :
लेखा अधिकारी,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

(लेखा अधिकारी को लौटाया जाने वाला भाग)

और/लेकिन शेष राशि स्वीकार नहीं करता

मैं वर्ष 19 के लिए अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते के वार्षिक विवरण की प्राप्ति स्वीकार करता हूं, जो पिछले पृष्ठ पर दिए गए कारण से सही दर्शाया गया है।

शेष राशि को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, विवरण सहित
(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)
समर्थन में आवश्यक। दिनांक...
पॉलिसी प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्तियों के विवरण भरें।
184
ग्राहक के हस्ताक्षर
185

परिशिष्ट VIII

नामांकन प्रपत्र I

[पैराग्राफ 37 देखें]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

जब कर्मचारी का परिवार हो और वह उसमें से किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहता हो: मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है, नामांकित करता हूँ, तथा उसे सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ और मेरी मृत्यु पर किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है, जो मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है -

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता

कर्मचारी के साथ संबंध

आयु

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन

अमान्य हो जाएगा

उन व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिन्हें नामित व्यक्ति को दिया गया अधिकार कर्मचारी से पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने या कर्मचारी की मृत्यु के बाद लेकिन कर्मचारी की मृत्यु के बाद लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में हस्तांतरित हो जाएगा

राशि या अंश प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी

यह नामांकन पहले किए गए नामांकन का स्थान लेता है जिसे रद्द कर दिया गया है।

दिनांक 19. पर।

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह।

1।

2।

नामांकन

पदनाम

विभाग

कर्मचारी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

दिनांक

नोट: अंतिम कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि ग्रेच्युटी की पूरी राशि कवर हो जाए।

186

[पैराग्राफ 37 देखें]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

जब स्टाफ के सदस्य का परिवार हो और वह उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहता हो: मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामांकित करता हूँ, तथा उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, तथा मेरी मृत्यु पर, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो जाने के बाद मेरे समय पर अप्रदत्त रह सकती है।

नामित व्यक्ति के नाम और पते

कर्मचारी के साथ संबंध-

अग * मृत्यु पर आकस्मिकताओं

या शेयर

की राशि प्रत्येक को देय राशि, जिसके लिए नामांकन किया गया है, नामांकित व्यक्ति के कर्मचारी से पहले मर जाने अथवा नामांकित व्यक्ति के कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व मर जाने की स्थिति में अमान्य हो जाएगी। यह नामांकन मेरे द्वारा पूर्व में किए गए नामांकन का स्थान लेता है, जो निरस्त हो जाता है। नोट: स्टाफ का सदस्य हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी भी नाम को सम्मिलित होने से रोकने के लिए अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखाएं खींचेगा। दिनांक 11. हस्ताक्षर के लिए दो गवाह: 1. पदनाम द्वारा नामांकन विभाग 19 पर कर्मचारी के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर नोट: (1) चौथा कॉलम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि ग्रेच्युटी की पूरी राशि उसमें समाहित हो जाए। (2) अंतिम कॉलम में दर्शाई गई ग्रेच्युटी की राशि/हिस्सा मूल नामांकित व्यक्ति को देय पूरी राशि/हिस्सा होना चाहिए।
187

एल

फॉर्म III

[पैराग्राफ 37 देखें]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

जब कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है और वह किसी एक व्यक्ति को नामांकित करना चाहता है:

मैं, कोई परिवार नहीं होने के कारण, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ, और उसे सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ और मेरी मृत्यु पर किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है, जो मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है-

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता

कर्मचारी के साथ संबंध

आयु

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

उन व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिया गया अधिकार कर्मचारी से पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु या कर्मचारी की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति की मृत्यु लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले हो जाने की स्थिति में हस्तांतरित हो जाएगा

प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी की राशि या अंश

यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन का स्थान लेता है, जिस पर नामांकन अमान्य हो जाएगा। रद्द किया जाता है।

दिनांक इस दिन

दो गवाहों के हस्ताक्षर:

1 .

2 .

नामांकन

पदनाम

विभाग

19

कर्मचारी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

दिनांक:

[पैराग्राफ 37 देखें]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन जब कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता है:

मैं, कोई परिवार नहीं होने के कारण, नीचे वर्णित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, और उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ और मेरी मृत्यु पर, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है, मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है:

नामित व्यक्ति के नाम और पते

कर्मचारी के साथ संबंध आयु

* प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी की राशि या हिस्सा

व्यक्तियों का नाम, पता और राशि या शेयर का संबंध, यदि कोई हो, ग्रेच्युटी के लिए जिस पर प्रत्येक को देय नामांकन का अधिकार अवैध हो जाएगा, नामिती कर्मचारी से पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या

नामित व्यक्ति की कर्मचारी की मृत्यु के बाद लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति का नाम बदल जाएगा। यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन का स्थान लेता है जो रद्द हो गया है। नोट: कर्मचारी को हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित होने से रोकने के लिए अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखाएँ खींचनी चाहिए। हस्ताक्षर के लिए दो गवाह: 1. 2. नामांकन द्वारा पदनाम विभाग 19 ..... पर। कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर दिनांक 188 189

एल
1 .
2 .
3 .
4 .
* अनुसूची 'एफ'
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान योजना
आवेदन
[संविधि 18 बी देखें]
इस अनुसूची में निहित प्रावधान संविधि 18 बी के खंड (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों पर लागू होंगे। अंशदायी या गैर-अंशदायी भविष्य निधि में संचय का हस्तांतरण
यदि निधि के लाभ में भर्ती कोई कर्मचारी पहले केंद्र सरकार/राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन के किसी अंशदायी/गैर-अंशदायी भविष्य निधि का ग्राहक था, तो ऐसे अंशदायी या गैर-अंशदायी भविष्य निधि में उसके संचय की राशि, निधि में उसके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
घोषणा
निधि के लाभों के हकदार संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को परिशिष्ट I में निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि उसने इस अनुसूची को पढ़ लिया है और इसमें निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है।
परिभाषाएँ
इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(i) 'दुर्घटना' का अर्थ है -
(ii)
(क) अचानक और अपरिहार्य दुर्घटना; या (ख) सेवा के दौरान हिंसा के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न आपात स्थिति में कर्तव्य के प्रति समर्पण के कारण दुर्घटना;

'लेखा अधिकारी' का अर्थ है संस्थान का लेखा अधिकारी; (iii) 'अनुबंध' का अर्थ है अनुसूची में संलग्न अनुबंध; (iv) लेखा परीक्षा अधिकारी' का अर्थ है संस्थान का (आंतरिक) लेखा परीक्षा अधिकारी;

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.24-23175-टी.6 दिनांक 6 जनवरी, 1971 द्वारा जोड़ा गया।

(v).

'औसत परिलब्धियां' का अर्थ है सेवा के अंतिम 10 महीनों के लिए परिकलित औसत परिलब्धियां।

(vi) 'बोर्ड' का अर्थ है संस्थान का गवर्नर्स बोर्ड; (vii) 'निदेशक' का अर्थ है संस्थान का निदेशक;

(viii) 'रोग' का अर्थ है -

(क) दुर्घटना के कारण पूरी तरह और सीधे तौर पर होने वाली बीमारी; या (ख) किसी कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में ड्यूटी पर भेजे जाने के परिणामस्वरूप, जिसमें ऐसी बीमारी प्रचलित है, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में हो, ऐसे किसी रोग से पीड़ित किसी रोगी की मानवीय उद्देश्यों से स्वेच्छा से देखभाल करने के परिणामस्वरूप, संक्रमित रोग से संक्रमित किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संक्रमित रोग से संक्रमित होने के परिणामस्वरूप या उस कर्तव्य के दौरान पोस्टमार्टम परीक्षा आयोजित करने के परिणामस्वरूप

संक्रमित होने के परिणामस्वरूप संक्रमित होने के कारण ... (x)

(xi)

'कर्मचारी' का अर्थ है संस्थान का कर्मचारी

'परिवार' का अर्थ है,

(क) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियाँ और बच्चे तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे:

बशर्ते कि यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है या वह उस समुदाय के प्रथागत कानून के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है जिससे वह संबंधित है, तो वह अब से उन मामलों में अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं मानी जाएगी जिनसे ये नियम संबंधित हैं, जब तक कि अभिदाता बाद में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में सूचित न कर दे कि उसे ऐसा ही माना जाता रहेगा;

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-6/76-टी.6 दिनांक 24 नवंबर, 1976 द्वारा सम्मिलित।

19 नवंबर, 1976 से प्रभावी।

(ख) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति और बच्चे, तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएँ और बच्चे:

बशर्ते कि यदि कोई अभिदाता रजिस्ट्रार को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को अपने परिवार से बाहर करने की इच्छा व्यक्त करती है, तो पति को अब से उन मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जिनसे ये नियम संबंधित हैं, जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में ऐसी सूचना को रद्द नहीं कर देता।

नोट:
'बच्चे' का अर्थ वैध बच्चा है और इसमें गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है, जहाँ अभिदाता को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून द्वारा गोद लेने को मान्यता दी गई है।

(xii) 'प्रपत्र' का अर्थ इन प्रावधानों से संलग्न प्रपत्र है।

(xiii) 'निधि' का अर्थ संस्थान की सामान्य भविष्य निधि है।

(xiv) 'चोट' का अर्थ हिंसा, दुर्घटना या बीमारी के कारण होने वाली शारीरिक चोट है, जिसका संस्थान के परामर्श चिकित्सा अधिकारी द्वारा कम गंभीर नहीं माना गया है।

नोट: कुछ श्रेणियों की चोटों के उदाहरण परिशिष्ट V में दिए गए हैं। (xv) 'संस्थान' का तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से है। (xvi) 'छुट्टी' का तात्पर्य संस्थान द्वारा संविधि 19 के अंतर्गत अनुसूची डी में निर्धारित किसी भी प्रकार की छुट्टी से है। (xvii) 'वेतन' का तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा मासिक आधार पर वेतन के रूप में ली जाने वाली राशि से है, जिसमें जहां संभव हो, महंगाई वेतन भी शामिल है, जो उसके द्वारा मूल रूप से या किसी स्थानापन्न क्षमता में धारित पद के लिए स्वीकृत किया गया है और इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो, शामिल है। (xviii) 'व्यक्तिगत वेतन' का तात्पर्य किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला अतिरिक्त वेतन है - (क) वेतन में संशोधन या अनुशासनात्मक उपायों के अलावा किसी अन्य रूप में ऐसे मूल वेतन में किसी कटौती के कारण स्थायी पद के संबंध में मूल वेतन की हानि से बचाने के लिए; या (ख) अन्य व्यक्तिगत विचार के आधार पर असाधारण परिस्थितियों में। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-6/78-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित। 31 दिसंबर, 1972 से प्रभावी

"(xix)" अर्हक सेवा" का अर्थ है, संस्थान के अधीन या राज्यों/केन्द्र सरकार के अधीन या किसी स्वायत्त संगठन के अधीन या राज्यों/केन्द्र सरकार के निगमित निकाय के अधीन परिवीक्षा, सतत/अस्थायी या स्थानापन्न सेवा में बिताई गई अवधि सहित मूल क्षमता में कर्मचारी के रूप में की गई सेवा, जिसके बाद उसी या अन्य पद पर बिना किसी रुकावट के स्थायीकरण किया जाता है, "कार्य प्रभारित" प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि और "आकस्मिक व्यय" से भुगतान की गई सेवा की अवधि को छोड़कर, पूर्ण रूप से अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।
स्पष्टीकरण-I
भत्तों सहित छुट्टी की सभी अवधि अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी। नोट: इस खंड में कुछ भी विशेष प्रकार की छुट्टी या पेंशन के लेखांकन से संबंधित अन्य अवधियों को प्रभावित नहीं करेगा।
(a) किसी कर्मचारी द्वारा ली गई विशेष विकलांगता छुट्टी या अध्ययन छुट्टी की कोई अवधि अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी। (ख) जहां किसी कर्मचारी द्वारा अकेले या पूर्ण वेतन पर छुट्टी के किसी अन्य रूप (विशेष विकलांगता छुट्टी को छोड़कर) के साथ लिया गया मातृत्व अवकाश 120 दिनों से अधिक है, तो छुट्टी की पूरी अवधि के केवल पहले 120 दिन ही अर्हक सेवा के रूप में गिने जाएंगे। (ग) प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति

या किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर बिताया गया समय, जिसमें प्रतिनियुक्ति के देश से आने-जाने की अवधि भी शामिल है, अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा; बशर्ते कि यदि कर्मचारी ने प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान भत्ते के बिना किसी असाधारण छुट्टी का लाभ उठाया है, तो ऐसी असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़ दिया जाएगा। स्पष्टीकरण - II किसी कर्मचारी की सेवा में निम्नलिखित अवधियों को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा: (i) (ii) (iii) उसके आचरण की जांच लंबित रहने तक निलंबन के तहत बिताया गया समय, यदि निलंबन के तुरंत बाद उसे बहाल नहीं किया जाता है। छुट्टी वेतन और भत्ते के बिना असाधारण छुट्टी; अधिकृत अनुपस्थिति की छुट्टी के क्रम में अनधिकृत अनुपस्थिति। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/82-टी.6 दिनांक 31 जनवरी, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित। 28 जनवरी, 1984 से प्रभावी। 193

एल
(xx)
(xxi)
(xxii)
स्पष्टीकरण-III
बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कुछ संवर्गों के मामले में अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली सेवा में पांच वर्ष से अधिक अवधि की वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा सकती है:-
(क) पद के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ योग्यता या अनुभव की आवश्यकता होनी चाहिए;
(ख) पद ऐसा हो जिसके लिए सामान्यतः 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है; और
(ग) यह रियायत तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि सरकारी सेवा छोड़ने के समय किसी अधिकारी की वास्तविक अर्हता सेवा 10 वर्ष से कम न हो।
'रजिस्ट्रार' का अर्थ संस्थान का रजिस्ट्रार है; 'पद का जोखिम' से तात्पर्य किसी दुर्घटना या बीमारी के जोखिम से है, जो विशेष जोखिम नहीं है, जिससे कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के दौरान और उसके परिणामस्वरूप सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी ऐसी चीज को पद का जोखिम नहीं माना जाएगा जो भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम है, जब तक कि ऐसा जोखिम निश्चित रूप से सेवा की प्रकृति, शर्तों, दायित्वों या घटनाओं द्वारा प्रकार या डिग्री में बढ़ न जाए। नोट: 'पद का जोखिम' शब्द में मृत्यु या चोट का जोखिम शामिल है, जो किसी कर्मचारी को तब होता है जब वह किसी कार्य दिवस पर उपस्थित होता है, या उसे किसी छुट्टी के दिन, इलाके में किसी दंगे या नागरिक उपद्रव के दौरान अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए अपने रोजगार के स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है और अपने निवास से अपने रोजगार के स्थान पर जाते समय या इसके विपरीत, किसी ऐसे दंगे या नागरिक उपद्रव का शिकार हो जाता है। 'विशेष वेतन' से तात्पर्य किसी पद या कर्मचारी के पारिश्रमिक में वेतन की प्रकृति में वृद्धि से है, जो उसके कर्तव्यों की विशेष रूप से कठिन प्रकृति या उसके काम या जिम्मेदारी में किसी विशिष्ट वृद्धि के विचार में प्रदान किया जाता है। (xxiii) 'विशेष जोखिम' का अर्थ है-

(i) हिंसा द्वारा चोट लगने का जोखिम;

(ii) दुर्घटना द्वारा चोट लगने का जोखिम, जिसका सामना कोई कर्मचारी किसी विशेष कर्तव्य के निष्पादन के दौरान और उसके परिणामस्वरूप करता है, जिसका प्रभाव उसके कार्यालय के सामान्य जोखिम से परे ऐसी चोट के लिए उसकी देयता को भौतिक रूप से बढ़ाने का होता है;

(iii) रोग के संक्रमण का जोखिम, जिसका सामना कोई चिकित्सा अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान यौन या सेप्टीसीमिया रोगी की देखभाल करने या उस कर्तव्य के अनुसरण में पोस्टमार्टम परीक्षा करने के परिणामस्वरूप करता है।

(xxiv) 'हिंसा' का अर्थ है किसी व्यक्ति का कार्य जो किसी

(XXV)
कर्मचारी को चोट पहुँचाता है;

(i) उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उस पर हमला करके या उसका विरोध करके, या उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने या रोकने के लिए; या (ii) किसी ऐसे कर्मचारी या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में किए गए या किए जाने के प्रयास के कारण; या
(iii) अपने आधिकारिक पद के कारण।

'वर्ष' का अर्थ वित्तीय वर्ष है।

5. नामांकन

सामान्य भविष्य निधि

(1) कोई अभिदाता निधि में शामिल होने के समय रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन भेजेगा, जो एक या अधिक व्यक्तियों को निधि में उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा, उसकी मृत्यु की स्थिति में, उस राशि के देय होने से पहले या देय होने के बाद भुगतान नहीं किया गया है। बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार है, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा। (2) (3) यह भी प्रावधान है कि यदि अभिदाता किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में नामांकन करता है, जिसमें वह निधि में शामिल होने से पहले अभिदान कर रहा था, तो यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाते में जमा राशि निधि में उसके खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, तो इस नियम के अनुसार नामांकन करने तक उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिवत् नामांकन माना जाएगा। यदि कोई अभिदाता उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को देय राशि या अंश को इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि वह किसी भी समय निधि में उसके खाते में जमा पूरी राशि को कवर कर सके। प्रत्येक नामांकन ऐसे प्रपत्रों में से किसी एक में होगा जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो। 195

एल
(4) (i)
(ii)
कोई भी अभिदाता किसी भी समय रजिस्ट्रार को लिखित में नोटिस भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है। अभिदाता, ऐसे नोटिस के साथ या अलग से, इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।

अभिदाता नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है:

(क) किसी निर्दिष्ट नामिती के संबंध में, कि अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उस नामिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरित हो जाएगा, जिन्हें नामांकन में निर्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्ति, यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो ऐसे अन्य सदस्य या सदस्य होंगे। जहां अभिदाता खंड के तहत एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, वह प्रत्येक को देय हिस्से की राशि को इस तरह से निर्दिष्ट करेगा कि वह नामिती को देय पूरी राशि को कवर करे;

(ख) कि इसमें निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा; बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार नहीं है, तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि यदि बाद में उसके परिवार का अधिग्रहण हो जाता है, तो नामांकन अवैध हो जाएगा; बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार का केवल एक ही सदस्य है, तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि उप-खंड (क) के अंतर्गत वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार उसके बाद में उसके परिवार के अन्य सदस्य या सदस्यों के अधिग्रहण की स्थिति में अवैध हो जाएगा। (5) ऐसे नामांकित व्यक्ति की मृत्यु पर, जिसके संबंध में पैरा 5 के खंड (2) के उप-खंड (क) के अंतर्गत नामांकन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके कारण पैरा 5 के खंड (2) के उप-खंड (ख) या उसके परंतुक के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, अभिदाता रजिस्ट्रार को नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना भेजेगा, साथ ही इस पैरा के प्रावधानों के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा। 196

(6) (1) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा दिया गया प्रत्येक निरस्तीकरण नोटिस, जहां तक वह वैध है, रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगा। (ii) संस्थान किसी ऐसे कार्य या भार से आबद्ध नहीं होगा, जो निष्पादित किया गया हो या बनाने का प्रयास किया गया हो, तथा जो किसी ऐसे अभिदाता के खाते में जमा राशि के निपटान को प्रभावित करता हो, जिसकी मृत्यु राशि देय होने से पहले हो जाती है।

6. अभिदाता का खाता: प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा, जिसमें अभिदाता का अंशदान तथा ब्याज इन उपबंधों के अनुसार जमा किया जाएगा।

7. अंशदान की शर्तें तथा दरें (1) प्रत्येक अभिदाता संस्थान की सेवा में ड्यूटी पर रहते हुए या विदेश सेवा में रहते हुए निधि में मासिक अंशदान करेगा; बशर्ते कि कोई अभिदाता उस अवधि के दौरान अंशदान नहीं करेगा जब वह निलम्बित है तथा वह अपने विकल्प पर औसत वेतन पर अवकाश अथवा तीस दिन से कम अवधि के अर्जित अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश अवधि के दौरान अंशदान नहीं कर सकता है। आगे यह भी प्रावधान है कि निलम्बित अवधि बीत जाने के पश्चात पुनः बहाल होने पर अभिदाता को एकमुश्त अथवा किश्तों में उस अवधि के लिए देय अंशदान की बकाया राशि से अधिक राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। (2) अभिदाता अवकाश पर जाने से पूर्व रजिस्ट्रार को लिखित पत्र द्वारा अवकाश के दौरान अंशदान न करने के अपने चुनाव की सूचना देगा। उचित और समय पर सूचना न देने पर अंशदान करने का चुनाव माना जाएगा। इस उप-पैरा के अन्तर्गत सूचित अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा। 8. अंशदान की दरें (1) अभिदाता द्वारा स्वयं अंशदान की दर निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित की जाएगी; (i) अंशदान की दर उसके वेतन के 6% से कम नहीं होगी तथा उसके कुल वेतन से अधिक नहीं होगी, इस प्रकार गणना की गई राशि निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी, बशर्ते कि न्यूनतम/अधिकतम दरों पर अंशदान के मामले में पूर्णांकित राशि क्रमशः अगले उच्चतर या अगले निम्नतर रुपए में होगी। 197

(9) इन प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि निदेशक को यह विश्वास हो कि उप-पैरा (2) के अंतर्गत निधि से अग्रिम के रूप में निकाली गई धनराशि का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए धनराशि निकालने की मंजूरी दी गई थी, तो प्रश्नगत राशि उप-पैरा (8) के अंतर्गत निर्धारित दर से 3% अधिक दर पर दंडात्मक ब्याज के साथ अभिदाता द्वारा निधि में वापस कर दी जाएगी, या चूक होने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा। यदि वापस की जाने वाली कुल राशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है, तो वसूली उसके परिलब्धियों के आधे हिस्से की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि पूरी वसूली योग्य राशि वापस नहीं कर दी जाती। नोट: इस पैराग्राफ में प्रयुक्त 'परिलब्धियां' शब्द में किसी कर्मचारी के कथित कदाचार की जांच लंबित रहने तक उसके निलंबन के मामले में दिया गया निर्वाह भत्ता, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

11. निधि से निकासी

निदेशक द्वारा निधि से की गई निकासी के मामले में, नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अध्यक्ष द्वारा तथा किसी अन्य मामले में निदेशक द्वारा किसी भी समय मंजूरी दी जा सकती है;

(ए) किसी अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा (यदि कोई हो तो सेवा की खंडित अवधि सहित) पूरी होने के पश्चात या उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में अभिदाता के खाते में जमा अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज में से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:

(i) उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, अभिदाता या अभिदाता के किसी बच्चे की यात्रा व्यय शामिल है, अर्थात्:

(ए) हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के लिए; तथा

(बी) हाई स्कूल स्तर से आगे भारत में किसी भी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए; शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-3/80-टी.6 दिनांक 24 मार्च, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 मार्च, 1982 से प्रभावी।

(ii) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों तथा उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी की सगाई/विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए; (iii) बीमारी के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए, जिसमें, जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति का यात्रा व्यय भी शामिल है;

(बी) अभिदाता की पंद्रह वर्ष की सेवा (यदि कोई हो तो सेवा की खंडित अवधि सहित) पूरी होने के पश्चात या उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(i) अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट का निर्माण या अधिग्रहण करने के लिए, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है; (ii) अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के निर्माण या अधिग्रहण के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए;

(iii) अपने निवास के लिए मकान बनाने के लिए भूमि का एक भूखंड खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए;

(iv) अभिदाता के स्वामित्व में या उसके द्वारा पहले से अधिग्रहित मकान या तैयार फ्लैट का पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए;

(v) कर्तव्य के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पैतृक मकान के जीर्णोद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन करने या रख-रखाव के लिए या कर्तव्य के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सरकार से ऋण की सहायता से निर्मित मकान के लिए;

(vi) खंड (ग) के अंतर्गत खरीदी गई भूमि के भूखंड पर मकान बनाने के लिए।

(ग) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने पहले, कृषि भूमि या व्यावसायिक परिसर या दोनों के अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए निधि में उसके खाते में जमा राशि में से।

(1) किसी अभिदाता द्वारा उप-अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निधि में जमा राशि में से किसी एक समय में निकाली गई कोई राशि सामान्यतः ऐसी राशि के आधे से अधिक या अभिदाता के बारह महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो। तथापि, स्वीकृति प्राधिकारी 203 से अधिक राशि की निकासी को स्वीकृति दे सकता है।

एल
12.
ये सीमाएँ निधि में उसके जमा शेष के तीन-चौथाई तक होंगी, जिसमें उस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाएगा जिसके लिए निकासी की जा रही है, अभिदाता की स्थिति और निधि में उसके जमा की गई राशि।
(2) कोई अभिदाता, जिसे उप-पैरा (1) के अधीन निधि से धन निकालने की अनुमति दी गई है, वह स्वीकृति प्राधिकारी को उसके द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर यह संतुष्टि देगा कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसे निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार निकाली गई पूरी राशि या उसमें से उतनी राशि, जिसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए उसे निकाला गया था, तुरन्त एकमुश्त राशि में उस पर ब्याज सहित ऐसी दर से चुकाया जाएगा, जैसा कि निधि से अग्रिम राशि पर लगाया जाता है और ऐसे भुगतान में चूक होने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि वह राशि उसके वेतन से या तो एकमुश्त राशि में या बोर्ड द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल की जाए। निधि में संचित राशि की अंतिम निकासी
जब कोई अभिदाता संस्थान की सेवा छोड़ता है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि उसे देय हो जाएगी: बशर्ते कि कोई अभिदाता जिसे संस्थान की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो और बाद में उसे सेवा में बहाल कर दिया गया हो, यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो उसे इस उप-पैराग्राफ के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई किसी भी राशि को इन प्रावधानों में निर्धारित दर पर ब्याज सहित वापस करना होगा। इस प्रकार वापस की गई राशि निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी।
स्पष्टीकरण: जिस अभिदाता को छुट्टी देने से मना कर दिया जाता है, उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से या सेवा के विस्तार की समाप्ति पर सेवा छोड़ देने वाला माना जाएगा।
13.
अभिदाता की सेवानिवृत्ति
जब कोई अभिदाता (क) सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर चला जाता है या यदि वह छुट्टी के साथ संयुक्त रूप से तैयारी के लिए छुट्टी का हकदार है, या (ख) छुट्टी पर रहते हुए, उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी गई है या संस्थान के परामर्श चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि उसके द्वारा रजिस्ट्रार को उस संबंध में आवेदन किए जाने पर, अभिदाता को देय हो जाएगी।
204
14.
बशर्ते कि यदि अभिदाता ड्यूटी पर वापस लौटता है, तो उसे, यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई किसी भी राशि का पूरा या आंशिक हिस्सा, निर्धारित दर पर ब्याज सहित, किश्तों में या अन्यथा अपने वेतन से वसूली करके या अन्यथा, जैसा कि निदेशक निर्देश दे, अपने खाते में जमा करने के लिए निधि में वापस करना होगा। अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया
अभिदाता की मृत्यु पर, उसके खाते में जमा राशि देय होने से पहले या जहां राशि भुगतान किए जाने से पहले देय हो गई हो, वहां:
(1) जब कोई अभिदाता परिवार छोड़ता है:
(क) यदि अभिदाता द्वारा अनुच्छेद 5 के उप अनुच्छेद (1) या उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में अब तक लागू संगत प्रावधान के अनुसार किया गया नामांकन विद्यमान है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या उसका वह भाग जिससे नामांकन संबंधित है, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय हो जाएगा; (ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में ऐसा कोई नामांकन विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित है, तो पूरी राशि या उसका वह भाग, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, जैसा भी मामला हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने का दावा करने वाले किसी भी

नामांकन के बावजूद, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय हो जाएगा: बशर्ते कि कोई भी हिस्सा निम्नलिखित को देय नहीं होगा - (i) वयस्क हो चुके पुत्र: (ii) वयस्क हो चुके मृत पुत्र के पुत्र; (iii) विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं; (iv) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं; यदि परिवार में खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि विधवा या विधवाओं और मृतक पुत्र के बच्चे या बच्चों को आपस में बराबर हिस्सा केवल वही मिलेगा जो उस पुत्र को मिलता अगर वह अंशदाता का उत्तराधिकारी होता और उसे पहले परंतुक के खंड (i) के प्रावधान से छूट दी गई होती।

एल
15.
(2) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है:
यदि उसके द्वारा अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद (1) या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में अब तक लागू संगत प्रावधान के अनुसार किया गया नामांकन विद्यमान है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या उसका वह भाग जिससे नामांकन संबंधित है, नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में उसके नामांकित व्यक्तियों को देय हो जाएगी।
खातों का विवरण
(1) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात यथाशीघ्र, लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके खाते का विवरण भेजेगा, जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आरंभिक शेष राशि, वर्ष के दौरान जमा और नामे कुल राशि, वर्ष की 31 मार्च को जमा ब्याज की कुल राशि और उस तिथि को समापन शेष राशि दर्शाई जाएगी। लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह जांच संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता:
(क) अभिदाता द्वारा किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है;
(ख) उसने परिवार अर्जित कर लिया है (ऐसे मामलों में जहां अभिदाता ने नियमों के तहत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया है)।
(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए, तथा विवरण की प्राप्ति की तिथि से छह महीने के भीतर त्रुटियों को लेखा अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
(3) यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षित हो तो रजिस्ट्रार अभिदाता को एक बार, परंतु वर्ष में एक बार से अधिक नहीं, उस अंतिम माह के अंत में निधि में उसके खाते में जमा कुल राशि की जानकारी देगा, जिसके लिए उसका खाता लिखा गया है।
16. निधि का निवेश
नियमों के तहत निधि में भुगतान की गई सभी राशियां संस्थान की पुस्तकों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 'सामान्य भविष्य निधि खाता' नामक खाते में जमा की जाएंगी। भारतीय स्टेट बैंक में एक जमा खाता खोला जाएगा, जिसका संचालन बोर्ड द्वारा निर्देशित तरीके से किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एच 1101 1/7/77-टी.6 दिनांक 20 जुलाई, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 25 जून, 1979 से प्रभावी। 206 निर्देश। संस्थान निधि का ऐसा भाग, जिसे समीचीन समझा जाए, सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों/परक्राम्य सरकारी गारंटी बांडों में तथा केंद्र सरकार की ऐसी जमा योजनाओं में निवेश कर सकता है, जिन्हें इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है, ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज या लाभ विविध प्राप्तियों के रूप में संस्थान को जमा किया जाएगा। सभी निवेश और प्रतिभूतियाँ संस्थान के नाम पर रखी जाएँगी। पेंशन 17. सेवानिवृत्ति, अशक्तता और प्रतिपूर्ति पेंशन 18। (1)
(2)
(3)
(4)
अधिवर्षिता, अशक्तता और प्रतिकर पेंशन की राशि परिशिष्ट II में दी गई समुचित राशि होगी। कोई कर्मचारी 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किन्तु 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त हो सकता है, बशर्ते कि वह इस संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी को उस तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व लिखित में सूचना दे, जिस तिथि को वह सेवानिवृत्त होना चाहता है।
संस्थान किसी कर्मचारी को 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात्, यहां तक कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व भी किसी भी समय सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है, बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी इस संबंध में कर्मचारी को उस तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व लिखित में सूचना दे, जिस तिथि को उसे सेवानिवृत्त होना अपेक्षित था।

कोई कर्मचारी जो उप-पैरा (3) में दर्शाई गई रीति से सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होता है, उसे औसत परिलब्धियों के 33/80वें भाग से अनधिक सेवानिवृत्ति पेंशन दी जा सकेगी, जो अधिकतम 12000/- रुपए प्रति वर्ष होगी। स्पष्टीकरण: अर्हकारी सेवा इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए किसी भी कर्मचारी द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की गई सेवा को पेंशन में नहीं गिना जाएगा। (1) प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन के लिए पात्र होने के लिए सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम दस वर्ष की अर्हकारी सेवा करनी होगी, बशर्ते कि खंड (2) में निर्धारित पेंशन की श्रेणियों पर लागू होने वाले प्रावधान हों। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा संशोधित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी। 207

एल

(2) न्यूनतम अर्हक सेवा के अधीन, कोई कर्मचारी निम्नलिखित में से किसी एक पेंशन के लिए पात्र होगा:

-

(क) प्रतिकर पेंशन यदि कोई कर्मचारी स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवामुक्त होता है, तो उसे पैरा 19 में निर्धारित वेतनमान पर प्रतिकर पेंशन प्रदान की जाएगी।

-

(ख) अमान्य पेंशन स्थायी शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त होने पर किसी कर्मचारी को अमान्य पेंशन प्रदान की जाएगी, जो उसे आगे सेवा के लिए अक्षम बनाती है, यदि संस्थान के परामर्श चिकित्सा अधिकारी द्वारा पैरा 19 में निर्धारित वेतनमान पर प्रमाणित किया जाता है।

-

(ग) अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पेंशन पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर या अर्हक सेवा के 30 वर्ष पूरे होने पर, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त हो सकता है, बशर्ते कि 30 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित कर्मचारी इस संबंध में निदेशक को कम से कम 3 महीने पहले लिखित में नोटिस देगा। पेंशन का पैमाना

(1) अनुच्छेद 17 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के तहत पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए पात्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण की गई छह महीने की अवधि के लिए औसत परिलब्धियों का 1/2/80वां हिस्सा दिया जाएगा, जो परिशिष्ट II में निर्धारित अधिकतम पेंशन के अधीन होगा और कुल पेंशन भी औसत परिलब्धियों के 33/80वें हिस्से से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसा कर्मचारी ऐसे महंगाई भत्ते का भी हकदार होगा, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जा सकता है। (2) (क) उन कर्मचारियों के संबंध में जो 31 मार्च, 1979 को सेवा में थे और उस तिथि को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पेंशन की राशि की गणना निम्नलिखित स्लैब के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/78-टी.6 दिनांक 18 जुलाई, 1978 द्वारा संशोधित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11.3/80-टी.6 दिनांक 24 मार्च, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित। 31 मार्च, 1979 से प्रभावी।

(i) औसत परिलब्धियों के पहले 1,000 रुपये तक पेंशन। गणनीय

(ii)

अगली परिलब्धियाँ पेंशन

500/-

के लिए गणनीय

औसत

(iii)

पेंशन के लिए गणनीय औसत परिलब्धियों का शेष

औसत परिलब्धियों का 50%

औसत परिलब्धियों का 45%

औसत परिलब्धियों का 40%

(ख) उपर्युक्त स्लैब के आधार पर प्राप्त पेंशन की राशि 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा से संबंधित होगी। जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या उससे अधिक लेकिन 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की है, उनके लिए पेंशन की राशि अधिकतम स्वीकार्य पेंशन का ऐसा अनुपात होगी जो उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा से संबंधित हो।

(ग) उपर्युक्त स्लैब के अनुसार निर्धारित पेंशन और रुपये की दर से पेंशन पर अधिकतम राहत। 1 दिसम्बर, 1978 को किसी कर्मचारी को स्वीकार्य 100/- रुपये प्रतिमाह की कुल अधिकतम सीमा 1500/- रुपये प्रतिमाह होगी,

यदि पेंशन स्वयं 1500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक है तो 33 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए अधिकतम पेंशन 1500/- रुपये प्रतिमाह तक सीमित होगी तथा राहत सूचकांक स्तर 328 तक देय होगी।

(घ) जहां महंगाई वेतन को ध्यान में रखते हुए या महंगाई वेतन को छोड़कर, लेकिन तदर्थ वृद्धि को शामिल करते हुए गणना की गई पेंशन की राशि चालीस रुपये प्रतिमाह से कम है, वहां अंतर की भरपाई पेंशन में और वृद्धि करके की जाएगी। 20. पेंशन का संराशीकरण

पेंशन।

(1) किसी कर्मचारी को, नीचे निर्दिष्ट शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी पेंशन के किसी भाग या भागों को एकमुश्त भुगतान के लिए संराशीकृत करने की अनुमति होगी, जो उसे दी गई पेंशन के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(2) कोई भी राशि-राशि-परिवर्तन तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि संस्थान का परामर्शी चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि पेंशनभोगी का स्वास्थ्य और जीवन अवधि की संभावनाएं ऐसी हैं कि राशि-परिवर्तन को उचित ठहराया जा सके।

208

209

+
t
बशर्ते कि कोई कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, उसे चिकित्सा परीक्षण से नहीं गुजरना पड़ेगा।
इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात किया जाएगा और संराशीकरण पूर्ण हो जाएगा, अर्थात सेवानिवृत्त कर्मचारी उस तिथि को संराशीकृत मूल्य प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे, जिस तिथि को कार्यालय प्रमुख द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है।
(3) संराशीकरण पर देय एकमुश्त राशि की गणना परिशिष्ट III में संलग्न तालिका के अनुसार की जाएगी।
(4) संराशीकरण स्वीकृत होने पर आदेश में निर्दिष्ट तिथि को प्रभावी होगा और ऐसा कोई भी संराशीकरण आदेश की तिथि से एक महीने की पहली तारीख और सामान्यतः लगभग एक महीने बाद होगा और सभी गणनाएं निर्दिष्ट तिथि के संदर्भ में की जाएंगी।
21. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
(1) कोई कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट राशि से अनधिक अतिरिक्त ग्रेच्युटी दी जा सकेगी, तथा वह पैरा 19 के अंतर्गत ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए पात्र होगा।
(2) यदि कोई कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, सेवा के दौरान मर जाता है, तो उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट राशि से अनधिक ग्रेच्युटी उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जा सकेगी, जिन्हें पैरा 22 के अंतर्गत ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसे नीचे दर्शाए गए तरीके से दिया जा सकेगा:-
(i) यदि पैरा 22 के उप-पैरा (1) के खंड (क) के मद (i), (ii), (iii) और (iv) के अनुसार परिवार के एक या अधिक जीवित सदस्य हैं, तो इसे ऐसे सभी सदस्यों को दिया जा सकेगा, सिवाय ऐसे किसी सदस्य को छोड़कर, जो विधवा है। पुत्री को, बराबर हिस्सों में:
(ii) यदि परिवार में (i) के अनुसार कोई जीवित सदस्य नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 22 के उप-अनुच्छेद (i) के खंड (क) के मद (v) और (vi) और (vii) के अनुसार एक या अधिक जीवित विधवा पुत्रियां और/या परिवार के अधिक जीवित सदस्य हैं, तो ऐसे सभी सदस्यों को समान हिस्सों में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है; शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-5/76-टी.6 दिनांक 23 फरवरी, 1979 द्वारा संशोधित। 26 दिसंबर, 1977 से प्रभावी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा संशोधित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी। 210 * (3) ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण की गई छह महीने की अवधि के लिए उसके पारिश्रमिक का एक-चौथाई होगी, जो 'पर्िलभताओं' के अधिकतम 16 ½ गुना के अधीन होगी। सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, ग्रेच्युटी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके 'पर्िलभताओं' के न्यूनतम 12 गुना के अधीन होगी। बशर्ते कि किसी भी स्थिति में यह 30000 रुपये से अधिक नहीं होगी। (4) यदि कोई कर्मचारी जो पैरा 17 के अन्तर्गत पेंशन या पैरा 21 के अन्तर्गत ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो गया है, सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मर जाता है, और ऐसी ग्रेच्युटी या पेंशन के कारण उसकी मृत्यु के समय उसे वास्तव में प्राप्त राशियाँ, उप-पैरा (1) के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रेच्युटी तथा उसके द्वारा संराशित पेंशन के किसी भाग का संराशित मूल्य, उसकी 'परिलब्धियों' के 12 गुने के बराबर राशि से कम है, तो उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को कमी के बराबर ग्रेच्युटी दी जा सकेगी।

(5) इस पैरा के प्रयोजन के लिए 'परिलब्धियाँ' अधिकतम 2500/- रूपये प्रतिमास होगी।

22. नामांकन

(1) इस पैरा के प्रयोजन के लिए-

(क) 'परिवार' में कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित हैं:-

(i) पुरुष कर्मचारी की स्थिति में पत्नी; (ii) महिला कर्मचारी के मामले में पति;

(iii) पुत्र;

(iv) अविवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ;

(v) 13 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित या विधवा बहनें;

(vi) पिता और माता;

नोट: (iii) और (iv) में सौतेले और दत्तक बच्चे शामिल होंगे। (b) 'व्यक्ति' में कोई कंपनी या व्यक्तियों के निकाय का संघ शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या F.11-6/76-T.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा संशोधित।
1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।

(2) कोई कर्मचारी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पैरा 21 के उप-पैरा (2) और (4) के अधीन स्वीकृत किसी उपदान को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के पश्चात् नामांकन करेगा तथा वह उपदान जो उस पैरा के उप-पैरा (1) और उप-पैरा 5 के अधीन उसे अनुमन्य हो गया है, उसे मृत्यु से पूर्व भुगतान नहीं किया गया है। बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार है तो नामांकन उप-पैरा 1 के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाएगा। (3) यदि कोई कर्मचारी उप-पैरा (2) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो वह प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को देय राशि या अंश का नामांकन इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि वह उपदान की पूरी राशि को कवर कर सके। (4) कोई कर्मचारी नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है:-
(क) किसी निर्दिष्ट नामिती के संबंध में, कि कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस नामिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएंगे, जैसा कि नामांकन में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय कर्मचारी के पास एक से अधिक सदस्यों वाला परिवार हो, तो इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा; (ख) कि नामांकन उसमें निर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा।

(5) किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन, जिसका नामांकन करते समय कोई परिवार नहीं है, या किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा खंड (क) या उप-पैरा (4) के अधीन नामांकन में किया गया प्रावधान, जिसके परिवार में नामांकन करने की तिथि पर केवल एक सदस्य है, कर्मचारी द्वारा बाद में परिवार या परिवार में अतिरिक्त सदस्य प्राप्त करने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(6) (क) प्रत्येक नामांकन ऐसे किसी एक प्रारूप में होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो।
(ख) कोई भी कर्मचारी किसी भी समय समुचित प्राधिकारी को लिखित में सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है;
बशर्ते कि ऐसा कोई भी कर्मचारी ऐसी सूचना के साथ इस पैरा के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।
212
(7) किसी ऐसे नामिती की मृत्यु पर जिसके संबंध में उप-पैरा (4) के खंड (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण उस उप-पैरा के खंड (ख) या उप-पैरा (5) के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, कर्मचारी समुचित प्राधिकारी को औपचारिक रूप से नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना भेजेगा, साथ ही इस पैरा के अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा।
(8) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा दिया गया प्रत्येक निरस्तीकरण नोटिस कर्मचारी द्वारा अपने लेखा अधिकारी को भेजा जाएगा तथा कर्मचारी से नामांकन प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा तथा प्राप्ति की तारीख बताएगा तथा उसे अपने पास रखेगा।

(9) किसी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा दिया गया प्रत्येक निरस्तीकरण नोटिस, जहां तक वह वैध है, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह उप-अनुच्छेद (8) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

23. अस्थायी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (1) अंतिम ग्रेच्युटी

(2)

कोई अस्थायी कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता है या छंटनी के कारण सेवामुक्त होता है या आगे की सेवा के लिए अमान्य घोषित किया जाता है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के एक-तिहाई की दर से ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसने सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति या अमान्यता के समय कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। मृत्यु उपदान - सेवा के दौरान मरने वाले अस्थायी कर्मचारी का परिवार नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा निम्नांकित स्केल पर मृत्यु उपदान के लिए पात्र होगा: (क) एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात किन्तु तीन वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व मृत्यु होने पर एक माह के वेतन के बराबर उपदान। (ख) तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात किन्तु पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व मृत्यु होने पर दो माह के वेतन के बराबर उपदान। (ग) पांच वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के पश्चात मृत्यु होने पर तीन माह के वेतन के बराबर उपदान अथवा उप-पैरा (1) में उल्लिखित टर्मिनल उपदान की राशि, जो भी अधिक हो। नोट: उप-पैरा (1) अथवा उप-पैरा (2) के अंतर्गत टर्मिनल अथवा मृत्यु उपदान की राशि निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ भुगतान।

+
24.

केवल मूल वेतन तथा सेवा छोड़ने अथवा मृत्यु के समय, जैसा भी मामला हो, विद्यमान वेतनमान रखने वालों के मामले में महंगाई वेतन का भी अर्थ होगा। इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन तथा वेतन के रूप में अन्य परिलब्धियां शामिल नहीं होंगी। यदि संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति, अशक्तता अथवा मृत्यु से ठीक पहले भत्ते सहित अथवा बिना भत्ते के अवकाश पर था, तो इस प्रयोजन के लिए वेतन ऐसा होगा जो वह ऐसे अवकाश पर न जाने की स्थिति में प्राप्त करता।

पारिवारिक पेंशन (1) (क) सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य होगी, यदि मृत्यु के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रतिकर, अशक्तता, सेवानिवृत्ति अथवा अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त कर रहा था।

बशर्ते कि सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी ने न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो।

(ख) पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित दरों पर देय होगी, अर्थात्: - विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेंशन
कर्मचारी का वेतन
400/- रुपये से कम
400/- रुपये और उससे अधिक लेकिन 1200/- रुपये से कम
1200/- रुपये और उससे अधिक
(2). (i) लेकिन -
वेतन का 30%, न्यूनतम 60/- रुपये और अधिकतम 100/- रुपये प्रतिमाह के अधीन।
वेतन का 15%, न्यूनतम 100/- रुपये और अधिकतम 160/- रुपये प्रतिमाह के अधीन। वेतन का 12%, न्यूनतम 160/- रुपये और अधिकतम 250/- रुपये प्रतिमाह के अधीन।
(क) ऐसे कर्मचारी की स्थिति में, जो न्यूनतम सात वर्ष की सेवा करने के पश्चात मर जाता है, परिवार पेंशन, अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर अथवा उपर्युक्त दरों पर साधारण परिवार पेंशन के दोगुने के बराबर, जो भी कम हो, न्यूनतम सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा यदि वह जीवित रहता तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, भुगतान की जाएगी;
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा संशोधित। जनवरी, 1973 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/76-टी.6 दिनांक 16 जुलाई, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।
25 .
26 .
(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु की स्थिति में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन की राशि सामान्य अधिवर्षिता पेंशन (असंशोधित मूल्य) से अधिक नहीं होगी, जिसका संस्थान कर्मचारी अधिवर्षिता पर हकदार होगा; (ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं को दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय उक्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य थे। (ii) उसके पश्चात देय पेंशन उपरोक्त सारणी में निर्धारित दर पर होगी; (iii) यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व सात वर्ष से कम निरन्तर सेवा की हो तो खण्ड (i) के अन्तर्गत उल्लिखित दर पर पेंशन लागू नहीं होगी। इस योजना के प्रयोजन के लिए 'परिवार' में निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे; (क) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी; (ख) महिला कर्मचारी के मामले में पति; (ग) अवयस्क पुत्र; और (घ) अविवाहित अवयस्क पुत्रियाँ। नोट:
(1) (सी) और (डी) में सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल होंगे।
(2) सेवानिवृत्ति के बाद विवाह को योजना के प्रयोजन के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।
परिवार पेंशन स्वीकार्य होगी:

(ए) विधवा / विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक जो भी पहले हो;
(बी) नाबालिग बेटे के मामले में जब तक वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;
(सी) अविवाहित बेटी के मामले में जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या
नोट:
विवाह जो भी पहले हो।
(1) जहां किसी कर्मचारी के एक से अधिक विधवाएं जीवित हैं, पेंशन का भुगतान उन्हें बराबर हिस्सों में किया जाएगा। विधवा की मृत्यु पर, पेंशन का उसका हिस्सा उसके पात्र नाबालिग बच्चे को मिल जाएगा। यदि उसकी मृत्यु के समय, विधवा कोई पात्र नाबालिग बच्चा नहीं छोड़ती है, तो पेंशन के उसके हिस्से का भुगतान बंद हो जाएगा।
214
215

(2) जहां किसी कर्मचारी की विधवा जीवित है, लेकिन वह किसी अन्य पत्नी से एक पात्र नाबालिग बच्चे को छोड़ गया है, तो पात्र नाबालिग बच्चे को पेंशन का वह हिस्सा दिया जाएगा जो कर्मचारी की मृत्यु के समय मां को मिलता अगर वह जीवित होती।

(3) विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु की स्थिति में, पेंशन नाबालिग बच्चों को उनके प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से दी जाएगी।

27. हटाया गया।

28. असाधारण पेंशन और ग्रेच्युटी

(1)

(2)

(3)

बोर्ड द्वारा असाधारण पेंशन और ग्रेच्युटी तब स्वीकृत की जा सकती है जब कोई कर्मचारी चोटिल हो जाता है या चोट के परिणामस्वरूप मर जाता है

या मारा जाता है।

अवार्ड देते समय, बोर्ड स्टाफ के उस सदस्य की ओर से चूक या सहभागी लापरवाही की डिग्री को ध्यान में रख सकता है जो चोटिल हो जाता है या चोट के परिणामस्वरूप मर जाता है या मारा जाता है।

असाधारण पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के उद्देश्य के लिए, चोट को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:
क्लास ए कार्यालय के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप होने वाली चोटें, जिसके परिणामस्वरूप आंख या अंग की स्थायी हानि हुई है या अधिक गंभीर प्रकृति की हैं।
क्लास बी: कार्यालय के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप होने वाली चोटें और विकलांगता की डिग्री के संबंध में समकक्ष, जो वे किसी अंग की हानि के लिए पैदा करती हैं या बहुत गंभीर हैं; या कार्यालय के जोखिम के परिणामस्वरूप होने वाली चोटें, जिसके परिणामस्वरूप आंख या अंग की स्थायी हानि हुई है या अधिक गंभीर प्रकृति की हैं।
क्लास सी कार्यालय के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप होने वाली चोटें, जो गंभीर हैं, लेकिन बहुत गंभीर नहीं हैं, और स्थायी होने की संभावना है; या कार्यालय के जोखिम के परिणामस्वरूप होने वाली चोटें, जो विकलांगता की डिग्री के संबंध में, जो वे किसी अंग की हानि के लिए पैदा करती हैं, या जो बहुत गंभीर या गंभीर हैं और स्थायी होने की संभावना है।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.11-6/76-टी.6 दिनांक 20 जुलाई, 1979 के द्वारा हटाया गया। 22 सितम्बर, 1977 से प्रभावी।
29. (1) यदि स्टाफ के किसी सदस्य को चोट लगती है, जो वर्ग ए के अंतर्गत आती है, तो उसे प्रदान किया जाएगा:
(क) परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट लागू राशि की ग्रेच्युटी। (ख) चोट की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद की तिथि से प्रभावी।
(i) यदि चोट के कारण एक से अधिक अंग या एक आंख की स्थायी हानि हुई है, तो उच्चतर वेतनमान पेंशन के लिए परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट लागू राशि की स्थायी पेंशन;
और

(ii) अन्य मामलों में, स्थायी पेंशन जिसकी राशि उच्चतर वेतनमान पेंशन के लिए परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट लागू राशि से अधिक नहीं होगी और उस राशि के आधे से कम नहीं होगी।

(2) यदि स्टाफ के किसी सदस्य को ऐसी चोट लगती है जो वर्ग बी के अंतर्गत आती है, तो उसे निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा: (क) यदि चोट के कारण आंख या अंग की स्थायी हानि हुई है या अधिक गंभीर प्रकृति की है, तो चोट की तिथि से स्थायी पेंशन, जिसकी राशि परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट लागू राशि से अधिक नहीं होगी, निम्न वेतनमान पेंशन के लिए और उस राशि के आधे से कम नहीं होगी। (ख) अन्य मामलों में, (i) चोट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पेंशन, जिसकी राशि परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट लागू राशि से अधिक नहीं होगी, निम्न वेतनमान पेंशन के लिए और उस राशि के आधे से कम नहीं होगी, और उसके बाद; (ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट सीमा के भीतर पेंशन, यदि संस्थान का परामर्श चिकित्सा अधिकारी वर्ष दर वर्ष प्रमाणित करता है कि चोट बहुत गंभीर बनी हुई है। (3) यदि किसी कर्मचारी को कोई चोट लगती है जो वर्ग सी के अंतर्गत आती है, तो उसे परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट लागू राशि का ग्रेच्युटी प्रदान किया जाएगा, यदि संस्थान का परामर्श चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि कर्मचारी का सदस्य एक वर्ष के लिए सेवा के लिए अयोग्य होने की संभावना है, या यदि वह एक वर्ष से कम समय के लिए अयोग्य होने की संभावना प्रमाणित है तो निर्दिष्ट राशि के न्यूनतम एक-चौथाई के अधीन आनुपातिक राशि; बशर्ते कि किसी भी मामले में जहां चोट विकलांगता की डिग्री के संबंध में अंग की हानि के बराबर है, बोर्ड, यदि वह ठीक समझे, ग्रेच्युटी के बदले में उप-पैरा (2) के खंड (बी) के तहत स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं पेंशन प्रदान कर सकता है।

30. असाधारण पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के तहत प्रदान की गई अस्थायी पेंशन को स्थायी चोट पेंशन में परिवर्तित किया जा सकता है: (क) जब कर्मचारी उस चोट के कारण सेवा से बाहर हो जाता है जिसके लिए अस्थायी पेंशन प्रदान की गई थी; या (ख) जब अस्थायी पेंशन कम से कम पांच साल के लिए ली गई हो; या (ग) किसी भी समय, यदि परामर्श चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उसे यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता है कि विकलांगता की डिग्री में कभी भी कोई प्रत्यक्ष कमी आएगी। 31. कर्मचारी की विधवा और बच्चों को पुरस्कार इस प्रकार दिया जाएगा: (32) यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कार्यालय के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप प्राप्त चोट से उसकी मृत्यु हो जाती है: (i) अनुच्छेद 21 में निर्दिष्ट लागू राशि की ग्रेच्युटी; और (ii) पेंशन जिसकी राशि अनुच्छेद 24 में निर्दिष्ट लागू राशि से अधिक नहीं होगी; (ख) यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह कार्यालय के जोखिम के परिणामस्वरूप लगी चोटों से मर जाता है, तो पेंशन की राशि अनुच्छेद 24 में निर्दिष्ट लागू राशि से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि यदि मृतक कर्मचारी का वेतन 200 रुपये से कम था, तो मासिक पेंशन या इस अनुच्छेद के तहत दी जाने वाली पेंशन की राशि, अनुच्छेद 24 में निर्दिष्ट दरों (न्यूनतम सीमाओं सहित) पर ध्यान दिए बिना, उसके वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी; और यदि किसी भी मामले में अनुच्छेद 24 के तहत गणना की गई ऐसी पेंशन की राशि उसके वेतन के आधे से अधिक है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत पेंशन की राशि में आनुपातिक कटौती की जाएगी, जिससे राशि उस सीमा तक कम हो जाएगी।

यदि मृतक कर्मचारी ने न तो विधवा छोड़ी है और न ही कोई बच्चा, तो उसके पिता और उसकी माँ को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से और पिता और माँ की अनुपस्थिति में नाबालिग भाइयों और बहनों को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है, यदि वे समर्थन के लिए कर्मचारी पर काफी हद तक निर्भर थे और आर्थिक रूप से ज़रूरत में थे। बशर्ते कि पुरस्कार की कुल राशि उस पेंशन के आधे से अधिक नहीं होगी जो पूर्ववर्ती पैराग्राफ के तहत विधवा को स्वीकार्य होती: आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक नाबालिग भाई या बहन का हिस्सा पैराग्राफ 24 में निर्दिष्ट पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगा जो 'मातृहीन बच्चे' के लिए है। 33. पैराग्राफ 32 के तहत दिया गया कोई भी पुरस्कार पेंशनभोगी की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार की स्थिति में, बोर्ड द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित तरीके से समीक्षा के अधीन होगा। 34. परिवार पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से या बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य तारीख से प्रभावी होगी। 35. परिवार पेंशन सामान्यतः निम्नलिखित अवधि के लिए देय होगी- (क) विधवा या मां के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो; (ख) नाबालिग बेटे या नाबालिग भाई के मामले में, 18 वर्ष की आयु तक; (ग) अविवाहित पुत्री या नाबालिग बहन के मामले में, विवाह तक या जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती, जो भी पहले हो; (घ) पिता के मामले में, आजीवन। 36. असाधारण पेंशन और ग्रेच्युटी योजना में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, पूर्वगामी पैराग्राफ के तहत किया गया पुरस्कार किसी अन्य पेंशन या ग्रेच्युटी को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार अन्य योजनाओं के तहत पात्र हो सकता है। 37. (1) जब असाधारण पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के तहत किसी चोट पेंशन या ग्रेच्युटी या पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न होता है, तो कार्यालय या विभाग या अनुभाग का प्रभारी अधिकारी जिसमें घायल या मृतक कार्यरत था, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निदेशक के माध्यम से बोर्ड को दावा अग्रेषित करेगा: - (क) (ख) (ग) (घ) उन परिस्थितियों का पूरा विवरण जिनमें चोट लगी थी, बीमारी हुई थी या मृत्यु हुई थी; फॉर्म X में चोट पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए आवेदन, या जैसा भी मामला हो, फॉर्म XI में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन; घायल कर्मचारी या किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के मामले में, फॉर्म XII में मेडिकल रिपोर्ट; मृतक कर्मचारी के मामले में, मृत्यु के बारे में मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु की वास्तविक घटना के बारे में विश्वसनीय साक्ष्य, यदि कर्मचारी ने ऐसी परिस्थितियों में अपनी जान गंवाई है कि मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती है। (2) निदेशक बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दस्तावेजों को रखते समय लेखापरीक्षा अधिकारी की एक रिपोर्ट को इसमें जोड़ देगा कि क्या योजना के तहत कोई पुरस्कार स्वीकार्य है और यदि हां, तो कितनी राशि का।

37 ए. जमा लिंक्ड बीमा योजना

अभिदाता की मृत्यु होने पर, अभिदाता के खाते में जमा राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक पहले के 3 वर्षों के दौरान खाते में औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि-

(ए) ऐसे अभिदाता के खाते में जमा राशि मृत्यु के महीने से पहले के 3 वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्न सीमा से कम नहीं होनी चाहिए-

(i)

4000/- रुपये ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग के लिए ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान अधिकतम 1300/- रुपये या उससे अधिक है,

(ii) 2500/- रुपये ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकांश भाग के लिए ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान अधिकतम 900/- रुपये या उससे अधिक है, लेकिन उससे कम है। 1300/-

(iii) 1500/- रुपये उस अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग के लिए ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान अधिकतम 291/- रुपये या उससे अधिक किन्तु 900/- रुपये से कम है। (iv) 1000/- रुपये उस अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग के लिए ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान अधिकतम 291/- रुपये से कम है। (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त राशि 10000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है।

टिप्पणी 1:

औसत शेष राशि, मृत्यु होने वाले माह से पूर्व के 36 महीनों में से प्रत्येक के अंत में अभिदाता के खाते में जमा शेष राशि के आधार पर निकाली जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, साथ ही ऊपर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि की जांच करने के लिए-

(क) मार्च के अंत में शेष राशि में पैराग्राफ 9 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज शामिल होगा; और

(ख) यदि उपरोक्त 36 महीनों में से अंतिम महीना मार्च नहीं है, तो उक्त महीने के अंत में शेष राशि में उस वित्तीय वर्ष के आरंभ से जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अंतिम महीने के अंत तक की अवधि के संबंध में ब्याज शामिल होगा।

नोट 2:

नोट 3:

नोट 4:

इस योजना के तहत भुगतान पूरे रुपये में होना चाहिए। यदि देय राशि में एक रुपये का अंश शामिल है, तो इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाना चाहिए, (50 पैसे अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिने जाते हैं)।

इस योजना के तहत देय कोई भी राशि बीमा धन की प्रकृति की है और इसलिए, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 3 द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के तहत देय राशियों पर लागू नहीं होती है।

यह योजना निधि के उन अंशदाताओं पर भी लागू होती है, जो किसी सरकारी विभाग के ऐसे निकाय में रूपान्तरण के फलस्वरूप किसी स्वायत्त संगठन में स्थानांतरित हो जाते हैं और जो ऐसे स्थानांतरण पर, उन्हें दिए गए विकल्प के अनुसार, इन नियमों के अनुसार इस निधि में अंशदान करना चुनते हैं।

टिप्पणी 5: (क)

टिप्पणी 6:

(ख)

(ग)

संस्थान के किसी कर्मचारी के मामले में, जिसे संविधि 18ख (1) के अन्तर्गत निधि के लाभों में भर्ती किया गया है, किन्तु निधि में प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष की सेवा या, जैसा भी मामला हो, पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पिछले नियोक्ता के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसके सम्बन्ध में उसके अंशदान की राशि और नियोक्ता का अंशदान, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

कार्यकाल के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनः नियोजित पेंशनभोगियों के मामले में, ऐसी नियुक्ति या पुनः नियोजित की तिथि से की गई सेवा, जैसा भी मामला हो, इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

यह योजना संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। इस योजना के संबंध में व्यय का बजट अनुमान निधि के खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसी तरह तैयार किया जाएगा, जिस तरह अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 16-24/78-टी.6 दिनांक 1 मार्च, 1979 द्वारा सम्मिलित। 8 जनवरी, 1975 से प्रभावी। 220 221

38.
सामान्य
इस अनुसूची के अंतर्गत स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी लाभों की स्वीकृति और भुगतान ऐसे प्रक्रियात्मक अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
39. जब बोर्ड को यह विश्वास हो कि इन प्रावधानों में से किसी के संचालन से किसी कर्मचारी को अनुचित कठिनाई होती है या होने की संभावना है, तो वह इन प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे कर्मचारी के मामलों को ऐसे तरीके से निपटा सकता है, जो उसे न्यायसंगत और समतापूर्ण प्रतीत हो।
416
40. (1) बोर्ड को व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष के आधार पर, पूर्वगामी प्रावधानों के किसी भी प्रयोजन के लिए निर्धारित अर्हक सेवाओं की अवधि में तीन महीने तक की कमी को माफ करने की शक्ति होगी। (2) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निगमित किसी संस्थान या किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेवा, जिसमें पेंशन के लिए पूर्ण या आंशिक गणना की जाती है, के अंतर्गत उचित अनुमति के साथ कोई अन्य नियुक्ति लेने के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार की सेवा या किसी स्वायत्त संगठन की सेवा या केंद्रीय/राज्य सरकारों के किसी निगमित निकाय की सेवा से स्थायी/अस्थायी/अनुबंध नियुक्ति से त्यागपत्र देना त्यागपत्र नहीं है और ऐसा त्यागपत्र सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा। बशर्ते कि ऐसे किसी भी मामले में आनुपातिक पेंशन दायित्व उस नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, जिसकी सेवाओं से कर्मचारी संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल होता है, यदि दो नियुक्तियां अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान अपरिहार्य है, तो स्थानांतरण के नियमों के तहत स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण करने के समय से अधिक नहीं होने वाले ऐसे व्यवधानों को कर्मचारी को कार्यमुक्ति की तिथि पर किसी भी प्रकार के अवकाश की मंजूरी या ऊपर उल्लिखित औपचारिक माफी द्वारा कवर किया जाएगा, जिस सीमा तक वह अवधि कर्मचारी को देय अवकाश द्वारा कवर नहीं की जाती है। बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी को त्यागपत्र के समय प्राप्त नियोक्ता के अंशदान की पूरी राशि एकमुश्त या 12 से अधिक किस्तों में ब्याज सहित समर्पित करना होगा, जिस तारीख को भुगतान की तारीख से अंतिम वापसी की तारीख तक वास्तव में राशि प्राप्त हुई थी और उस पर ब्याज सहित राशि संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय की पेंशन निधि में जमा की जाएगी। यदि इन प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसे बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। पेंशन आदि के प्राप्तकर्ता का भविष्य का अच्छा आचरण इन प्रावधानों के तहत पेंशन के प्रत्येक अनुदान की एक निहित शर्त है और संस्थान ऐसी पेंशन या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि प्राप्तकर्ता गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है या बहुत बड़े कदाचार का दोषी है और ऐसे मामलों में पेंशन के स्वीकृत प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 10-20/76 - टी.6 दिनांक 20 फरवरी, 1979 द्वारा संशोधित। 15 फरवरी, 1979 से प्रभावी।
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-3/82 - टी.6 दिनांक 31 जनवरी, 1984 द्वारा आगे प्रतिस्थापित। 28 जनवरी, 1984 से प्रभावी।
222
223

परिशिष्ट

प्रपत्र III - घोषणा [पैराग्राफ 1 (3) देखें]

प्रपत्र I - विकल्प [संविधि 18 बी (2) देखें]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का एक कर्मचारी एतद्द्वारा सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना द्वारा शासित होने का चुनाव करता हूँ, जैसा कि संविधि 18बी/16 (बी) और संस्थान की संविधि की अनुसूची 'एफ' में निर्धारित है और सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी नियमों और शर्तों द्वारा शासित होने के अपने दावे को त्यागता हूँ, जो 1 जनवरी, 1971 से तुरंत पहले मुझ पर लागू थे। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि यह चुनाव अंतिम है और यह 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी होगा। ... (अभिदाता) एक कर्मचारी
एतद्द्वारा
घोषणा करता हूँ कि मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। निर्वाचन की तिथि साक्षी: (1)
(2)
हस्ताक्षर ....
(अंगूठे का निशान, यदि अशिक्षित हों) पदनाम
दिनांक इस
...
दिनांक
19
प्रपत्र II - विकल्प [देखें संविधि 18 बी (4)]
मैं
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का कर्मचारी हूँ और संविधि 18बी/16 (बी) तथा संस्थान की संविधि की अनुसूची 'एफ' में निर्धारित सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना द्वारा शासित होने का चुनाव करता हूँ तथा सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी नियमों और शर्तों द्वारा शासित होने के अपने दावे को त्यागता हूँ, जो 1 अप्रैल, 1970 से ठीक पहले मुझ पर लागू थे। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि यह निर्वाचन अंतिम है तथा यह 1 अप्रैल, 1970 से प्रभावी होगा।
निर्वाचन की तिथि
गवाह:
(1)
(2)
224 हस्ताक्षर.... (अंगूठे का निशान, यदि अशिक्षित हो) पदनाम हस्ताक्षर के दो गवाह: 1 . 2 . 225 ग्राहक के
हस्ताक्षर

परिशिष्ट II

जी.पी.एफ. - सह - पेंशन - सह - ग्रेच्युटी योजना

(पैराग्राफ 19 देखें)

अर्हक सेवा की छह मासिक अवधि पूरी की

अर्हक सेवा की छह मासिक अवधि पूरी की

पेंशन का पैमाना

परिशिष्ट II (जारी)

ग्रेच्युटी या पेंशन का पैमाना

अधिकतम पेंशन

15 / 80वां

31

(रुपये प्रति वर्ष में)

16 / 80वां

(रुपये प्रति वर्ष में)

अधिकतम पेंशन

32

234567890123456789

11

4³ /

5'18

5½

1 .

½

2 .

1

3 .

1½

4 .

2

5 .

2½

6 .

3

7 .

3½

एन

8 .

4

4³

(ए) ग्रेच्युटी महीने

161 / 80वाँ

5,812.50

33

परिलब्धियाँ

17 / 80वाँ

16

6,000.00

34

6,187.50

"

171 / 80वाँ

14
35
6,375.00
"
"
36
18 / 80वाँ
6,562.50
33
"
" 1
"
37
1812 / 80वाँ
"
6,750.00
11
38
19 / 80वाँ
6,937.50
"
"
19 / 80वाँ
"
7,125.00 39 40 20/80वें
7,312.50 41 2012/80वें
7,500.00 42 21/80वें
7,687.00 5556 43 21/80वें
7,875.00 8,062.50 44 22/80वें
14 8,250.00 26 27 28 29 30 22222222222
20 . औसत
पर्िलभत्तों का 10/80वां
(बी) पेंशन
5/8
6%
65/8
7
73/8
7314
81/8
"
45
22 / 80ths
"
8,437.50
46
23 / 80ths
और
8,625.00
47
231 / 80ths
"
8,812.50
48

24 / 80ths
"
9,000.00
"
"
49
24 / 80ths
9,187.50
50
25 / 80ths
9,375.00
51
2512 / 80ths
9,572.50
"
52
26 / 80ths
9,750.00
रु. "
9,937.50
53
26 / 80वें
3,750.00
10,125.00
54
27 / 80वें
21
10 % / 80वें
10,312.50
55
271 / 80वें
11 / 80वें
3,937.00
10,500.00
"
"
56
23
111 / 80वें
4,125.00
28 / 80वें
10,687.50
"
u
24
57
12 / 80वें
4,312.50
28½ / 80वें
10,875.00
"
25
58
1212 / 80वाँ
4,500.00

29 / 80वाँ
11,062.50
"
13 / 80वाँ
बी
4,687.50
59
291 / 80वाँ
11,250.00
1312 / 80वाँ
21
4,875.00
60
30 / 80वाँ
11,437.50
"
14 / 80वाँ
5,062.50
61
"
3012 / 80वाँ
11,625.00
141 / 80वाँ
5,250.00
62
31 / 80वाँ
11,812.50
15 / 80वाँ
5,437.50
63
3112 / 80वाँ
12,000.00
5,625.00
64
32 / 80वाँ
12,000.00
65
3212 / 80वाँ
12,000.00
66
33 / 80वाँ
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11-6 / 76 - टी.6 दिनांक 1 जनवरी, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।
226
227

परिशिष्ट II

जी.पी.एफ. - सह - पेंशन - सह - ग्रेच्युटी योजना

(पैराग्राफ 19 देखें)

अर्हक सेवा की छह मासिक अवधि पूरी की

अर्हक सेवा की छह मासिक अवधि पूरी की

पेंशन का पैमाना

परिशिष्ट II (जारी)

ग्रेच्युटी या पेंशन का पैमाना

अधिकतम पेंशन

15 / 80वां

31

(रुपये प्रति वर्ष में)

16 / 80वां

(रुपये प्रति वर्ष में)

अधिकतम पेंशन

32

234567890123456789

11

4³ /

5'18

5½

1 .

½

2 .

1

3 .

1½

4 .

2

5 .

2½

6 .

3

7 .

3½

एन

8 .

4

4³

(ए) ग्रेच्युटी महीने

161 / 80वाँ

5,812.50

33

परिलब्धियाँ

17 / 80वाँ

16

6,000.00

34

6,187.50

"

171 / 80वाँ

14
35
6,375.00
"
"
36
18 / 80वाँ
6,562.50
33
"
" 1
"
37
1812 / 80वाँ
"
6,750.00
11
38
19 / 80वाँ
6,937.50
"
"
19 / 80वाँ
"
7,125.00 39 40 20/80वें
7,312.50 41 2012/80वें
7,500.00 42 21/80वें
7,687.00 5556 43 21/80वें
7,875.00 8,062.50 44 22/80वें
14 8,250.00 26 27 28 29 30 22222222222
20 . औसत
पर्िलभत्तों का 10/80वां
(बी) पेंशन
5/8
6%
65/8
7
73/8
7314
81/8
"
45
22 / 80ths
"
8,437.50
46
23 / 80ths
और
8,625.00
47
231 / 80ths
"
8,812.50
48

24 / 80ths
"
9,000.00
"
"
49
24 / 80ths
9,187.50
50
25 / 80ths
9,375.00
51
2512 / 80ths
9,572.50
"
52
26 / 80ths
9,750.00
रु. "
9,937.50
53
26 / 80वें
3,750.00
10,125.00
54
27 / 80वें
21
10 % / 80वें
10,312.50
55
271 / 80वें
11 / 80वें
3,937.00
10,500.00
"
"
56
23
111 / 80वें
4,125.00
28 / 80वें
10,687.50
"
u
24
57
12 / 80वें
4,312.50
28½ / 80वें
10,875.00
"
25
58
1212 / 80वाँ
4,500.00

29 / 80वाँ
11,062.50
"
13 / 80वाँ
बी
4,687.50
59
291 / 80वाँ
11,250.00
1312 / 80वाँ
21
4,875.00
60
30 / 80वाँ
11,437.50
"
14 / 80वाँ
5,062.50
61
"
3012 / 80वाँ
11,625.00
141 / 80वाँ
5,250.00
62
31 / 80वाँ
11,812.50
15 / 80वाँ
5,437.50
63
3112 / 80वाँ
12,000.00
5,625.00
64
32 / 80वाँ
12,000.00
65
3212 / 80वाँ
12,000.00
66
33 / 80वाँ
शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11-6 / 76 - टी.6 दिनांक 1 जनवरी, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित। 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी।
226
227

परिशिष्ट III

संशोधन तालिका

(1 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन के लिए संशोधन मूल्य)

(पैराग्राफ 20 देखें)

चोट ग्रेच्युटी और पेंशन का पैमाना

(पैराग्राफ 29 देखें)

परिशिष्ट IV

कर्मचारी का वेतन

आयु
संशोधन

आयु
संशोधन

आयु
संशोधन

चोट की तिथि पर
अगला जन्मदिन
मूल्य

अगला
जन्मदिन
मूल्य

अगला जन्मदिन
मूल्य

संख्या

संख्या

संख्या

1 .

रु.2,000 और उससे अधिक

वर्ष

वर्ष

वर्ष

खरीद

खरीद

खरीद

2 .

1,500 रुपये और उससे अधिक लेकिन इससे कम ग्रेच्युटी मासिक मासिक पेंशन पेंशन उच्च वेतनमान निम्न वेतनमान रु. 300 रु. 300 225 275 200 1 2 3 4 5 6 2,000 रु. 17 19.24 40 15.75 63 8.99 18 19.15 41 15.52 64 8.66 3 . 1,000 रुपये और उससे अधिक लेकिन

3 महीने का वेतन

29
31
34
35
36
37

38
39
22222222220 ~ 2332233
19
19.06
42
15.27
65
8.34
के तहत
200
200
150
18.96
43
15.02
66
8.01
1,500 रुपये .
21
18.86
44
14.76
67
न्यूनतम 800 रुपये.
7.69
18.76
45
14.50
68
7.37
4 :
900 रुपये और उससे अधिक लेकिन
150
125
18.64
46
14.23
69
7.06
1,000 रुपये से कम।
24
18.53
47
13.96
70
6.75
25
18.40
48
5 .
400 रुपये और उससे अधिक लेकिन
100
84
13.68
71
6.45

26
18.28
49
13.39
900 रुपये से कम।
72
6.15
27
18.14
50
13.10
73
5.86
6 .
350 रुपये और उससे अधिक लेकिन
4 महीने का वेतन
85
70
28
18.00
51
12.80
74
5.58
400 रुपये से कम
17.85
52
12.50
75
5.30
17.70
7 . 200 रुपये और उससे अधिक लेकिन
20
53
12.20
76
5.03
17.54
54
350 रुपये से कम
11.89
77
4.78
17.37
55
11.58
78
4.52
8 . 200 रुपये से कम
17.20
56
11.26
79
4.28
17.01
57
67

50
वेतन का 1/3
वेतन का 1/5
न्यूनतम
के अधीन
न्यूनतम
10.94
80
4.05
16.82
58
10.62
81
3.83
16.62
59
प्रति
मासिक
प्रति
मासिक
4
रुपये
10.29
82
3.62
16.42
60
9.97
83
3.42
16.20
61
9.64
84
3.23
15.98
62
9.31
85
3.04
एल
228
229

परिशिष्ट V

चोटों का वर्गीकरण

अंग की हानि के बराबर

[पैराग्राफ 28 (3) देखें]

वाचाघात के बिना बेमिप्लेजिया

ट्रेकेटॉमी ट्यूब का स्थायी उपयोग

कृत्रिम गुदा

दोनों कानों का पूर्ण बहरापन

बहुत गंभीर

पूर्ण एकतरफा चेहरे का पक्षाघात, स्थायी होने की संभावना।

गुर्दे मूत्रवाहिनी या मूत्राशय का घाव

संयुक्त फ्रैक्चर (फालंजेस को छोड़कर)

नरम भागों का ऐसा घोर विनाश जिससे स्थायी विकलांगता या कार्य की हानि हो।

गंभीर और स्थायी होने की संभावना

निम्नलिखित जोड़ों में से किसी एक की गति में एंकिलोसिस या काफी प्रतिबंध: -

एल

फॉर्म-

जी.पी. के लिए नामांकन के फॉर्म निधि [पैराग्राफ 5 (1) देखें]

परिशिष्ट VI

जब अभिदाता का परिवार हो और वह उसमें से किसी एक सदस्य को नामित करना चाहता हो: मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पेंशन-सह-उपदान नियमों की सामान्य भविष्य निधि योजना के पैरा 5 (1) में परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य है, नामित करता हूँ कि वह निधि में मेरे खाते में जमा राशि को प्राप्त करे, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।

संबंध

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता

अभिदाता के साथ आयु

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर

नामांकन का अधिकार नामित व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगा

घुटना, कोहनी, कंधा, कूल्हा, टखना, टेम्पोरो-मैक्सिलरी या रीढ़ की हड्डी के पृष्ठीय भाग या ग्रीवा भाग की कठोरता

दिनांक 19.09.2014

एक आँख की आंशिक दृष्टि हानि।

एक अंडकोष का नष्ट होना या नष्ट हो जाना

विदेशी निकायों का प्रतिधारण जो स्थायी या गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता।

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह:

1 .

2 .

230

231

सदस्य से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु की घटना

सदस्य पदनाम के हस्ताक्षर।

विभाग।

फॉर्म-II

[पैराग्राफ 5 (1) देखें]

जब अभिदाता का परिवार हो और वह उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहता हो:

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो संस्थान के सामान्य भविष्य निधि योजना पेंशन-सह-उपदान नियमों के पैरा 5 (1) में परिभाषित मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामित करता हूँ कि वे निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करें, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है, और निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से वितरित की जाएगी:

संबंध आयु

अभिदाता नामिती का नाम और पता

प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली संचय राशि या हिस्सा

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास नामांकिती के अधिकार अभिदाता से पहले नामांकिती की मृत्यु की स्थिति में चले जाएँगे

फॉर्म-III

[पैराग्राफ 5 (देखें) 1)]

जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह किसी एक व्यक्ति को नामित करना चाहता है:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सामान्य भविष्य निधि योजना पेंशन-सह-उपदान नियम के पैरा 5 (1) में परिभाषित अनुसार मेरा कोई परिवार नहीं है, अतः मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है:

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता

अभिदाता के साथ संबंध

आयु

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

नाम, पता और उस व्यक्ति या व्यक्तियों का संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास अभिदाता से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति का अधिकार चला जाएगा

दिनांक 19.....

को...

दो गवाह हस्ताक्षर के साथ:

1 .. 2.

दिनांक 19.....

को...

दो गवाह हस्ताक्षर के साथ:

1 . अभिदाता पदनाम विभाग के हस्ताक्षर

2.

अभिदाता पदनाम विभाग के हस्ताक्षर

नोट: यह कॉलम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसमें वह पूरी राशि शामिल हो जो किसी भी समय निधि में अभिदाता के खाते में जमा हो सकती है।

नोट: जहां कोई अभिदाता, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, तो उसे इस कॉलम में यह निर्दिष्ट करना होगा कि बाद में उसके परिवार हो जाने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।

फॉर्म - IV

[पैराग्राफ 5 (1) देखें]

जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता है:

मैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पेंशन-सह-ग्रेच्युटी नियमों के पैरा 5 (1) में परिभाषित अनुसार कोई परिवार नहीं होने के कारण, नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए, उस राशि के देय होने से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में या देय होने के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, नामित व्यक्ति के बीच वितरित की जाने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ, और निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि को उनके नामों के सामने नीचे दर्शाए गए तरीके से उक्त व्यक्तियों के बीच वितरित किया जाएगा:

अभिदाता नामिती के साथ नाम और संबंध

आयु

पता

प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली राशि या संचय का हिस्सा

* आकस्मिकताएँ जिसके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसके पास नामिती के अधिकार नामिती की मृत्यु की स्थिति में स्थानांतरित हो जाएँगे सब्सक्राइबर

फॉर्म - V [पैराग्राफ 22 देखें]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

जब स्टाफ के सदस्य का परिवार हो और वह उसमें से किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहता हो

मैं नीचे उल्लेखित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है, नामांकित करता हूँ और उसे सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ और मेरी मृत्यु पर किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है जो मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है:

नामित व्यक्ति का नाम और पता

स्टाफ के सदस्य की आयु के साथ संबंध

ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा

उन व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिया गया अधिकार स्टाफ के सदस्य से पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने या स्टाफ के सदस्य की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर लेकिन भुगतान प्राप्त करने से पहले होने की स्थिति में स्थानांतरित हो जाएगा ग्रेच्युटी

प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि

इस तारीख को

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह:

1 .

2 .

दिनांक

19. पर ....

अभिदाता पदनाम विभाग के हस्ताक्षर

यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन का स्थान लेता है, जो रद्द हो गया है।

दिनांक
इस तारीख को
19. पर ....

....
+
नोट: यह कॉलम इस तरह से भरा जाना चाहिए कि इसमें वह पूरी राशि शामिल हो जो किसी भी समय फंड में अभिदाता के खाते में जमा हो सकती है।
नोट: जहां कोई अभिदाता, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, तो उसे इस कॉलम में यह निर्दिष्ट करना होगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।
234
हस्ताक्षर के लिए दो गवाह:
1 .
2 .
कर्मचारी के हस्ताक्षर
नोट: अंतिम कॉलम इस तरह से भरा जाना चाहिए कि इसमें ग्रेच्युटी की पूरी राशि शामिल हो।
पदनाम द्वारा नामांकन
रजिस्ट्रार विभाग
235
हस्ताक्षर
तारीख
एल

फॉर्म - VI

[पैराग्राफ 22 देखें]

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

जब स्टाफ के सदस्य का परिवार हो और वह उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहता हो मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ और मेरी मृत्यु पर, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है, जो मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है:

सदस्य के नाम और पते

नामिती

की आकस्मिकताएँ

संबंध

आयु

कर्मचारी

ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि

प्रत्येक

घटना के लिए देय जिसके कारण

नामांकन अमान्य हो जाएगा

उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिन्हें नामिती को अधिकार प्रदान किया गया है नामांकित व्यक्ति की मृत्यु स्टाफ सदस्य से पहले हो जाने या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु स्टाफ सदस्य की मृत्यु के बाद हो जाने पर लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले हो जाने की स्थिति में पारित हो जाएगा। फॉर्म - VII [पैराग्राफ 22 देखें] मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन जब सदस्य का कोई परिवार नहीं है और वह किसी एक व्यक्ति को नामित करना चाहता है मैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामित करता हूं और उसे संस्थान द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूं, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में और मेरी मृत्यु पर कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है, मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है: संबंध आयु आकस्मिकताएं जिसके होने पर स्टाफ नामित व्यक्ति का पता प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी का नाम और राशि उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। प्रत्येक नामांकन के लिए देय ग्रेच्युटी का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो नामांकित व्यक्ति की मृत्यु स्टाफ सदस्य से पहले हो जाती है या स्टाफ सदस्य की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन का स्थान लेता है, जो रद्द हो जाता है।

जो

नोट: स्टाफ सदस्य हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित होने से रोकने के लिए अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखाएँ खींचेगा। .... दिनांक इस दिन

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह:

19 ..... पर ..

यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन का स्थान लेता है, जो रद्द हो जाता है।

दिनांक इस दिन

हस्ताक्षर के लिए दो गवाह:

1.

2.

स्टाफ द्वारा नामांकन

2.

नामांकन

पदनाम

विभाग

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर दिनांक

* नोट: (1) चौथा कॉलम इस तरह भरा जाना चाहिए कि उसमें ग्रेच्युटी की पूरी राशि शामिल हो। (2) अंतिम कॉलम में दर्शाई गई ग्रेच्युटी की राशि/हिस्सेदारी मूल नामांकित व्यक्तियों को देय पूरी राशि/हिस्सेदारी को कवर करनी चाहिए।

पदनाम

विभाग

19 ..... पर ...

स्टाफ़ के सदस्य के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर दिनांक

एल

236

237

फॉर्म - VIII [पैराग्राफ 22 देखें]
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए नामांकन
जब स्टाफ के सदस्य का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता है मैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, नीचे वर्णित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, तथा उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, तथा नीचे निर्दिष्ट सीमा तक मेरी मृत्यु पर कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो गई है, जो मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह सकती है:
नामित स्टाफ सदस्य के नाम और पते
आयु
प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि
ऐसी आकस्मिकताएँ, जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा
उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिन्हें नामिती को दिया गया अधिकार नामांकित व्यक्ति की मृत्यु से पहले हो जाने की स्थिति में स्थानांतरित हो जाएगा
स्टाफ या नामित व्यक्ति की मृत्यु स्टाफ सदस्य की मृत्यु के बाद लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले हो जाती है। फॉर्म - IX पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन [पैराग्राफ 25 देखें] मैं नीचे वर्णित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नीचे दर्शाए गए क्रम में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं, जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद मेरी मृत्यु की स्थिति में संस्थान द्वारा दी जा सकती है: प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि नामित व्यक्ति का नाम और पता स्टाफ सदस्य के साथ संबंध आयु विवाहित है या अविवाहित यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन को रद्द कर दिया गया है। दिनांक इस दिन दो गवाहों के हस्ताक्षर: 1.. 2. नामांकन द्वारा पदनाम विभाग 19. ... जिस पर यह नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन को रद्द कर दिया गया है। स्टाफ के सदस्य को हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित करने से रोकने के लिए अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखाएँ खींचनी चाहिए।
स्टाफ के सदस्य के हस्ताक्षर
इस गवाह की तिथि:
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
दिनांक
1 .
2 .
नोट: (1) इस कॉलम को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि इसमें ग्रेच्युटी की पूरी राशि शामिल हो। (2) अंतिम कॉलम में दर्शाई गई ग्रेच्युटी की राशि/हिस्से में मूल नामांकित व्यक्तियों को देय पूरी राशि/हिस्से को शामिल किया जाना चाहिए।

पदनामांकन
विभाग
एल
दिनांक
19. पर..
स्टाफ के सदस्य के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
दिनांक

फॉर्म - X

[पैराग्राफ 37 देखें]

चोट पेंशन के लिए ग्रेच्युटी हेतु आवेदन का फॉर्म

1. आवेदक का नाम

2. पिता का नाम

3. निवास स्थान, जिसमें गांव और परगना दर्शाया गया हो

4. वर्तमान या अंतिम रोजगार:

पदनाम

विभाग/अनुभाग

5. संस्थान में सेवा आरंभ करने की तिथि

6. सेवा की अवधि, जिसमें व्यवधान भी शामिल है

7. चोट का वर्गीकरण

8. चोट के समय वेतन

9. प्रस्तावित पेंशन या ग्रेच्युटी

10. चोट की तिथि

11. भुगतान का स्थान

फॉर्म - XI

[पैराग्राफ 37 देखें]

पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन का फॉर्म

कार्यालय के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप, देर से प्राप्त, मृत या चोटों से मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए असाधारण पेंशन के लिए आवेदन।

दावेदार का विवरण

1. नाम और निवास, गांव और परगना दर्शाते हुए 2. आयु

3. ऊंचाई

4.

पहचान का चिह्न

5. वर्तमान व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियाँ

6. मृतक से रिश्ते की डिग्री

मृतक का विवरण

7.

नाम

8.

व्यवसाय और सेवा

9. सेवा की अवधि

जीवित परिजनों के नाम और आयु

12. मृतक की ईसाई युग के अनुसार जन्म तिथि

13. वह तिथि जिस दिन आवेदक ने पेंशन के लिए आवेदन किया

स्थान

स्थान:

तारीख

तारीख:..

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

विभाग/अनुभाग/कार्यालय के प्रभारी कर्मचारी द्वारा विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो

हस्ताक्षर

तारीख

नोट:

यदि ठीक से ज्ञात न हो, तो सर्वोत्तम जानकारी या अनुमान के आधार पर अवश्य बताया जाना चाहिए।

एल

10. मृत्यु होने पर भुगतान
11. मृत्यु का कारण बनने वाली चोट की प्रकृति
12. प्रस्तावित पेंशन या ग्रेच्युटी की राशि
13. भुगतान का स्थान
14. पेंशन शुरू होने की तिथि 15. टिप्पणी

पुत्र विधवाएँ

पुत्रियाँ

पिता

माता

नाम

जन्म तिथि

ईसाई युग

दावेदार के हस्ताक्षर

कर्मचारी के सदस्य के हस्ताक्षर

विभाग/अनुभाग/कार्यालय के प्रभारी

यदि मृतक के कोई पुत्र, विधवा, पुत्री, पिता या माता जीवित नहीं हैं, तो ऐसे रिश्तेदार के सामने 'गैर' या 'मृत' शब्द दर्ज किया जाना चाहिए।

फॉर्म - XII
चोटों पर रिपोर्ट करते समय परामर्श चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्म
[पैराग्राफ 37 देखें]
चोट की वर्तमान स्थिति पर परामर्श चिकित्सा अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट

(चोट का स्थान, आदि),

(क)

(चोट की तिथि, आदि)

(ख)

कर्मचारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

(ग)

(घ)

बीमारी के मामले में, किस तारीख से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारी अक्षम हो गया है?

निम्नलिखित है:

क्या कर्मचारी की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से चोट / बीमारी के कारण है?

नीचे दिए गए प्रश्न पर परामर्श चिकित्सा अधिकारी की राय इस प्रकार है
भाग 'ए'- प्रथम परीक्षण
चोट की गंभीरता का आकलन नीचे टिप्पणी कॉलम में दिए गए निम्नलिखित वर्गीकरण और विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए: -
पहली चोट: -
(i)
(क) एक आँख या अंग की हानि?
(ख) एक से अधिक आँख या अंग की हानि?
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
हाँ
नहीं
एक आँख या अंग की हानि से अधिक गंभीर? एक आँख या अंग की हानि के बराबर? बहुत गंभीर?
गंभीर, लेकिन स्थायी होने की संभावना नहीं? मामूली, लेकिन स्थायी होने की संभावना?
2. चोट की तारीख से कितनी अवधि तक-
(क) स्टाफ के सदस्य के ड्यूटी के लिए अयोग्य रहने की संभावना है। (ख) क्या स्टाफ के सदस्य के ड्यूटी के लिए अयोग्य रहने की संभावना है। टिप्पणी: यदि आवश्यक हो तो यहाँ उपरोक्त वर्गीकरण को विस्तृत किया जा सकता है, या मुख्य चोट के अतिरिक्त चोटों का विवरण दिया जा सकता है।

भाग 'बी' - द्वितीय अनुवर्ती परीक्षाएँ
यदि स्टाफ के सदस्य की मूल डिग्री बदल गई है; तो उसे अब उपरोक्त में से किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए?

टिप्पणी: यदि आवश्यक हो तो इस स्थान पर अतिरिक्त विवरण दिया जा सकता है।

तारीख

परामर्शदाता चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

रिपोर्ट तैयार करने में परामर्शदाता चिकित्सा अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश

1. अपनी राय दर्ज करने से पहले उसे अनिवार्य रूप से पिछली रिपोर्ट, यदि कोई हो, तथा स्टाफ के सदस्य से संबंधित सभी चिकित्सा दस्तावेजों को, जो उसके समक्ष जाँच के लिए लाए गए थे, अवश्य देखना चाहिए।

2. यदि चोटें एक से अधिक हों तो उन्हें अलग-अलग क्रमांकित तथा वर्णित किया जाना चाहिए तथा यदि यह माना जाए कि, उदाहरण के लिए, यद्यपि वे केवल 'गंभीर' या 'मामूली' हैं, फिर भी वे एक साथ मिलकर एक 'बहुत गंभीर' चोट के बराबर हैं, तो ऐसी राय दिए गए स्तंभों में व्यक्त की जा सकती है।

3. निर्धारित प्रपत्र में प्रश्नों के उत्तर देते समय वह मामले के चिकित्सीय पहलू तक ही सीमित रहेगा तथा स्टाफ सदस्य के अपुष्ट बयानों तथा उपलब्ध चिकित्सीय एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के बीच सावधानीपूर्वक विभेद करेगा।

4. वह जांच किए जा रहे स्टाफ सदस्य के समक्ष या अपनी रिपोर्ट में इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करेगा कि वह मुआवजे का हकदार है या नहीं, या इसकी राशि के बारे में भी नहीं बताएगा और न ही स्टाफ सदस्य को यह बताएगा कि चोट को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

-X --X ---
242
243

फॉर्म - XII
चोटों पर रिपोर्ट करते समय परामर्श चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्म
[पैराग्राफ 37 देखें]
चोट की वर्तमान स्थिति पर परामर्श चिकित्सा अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट

(चोट का स्थान, आदि),

(क)

(चोट की तिथि, आदि)

(ख)

कर्मचारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

(ग)

(घ)

बीमारी के मामले में, किस तारीख से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारी अक्षम हो गया है?

निम्नलिखित है:

क्या कर्मचारी की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से चोट / बीमारी के कारण है?

नीचे दिए गए प्रश्न पर परामर्श चिकित्सा अधिकारी की राय इस प्रकार है
भाग 'ए'- प्रथम परीक्षण
चोट की गंभीरता का आकलन नीचे टिप्पणी कॉलम में दिए गए निम्नलिखित वर्गीकरण और विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए: -
पहली चोट: -
(i)
(क) एक आँख या अंग की हानि?
(ख) एक से अधिक आँख या अंग की हानि?
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
हाँ
नहीं
एक आँख या अंग की हानि से अधिक गंभीर? एक आँख या अंग की हानि के बराबर? बहुत गंभीर?
गंभीर, लेकिन स्थायी होने की संभावना नहीं? मामूली, लेकिन स्थायी होने की संभावना?
2. चोट की तारीख से कितनी अवधि तक-
(क) स्टाफ के सदस्य के ड्यूटी के लिए अयोग्य रहने की संभावना है। (ख) क्या स्टाफ के सदस्य के ड्यूटी के लिए अयोग्य रहने की संभावना है। टिप्पणी: यदि आवश्यक हो तो यहाँ उपरोक्त वर्गीकरण को विस्तृत किया जा सकता है, या मुख्य चोट के अतिरिक्त चोटों का विवरण दिया जा सकता है।

भाग 'बी' - द्वितीय अनुवर्ती परीक्षाएँ
यदि स्टाफ के सदस्य की मूल डिग्री बदल गई है; तो उसे अब उपरोक्त में से किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए?

टिप्पणी: यदि आवश्यक हो तो इस स्थान पर अतिरिक्त विवरण दिया जा सकता है।

तारीख

परामर्शदाता चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

रिपोर्ट तैयार करने में परामर्शदाता चिकित्सा अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश

1. अपनी राय दर्ज करने से पहले उसे अनिवार्य रूप से पिछली रिपोर्ट, यदि कोई हो, तथा स्टाफ के सदस्य से संबंधित सभी चिकित्सा दस्तावेजों को, जो उसके समक्ष जाँच के लिए लाए गए थे, अवश्य देखना चाहिए।

2. यदि चोटें एक से अधिक हों तो उन्हें अलग-अलग क्रमांकित तथा वर्णित किया जाना चाहिए तथा यदि यह माना जाए कि, उदाहरण के लिए, यद्यपि वे केवल 'गंभीर' या 'मामूली' हैं, फिर भी वे एक साथ मिलकर एक 'बहुत गंभीर' चोट के बराबर हैं, तो ऐसी राय दिए गए स्तंभों में व्यक्त की जा सकती है।

3. निर्धारित प्रपत्र में प्रश्नों के उत्तर देते समय वह मामले के चिकित्सीय पहलू तक ही सीमित रहेगा तथा स्टाफ सदस्य के अपुष्ट बयानों तथा उपलब्ध चिकित्सीय एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के बीच सावधानीपूर्वक विभेद करेगा।

4. वह जांच किए जा रहे स्टाफ सदस्य के समक्ष या अपनी रिपोर्ट में इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करेगा कि वह मुआवजे का हकदार है या नहीं, या इसकी राशि के बारे में भी नहीं बताएगा और न ही स्टाफ सदस्य को यह बताएगा कि चोट को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

-X --X ---
242
243

(i) आवेदक, आवेदक की पत्नी, वैध बच्चों, सौतेले बच्चों, माता-पिता, बहनों और नाबालिग भाइयों, जो वास्तव में उस पर निर्भर हैं, की बीमारी के संबंध में किए गए व्यय का भुगतान करना; (ii) आवेदक या आवेदक की पत्नी, वैध बच्चों, सौतेले बच्चों, माता-पिता, बहनों और नाबालिग भाइयों, जो वास्तव में उस पर निर्भर हैं, के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारणों से विदेश यात्रा का भुगतान करना; (iii) आवेदक पर वास्तव में निर्भर किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करना। ऐसा व्यक्ति आवश्यक रूप से आवेदक के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए; (iv) विवाह, अंत्येष्टि या समारोहों के संबंध में आवेदक की स्थिति के अनुरूप अनिवार्य व्यय का भुगतान करना, जिसे करना उसके धर्म के अनुसार उसका कर्तव्य है; (v) आवेदक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए जाने का दावा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप के संबंध में अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए आवेदक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करना; बशर्ते कि इस खंड के तहत अग्रिम राशि उस आवेदक को स्वीकार्य नहीं होगी जो अपने आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध किसी मामले के संबंध में या संस्थान के खिलाफ किसी सेवा की शर्त या उस पर लगाए गए दंड के संबंध में किसी भी कानून की अदालत में कानूनी कार्यवाही शुरू करता है। (vi) अपने बचाव की लागत को पूरा करने के लिए जहां आवेदक पर संस्थान द्वारा किसी भी कानून की अदालत में उसके द्वारा किसी कथित आधिकारिक कदाचार के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है; (vii) अपने निवास के लिए एक भूखंड या एक घर या एक तैयार फ्लैट के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए या किसी राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा एक भूखंड या एक तैयार फ्लैट के आवंटन के लिए कोई भुगतान करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 11-3/80-टी.6 दिनांक 24 मार्च, 1982 द्वारा जोड़ा गया। 15 मार्च, 1982 से प्रभावी।

(3) अग्रिम निम्नलिखित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा: (i) जब उप-अनुच्छेद (4) के खंड (i) से (vi) में से किसी उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया जाता है

(5)

(6)

(7)

(8)

पैराग्राफ (2)

अभिदाता का 3 महीने का वेतन।

बशर्ते, हालांकि, किसी भी मामले में अग्रिम की राशि सदस्य की सदस्यता राशि और उस पर ब्याज के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो निधि में अभिदाता के खाते में जमा है।

किसी भी अभिदाता को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर उप-पैराग्राफ (3) में निर्धारित सीमा से अधिक या किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त की चुकौती तक अग्रिम नहीं दिया जाएगा। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अग्रिम देने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

यदि अग्रिम उप-पैरा (2) के खंड (i) से (vi) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए मंजूर किया गया था, तो अग्रिम की राशि चौबीस समान मासिक किस्तों से अधिक नहीं वसूल की जाएगी। प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों की संख्या होगी, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी किस्तों के निर्धारण को स्वीकार करने के लिए अग्रिम की राशि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। एक अभिदाता अपने विकल्प पर अग्रिम देने के समय सहमत किस्तों की तुलना में कम संख्या में या एकमुश्त राशि में चुका सकता है।

अग्रिम की वसूली अभिदाता की परिलब्धियों से की जाएगी और अग्रिम दिए जाने के बाद पहले अवसर पर शुरू होगी, जिस पर अभिदाता पूरे महीने के लिए परिलब्धियां प्राप्त करता है।

यदि

अग्रिम पर ब्याज ऐसा होगा जैसा कि संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है और संस्थान द्वारा अभिदाता के खाते में भुगतान की गई दर से एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसे आम तौर पर मूलधन की पूरी अदायगी के बाद महीने में एक किस्त में वसूल किया जाएगा। यदि अदायगी की अवधि

बीस महीने से अधिक है, तो ब्याज, ग्राहक चाहे तो, दो बराबर मासिक किस्तों में वसूला जा सकता है, मासिक भुगतान को निकटतम पूर्ण रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा। इस पैराग्राफ के तहत की गई वसूली, जैसे ही की जाती है, फंड में ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाएगी।